ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 51 अंक : 10 | अगस्त 2005 | मूल्य : सात रुपये

ग्रामीणों, गरीबों और निर्बल वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं

कृषि विकास से जुड़े मुद्दे

कोयला राख : एक कीमती संसाधन

नया निर्यात कीर्तिमान

रोजगार सृजन में सब्सिडी की भूमिका

एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस

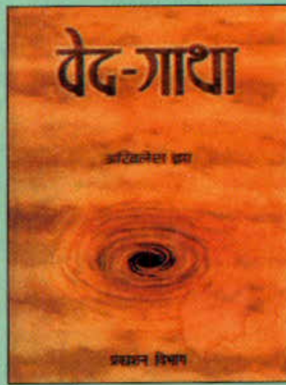

बच्चों के लिए
विशेष रूप से
लिखी गई पुस्तक

वेदगाथा

वेदों और वैदिक काल के जीवन के बारे में सरल भाषा में रोचक ढंग से जानकारी देती है और दूर करती है इस धारणा को कि वेद मात्र विशिष्ट धर्मग्रंथ हैं और आज प्रासंगिक नहीं हैं। आशा है श्री अखिलेश झा की यह पुस्तक पाठकों में, विशेष रूप से बच्चों में, वेदों के प्रति रुचि तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करेगी।

लेखक : **अखिलेश झा**

पृष्ठ : 100 मूल्य (सजिल्द) : 120 रुपये

पुस्तक खरीदने और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें :

व्यापार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003;

फोन : 24365610 / 24365609 / 24367200

पुस्तक इन स्थानों पर भी उपलब्ध है :

विक्रय केंद्र : दिल्ली : सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003; हॉल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054; **मुम्बई :** कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुम्बई-400038; **कोलकाता** : 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069; **चेन्नई :** 'ए' विंग, राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; **तिरुवनंतपुरम:** प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस, तिरुवनंतपुरम-695001; **हैदराबाद** : ब्लॉक 4. प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम.जी. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001; **बंगलौर** : प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034; **पटना** : बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; **लखनऊ:** हॉल नं.1, द्वितीय तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर 8, अलीगंज, लखनऊ-226024; **अहमदाबाद :** अम्बिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380007; **गुवाहाटी** : नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781001

पुस्तक स्थानीय विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 51 ● अंक : 10 ● पृष्ठ : 48

श्रावण–भाद्रपद 1927

अगस्त 2005

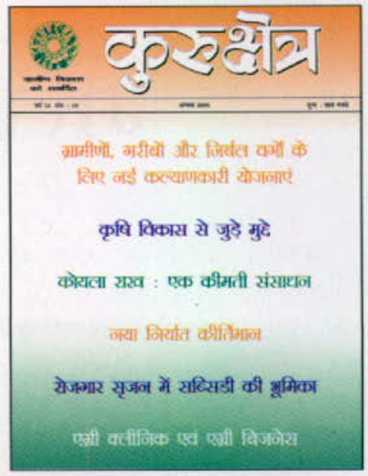

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
संतोष कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	: सात रुपये
वार्षिक शुल्क	: 70 रुपये
द्विवार्षिक	: 135 रुपये
त्रिवार्षिक	: 190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)	
पड़ोसी देशों में	: 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	: 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

● ग्रामीणों, गरीबों और निर्बल वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं – एक समीक्षा	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल	5
● कृषि विकास से जुड़े मुद्दे	गिरीश चन्द्र पाण्डेय	14
● कोयला राख : एक कीमती संसाधन	एस.एस. सैनी	16
● कोयला संपन्न क्षेत्रों में समस्याग्रस्त जीवन	संजय चौधरी	18
● प्रमुख फैसले और पहलें		21
● विदेश व्यापार नीति	वेद प्रकाश अरोड़ा	22
● निर्यात कीर्तिमान	जी. श्रीनिवासन	24
● निर्यात नई ऊंचाइयों पर		25
● मध्य प्रदेश में समग्र विकास की एक नई पहल : दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना	श्वेता तिवारी	26
● ग्रामीण सचिवालय	जगदीश मालवीय	28
● रोजगार सृजन में सब्सिडी की भूमिका	चन्द्रेश कुमार	29
● स्व–रोजगार का सुनहरा अवसर : एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस	एच.पी. सिंह	31
● ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य : दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी	मनोहर पुरी	33
● नशीले पदार्थों का कसता शिकंजा		34
● तम्बाकू का सेवन – एक स्वास्थ्य समस्या	डा. नीलम मकोल	36
● खतरनाक है तम्बाकू !	डा. रामनिवास यादव	38
● प्रथम स्वाधीनता संग्राम : 1857 – एक परिचय		40
● आजादी की लड़ाई – महिलाओं ने भी लड़ी	अनिता जैन	41
● गांवों की खुशहाली का नया द्वार : ग्रामीण पर्यटन	सुभाष सेतिया	43
● अद्भुत ! भारत	जिल्ले रहमान	45
● पर्यटन उद्योग के नये आयाम	राकेश शर्मा 'निशीथ'	46
● अद्वितीय पर्यटन स्थल सिक्किम	रश्मि	47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

कुरुक्षेत्र मासिक का अप्रैल अंक पढ़ा। आवरण पृष्ठ अत्यंत लुभावना एवं सामयिक रहा। वास्तव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बजट दर्पण होता है इस पर तथ्यपरक एवं सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए साधुवाद स्वीकार करें। 'संप्रग' सरकार की उपलब्धियों के विषय में भी अच्छी जानकारी मिली। अंक का संपादकीय कुछ सोचने पर विवश करता है।

शिक्षा जिससे मानव संस्कारित होता है आज सबके लिए अत्यंत जरूरी है। इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है परंतु आज इस भौतिकवादी युग में आवश्यकता इस बात की है कि हम भी अपने कर्तव्य एवं दायित्व को समझें भी कोई सरकारी योजना सफल हो सकती है अन्यथा नहीं स्वच्छता के क्षेत्र 'निर्मलग्राम पुरस्कार' की पहल एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें अवश्य ही गांव स्वच्छता की ओर अग्रसर होकर एक स्वस्थ आर्यावर्त के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

दिलीप कुमार जायसवाल, मऊ, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र का मई का अंक पढ़ा। बाल मजदूरों की दशा और उनके लिए समाज और न्याय व्यवस्था में किए गए प्रावधानों से आरंभ के तीन लेखों में रूबरू हुआ। रोजगार गारंटी अधिनियम–2004 के विभिन्न पहलुओं पर कई आलेखों में एक ही अंक में जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद। 'भारत के गांव चौपाल से ई–चौपाल की ओर' आलेख गांव की प्राचीन संरचनाओं की नवीन ढंग से आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ने की एक पहल है। मशरूम की खेती, लघु उद्योग क्षेत्र व मानवाधिकार से संबंधित जानकारियां एक ही अंक में प्रदान कर हम युवाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ व सामाजिक रूप से जागरूक बनाने का जो प्रयास कुरुक्षेत्र कर रहा है वह वास्तव में सराहनीय है। आशा है भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शक व भारतीय गांव व रोजगार से जुड़े सही व सारगर्भित आलेखों को पढ़ने का मौका मिलेगा।

शंभू कुमार चौधरी, मुंगेर, बिहार

•••

मैं **कुरुक्षेत्र** का नियमित पाठक सह ग्राहक हूं। मई अंक से काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। इस अंक में मजदूर दिवस पर कई आलेख पढ़े। यू.पी.ए. सरकार का रोजगार गारंटी कानून 'डा. कामेश्वर पंडित और डा. अखिलेश कुमार सिंह का लेख बड़ा रोचक लगा। ग्रामीण बेरोजगारी क्या है इसकी समस्याओं पर भी 'डा. एस.के. सिंह और शशिबाला का लेख पढ़ा। मानवाधिकार पर आलेख से भी जानकारी मिली। कुल मिलाकर यह अंक काफी अच्छा लगा। मैं इस पत्रिका को प्रत्येक माह पढ़ता हूं। अगर एक माह नहीं पढ़ पाता तो लगता है इस माह शायद कुछ विशेष जानकारी को छोड़ रहा हूं। इस पत्र के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक माह 'ग्रामीण योजना' से संबंधित जानकारी देते रहे ताकि बेरोजगार लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उमेश कुमार, अरवल, बिहार

•••

कुरुक्षेत्र का मई अंक पढ़ा। बाल श्रमिकों पर तीन लेख, स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी करते बच्चों की दुर्दशा को बाखूबी चित्रित करते हैं। विकास का दावा ठोकने वाले देशों को बेपर्दा करने तथा सच्चाई की परत–दर–परत खोलने में, डा. अनामिका प्रकाश तथा राजेन्द्र सिंह बिष्ट कामयाब रहे हैं। पत्रिका के अन्य लेख–आलेख भी ज्ञानवर्धक हैं।

कुंवर कुसुमेश, लखनऊ

•••

कुरुक्षेत्र का मई 2005 अंक पढ़ा। बाल–श्रम उन्मूलन पर रेखांकित लेख को पढ़ा काफी रोचक लगा। बच्चों को इस शोषण से बचाने के लिए समन्वित दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है। सतत् आर्थिक विकास, आर्थिक व सामाजिक ढांचे का अधिक समतावादी होना, आधुनिक क्षेत्रों का तेजी से विस्तार अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा, कारगर जनसंख्या नीति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में लगातार कमी के ठोस उपाय, रोजगार अवसरों की संख्या में वृद्धि जैसे उपाय बाल–श्रम के उन्मूलन हेतु अति आवश्यक है। जबतक समाज का हर वर्ग, हर तबका हृदय से बाल–श्रम के विरुद्ध प्रवन्त नहीं होगा। तबतक बाल–श्रमिकों की मुक्ति अकल्पनीय है।

पवन कुमार त्रिभुवन, भागलपुर, बिहार

•••

कुरुक्षेत्र का मई अंक पढ़ा। इस अंक के सभी लेख रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगे। खासकर डा. जी.एल. पुणताम्बेकर और डा. डी.के. नेमा के द्वारा लिखा लेख "ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी" पढ़ा और मूल्यांकन करने के लिए मजबूर हो गई और योजनाएं कोई भी क्यों न हों, उनके लाभार्थी गरीब और बेरोजगार न होकर राजनेता और प्रशासन तंत्र ही रहे हैं।

नेहा मधु, पटना

•••

कुरुक्षेत्र का मई अंक पढ़ा। डा. मुकेश शर्मा द्वारा लिखित लेख "बाल मजदूरों का बदहाल बचपन" भारतीय समाज व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति है। बाल मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले प्रयास अंशतः सफल है। लेखक ने बाल– श्रमिकों की संख्या में सकारात्मक कमी लाने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं।

असित कुमार सिंह, सुल्तानपुर, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र का मई अंक पढ़ा 'बाल– मजदूरों का बदहाल बचपन' लेख बाल–श्रमिकों की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के कल–कारखानों में बेहद खतरनाक काम करने वाले बाल–श्रमिक आज भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं।

'भारत के गांव चौपाल से ई–चौपाल की ओर' पढ़कर बड़ी ही सुखद अनुभूति हुई। गांवों का इंटरनेट से जुड़ जाना विकास की प्रथम कड़ी है आशा है जल्दी ही भारत के 'डिजिटल गांवों की संकल्पना पूरी हो सकेगी।

सुधीर कुमार पाण्डेय, कुशीनगर, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र का मई अंक पढ़ा। इस अंक सभी लेख बेहद ज्ञानवर्धक, रोचक एवं समसामयिक जानकारियों से परिपूर्ण थे।

प्रस्तुत अंक में बाल–श्रमिकों की मर्मस्पर्शी एवं दयनीय समस्या, रोजगार गारंटी कानून, मानवाधिकार एवं स्वरोजगार के अंतर्गत काष्ठकला उद्योग जैसे विषयों पर उपलब्ध सटीक जानकारी संग्रहणीय हैं।

डा. मुकेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित 'बाल–मजदूरों का बदहाल बचपन' लेख पढ़कर मन अत्यंत व्यथित हुआ। अन्त में जीवन एस. रजक द्वारा मशरूम की खेती से संबंधित जानकारी ग्रामीण किसानों के लिये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

आलोक रंजन कुमार, सीतामढ़ी, बिहार

•••

कुरुक्षेत्र का मई अंक पढ़ा। बाल श्रमवर केन्द्रित यह अंक अत्यंत उपयोगी रहा। आज भारत के नौनिहालों को जिनके हाथों में पेंसिल और किताब होनी चाहिए; परंतु यह बचपन भी कई परिवारों का भरण–पोषण करता चला आ रहा है। सचमें यह एक विकट स्थिति है जो सोचने पर विवश कर देती है।

दिलीप कुमार, मऊ, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र का मई 2005 का अंक पढ़ा। डा. मुकेश शर्मा द्वारा लिखित लेख "बाल मजदूरों का बदहाल बचपन" भारतीय समाज व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति है। बाल मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले प्रयास अंशतः सफल हैं। लेखक ने बाल–श्रमिकों की संख्या में सकारात्मक कमी लाने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं।

अमित कुमार, लखनऊ

•••

जून के **कुरुक्षेत्र** अंक में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इससे मानव की मानसिकता का स्पष्ट रूप सामने आया।

इस अंक में जैव खेती जैव उर्वरक के बारे में भी भरपूर जानकारी मिली। ज्ञान से पूर्ण तृप्त यह पत्रिका सहृदय प्रशंसा के योग्य है।

सार्चन मित्तल, आगरा, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र का जून अंक पढ़ा। 'प्रत्येक विफलता हमें सफलता के करीब लाती है' संपादकीय में आशावादिता की पराकाष्ठा देखी, अत्यंत सुखद लगा। जैविक कृषि पर केन्द्रित कई लेख ज्ञानवर्धक लगे। जलसंकट पर 'भारत डोगरा' का लेख बड़ा सराहनीय है, इसमें जन सहयोग के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी विचार उपयुक्त है।

ग्रामीण विकास को समर्पित इस पत्रिका के 'जल प्रबंधन' पर सामग्री प्रकाशित कर ग्रामीण स्तर भी जल संरक्षण की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

अमित कुमार द्विवेदी, लखनऊ

•••

जून 2005 का **कुरुक्षेत्र** का अंक अपने आप में कुछ विशेष लेखों के समेटे हुए है। "इलेक्ट्रानिक कचरा पर्यावरण के लिए खतरा" ग्लोबल वार्मिंग : खतरे की घंटी, और रासायनिक खादो का विकल्प जैविक खादे लेख विशेष पठनीय रहें। मेरा एक सुझाव है कि देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों के बारे में बतायें। माह जून का संपादकीय भी विशेष प्रेरणा प्रद है। अच्छे अंक की प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद।

उपकार दत्त शर्मा, मेरठ कैन्ट, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र का जून अंक में पर्यावरण से संबंधित उत्पन्न हो रहे खतरे पर प्रकाश डाला गया। यह एक सराहनीय कदम है कि आपने जनमानस को पर्यावरण से उत्पन्न हो रहे समस्याओं से रूबरू कराया। आप पर्यावरण संकट सिर्फ किसी देश या क्षेत्र तक नहीं सीमित है बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। संपादकीय हम प्रतियोगियो को अत्यंत प्रेरणादायक लगा।

प्रवीण कुमार, पटना

•••

कुरुक्षेत्र पत्रिका का मई–05 अंक में बाल–श्रम उन्मूलन से संबंधित लेख पढ़ा, यह अंक काफी ज्ञानप्रद था एवं बच्चों की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत हुआ। डा. मुकेश शर्मा द्वारा लिखित बाल मजदूरों का बदहाल बचपन में बाल–श्रम जैसे समस्याओं को दूर करने की बातें भी उल्लेखित जो बेहद ही सटीक एवं सरहानीय है।

प्रेम कुमार, पटना,

•••

कुरुक्षेत्र का जून अंक पढ़ा। इस अंक में प्रकाशित संपादकीय के प्रत्येक शब्द प्रेरणादायक एवं सारगर्भित थे, इसके लिए धन्यवाद। इसके अतिरिक्त 'रहिमन पानी राखिए' शीर्षक के तहत जल के महत्ता एवं संरक्षण के प्रति आम जन मानस में जो चेतना पैदा करने का प्रयास किया है, वह सराहनीय है।

मानव के उपभोगवादी प्रवृति के कारण पृथ्वी पर अनेक पर्यावरणीय संकट पैदा हो गये है – ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा ही संकट है। इसके प्रति दुनिया के प्रत्येक देश अभी भी नहीं चेते तो, इसका दुष्परिणाम बहुत भयानक होगा।

रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। इसके विकल्प के रूप में जैविक खादों के बारे में जो जानकारी दी गयी है। वह कृषि से जुड़े व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस अंक में प्रकाशित अन्य आलेख भी ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी है।

संजय सिंह, बलिया, उ.प्र.

•••

आपके पत्रिका **कुरुक्षेत्र** का नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका के माध्यम से "ग्रामीण विकास योजना" संबंधी काफी जानकारी मिलती है। जून, 2005 अंक पढ़ा काफी अच्छा लगा। इस अंक में जैव कृषि से संबंधित और वैट से संबंधित काफी जानकारी हासिल हुआ। इस पत्रिका के माध्यम से मैं अपने गांव में कई ग्रामीण महिला और पुरुष को "रोजगार योजना" संबंधी जानकारी देकर लाभान्वित किया।

पुष्पा कुमारी, अरवल, बिहार

•••

संपादकीय

आज़ादी लायेंगे – आज़ादी पायेंगे

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) – मंगल पांडे

प्रथम तिरंगा लहराया – मैडम भीकाजी कामा

स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है – लाला लाजपत राय

इन्कलाब जिन्दाबाद – भगत सिंह

भारत छोड़ो – महात्मा गांधी

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा – सुभाष चन्द्र बोस

आज़ादी लायेंगे – आज़ादी पायेंगे

आज़ादी लाये हम – आज़ादी पाये हम

देख वतन – देख वतन

जय हिन्द जय हिन्द जय हिन्द

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

ग्रामीणों, गरीबों और निर्बल वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं – एक समीक्षा

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल

हमारे संविधान में उल्लिखित भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रतिस्थापित करने के वायदे को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा गरीबों, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों और निर्बल वर्गों के कल्याण और विकास के लिए अनेक प्रयासों के साथ–साथ उन्हें विशिष्ट प्रकृति वाली अनेक कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने और उन्हें संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश के सभी नागरिकों विशेष रूप से आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों और वंचित वर्गों को प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षित पेयजल, बिजली और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी और बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाने हेतु भी समय–समय पर आवश्यकतानुरूप नई–नई अनेक योजनाओं को संचालित किया गया। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करने का एक प्रमुख उद्देश्य देश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और अमीरी एवं गरीबी के बीच की खाई को पाटना भी रहा है। अब तक संचालित की गई इन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में और कहीं–कहीं अच्छी सफलताएं भी अर्जित हुई हैं लेकिन इन योजनाओं में जिस मात्रा में वर्षानुवर्ष विशाल आर्थिक संसाधन लगाए गए उस अनुपात में इनसे लाभ अर्जित नहीं किए जा सके। इसके लिए यों तो अनेक कारण उत्तरदायी हैं लेकिन विशेष रूप से इन योजनाओं का आवश्यकतानुसार निर्धारण न किया जाना, योजना निर्माण और क्रियान्वयन के बीच विसंगतियों का होना, योजनाओं की क्रियान्वयन मशीनरी की अक्षमता, भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्धन जैसी अनेक कठिनाइयों ने अहम् भूमिका निभाई है। इसी का ही दुष्परिणाम है कि सैकड़ों की संख्या में संचालित की गई इन योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष भारी–भरकम धनराशि व्यय किए जाने पर भी अभी तक देश के करोड़ों लोगों को भीषण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण, भुखमरी जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात दिला पाना सम्भव नहीं हो सका है। नई–नई योजनाओं की घोषणा और उनके संचालन से तात्कालिक रूप से कुछ सम्भावनाओं की किरण नजर अवश्य आने लगती है लेकिन उनके संचालन से वस्तुस्थिति में कितना सुधार आ पाता है इसकी समुचित जानकारी करने को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश भर में ग्रामीण और शहरी गरीबों, वंचित वर्गों तथा अधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समुचित दिशा प्रदान किए जाने हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या ठीक–ठीक कितनी है, इनका कितना और किस मात्रा में असर हुआ है? शायद ही किसी को मालूम हो लेकिन इतना जरूर पता है कि अकेले केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इन विभिन्न योजनाओं की संख्या कम से कम 150 के आस–पास है। इसे सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कि नई सदी के पिछले चार वर्ष में पुनः इनकी संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इन वर्षों के दौरान भी निर्बल और पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास और कल्याण के साथ पिछड़े क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास के नाम पर सरकार द्वारा कई नई–नई योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की गई है। इनमें से कई योजनाओं को संचालित भी किया जाने लगा है तथा कुछ का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है ताकि उनसे निर्धारित समयावधि में वांछित उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999–2000 में सरकार द्वारा योजनाओं की संख्या में कमी लाने और एक समन्वित योजना की शुरुआत करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की छः प्रमुख योजनाओं – आई.आर.डी. ट्राइसेम, सिट्रा, जी.के.वाई. ड्वाकरा तथा मिलियन वैल स्कीम के स्थान पर "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" नाम की एकल योजना की घोषणा की लेकिन उसके बाद भी वर्षानुवर्ष अनेकानेक योजनाओं की घोषणा की जाती रही है और नई सदी के पिछले चार वर्षों में दो दर्जन से भी अधिक नई योजनाओं के संचालन की घोषणा की गई है। वर्ष 1999–2000 के बाद सरकार द्वारा गरीबों और वंचित वर्गों हेतु जिन नई–नई योजनाओं की घोषणा की गई है उनमें स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (2000), बाल विद्या बीमा योजना (2000), जनश्री बीमा योजना (2000), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000), किशोरी शक्ति योजना (2000), क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना (2000), अन्त्योदय अन्न योजना (2000), जलनिधि योजना (2000), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000), खेतिहर मजदूर बीमा योजना (2001), शिक्षा सहयोग बीमा योजना (2001), आश्रय बीमा योजना (2001), सर्वशिक्षा अभियान (2001), महिला स्वाधार योजना (2001), महिला योजना (2001), जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी

योजना (2001), अम्बेडकर–बाल्मिकी मलिन बस्ती आवास योजना (2001), जनरक्षा बीमा योजना (2002), मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (2003), डा. अम्बेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना (2003), सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना (2003), वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना (2003), हरियाली योजना (2003), जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना (2003), असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (2004), रोजगार गारंटी योजना (2004), राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना (2004), वन्दे मातरम् योजना (2004), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (2004), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (2004), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (2004) जैसी दर्जनों योजनाओं को अकेले केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है (देखें तालिका–1)। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा इसी अवधि में अपने निजी संसाधनों से संचालित की जाने वाली ऐसी योजनाओं की संख्या भी दर्जनों में है।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित देश के विभिन्न राज्यों में संचालित की जा रही इससे पूर्व की विभिन्न विकास और कल्याण की योजनाओं पर दृष्टिपात करें तो विदित होता है कि वर्तमान में उक्त वर्णित नई योजनाओं के अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1989), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993), प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम (1995), प्रधानमन्त्री शहरी रोजगार योजना (1997), स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना (1997), शहरी मजदूरी रोजगार योजना (1997), मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (1970), राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (1982), इन्दिरा आवास योजना (1985), कुटीर ज्योति कार्यक्रम (1988), दस लाख कूप योजना (1989), ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1990), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1993), राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (1993), शहरी त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम (1994), ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना (1996), टेक्नॉलाजी मिशन कार्यक्रम (1998), आदि को भी लागू किया जा रहा है। गत कुछ वर्षों में इसी प्रकार कमजोर और पिछड़े वर्गों, बालकों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों आदि को विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके सशक्तिकरण के अहम् उद्देश्यों को लेकर कुछ कार्यक्रमों और योजनाओं को संचालित किया गया जिनमें समन्वित बाल विकास योजना (1975), राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम (1985), व्यापक फसल बीमा योजना (1985), ग्रामीण कुटी बीमा योजना (1989), ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना (1989), बाल श्रम उन्मूलन योजना (1994), राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (1995), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (1995), राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1995), बालिका समृद्धि योजना (1997), प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (1997), लक्ष्य आधारित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम (1997), शहरी क्षेत्रों हेतु महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम (1997), महिला स्वाधार योजना (2001), महिला स्वयं सिद्धा योजना (2001), आदि उल्लेखनीय हैं।

तालिका–1

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी/विकास की नई योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के प्रमुख लक्ष्य	अन्य विवरण
1.	खेतिहार मजदूर बीमा योजना	ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खेतिहार मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के साथ 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना।	वर्ष 2000–2001 के बजट सत्र में घोषित इस योजना को 1 जुलाई, 2001 से पूरे देश में लागू किया गया है।
2.	शिक्षा सहयोग बीमा योजना	गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 100 रुपये प्रतिमाह शिक्षा भत्ता प्रदान करना।	इस योजना की घोषणा वित्त मन्त्री द्वारा 2000–01 के बजट सत्र में की गई।
3.	आश्रय बीमा योजना	उदारीकरण के फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों से छंटनीशुदा कर्मचारियों/विस्थापित श्रमिकों हेतु स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	वर्ष 2000–01 के बजट सत्र में इस योजना को प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।
4.	शैक्षणिक ऋण योजना (ज्ञान ज्योति)	देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को 7.5 लाख तक तथा विदेश में पढ़ने वाले बच्चों हेतु 15 लाख तक का ऋण अपनी पढ़ाई पूरी करने हेतु आसान शर्तों पर प्रदान करना।	इस योजना की घोषणा भी वर्ष 2000–01 के बजट सत्र के दौरान की गई।
5.	किशोरी शक्ति योजना	चिन्हित किशोरियों को पोषाहार देने के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	आई.सी.डी.एस. ।।। कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित यह नई योजना है।

6.	सर्वशिक्षा अभियान	6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा सुनिश्चित करना।	सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अगले 10 वर्षों में प्रदान करने हेतु यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।
7.	महिला स्वाधार योजना	कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।	इन दोनों (क्र. सं. 7 और 8) योजनाओं की घोषणा जुलाई, 2001 में मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा की गई।
8.	महिला स्वयं–सिद्ध योजना	महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करना।	पूर्व से संचालित इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना के स्थान पर महिला स्वयं सिद्ध योजना संचालित की जा रही है।
9.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना तथा वहां गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।	योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2001 को की गई। इस योजना में मजदूरी के रूप में नकद राशि के साथ अनाज भी दिया जाएगा। योजना हेतु 10 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे।
10.	अम्बेडकर–बाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना	शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े, कमजोर वर्गों के लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराना।	योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2001 को की गई। योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2000 करोड़ रूपये का ऋण तथा 1000 करोड़ रुपये का ऋण तथा 1000 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रविधान किया गया है।
11.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं किशोरियों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करना।	इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा द्वारा 15 अगस्त, 2001 को की गई।
12.	महिला उद्यमियों हेतु ऋण	महिला उद्यमियों को अगले तीन वर्षों तक सार्वजनिक बैंकों द्वारा कुल ऋण के रूप में उपलब्ध कराना।	15 अगस्त, 2001 को इस योजना की की घोषणा प्रधानमन्त्री द्वारा की गई।
13.	सेना परिजन आवास योजना	सेना के जवानों के परिवारों के लिए अगले चार वर्षों में तीन लाख मकानों का निर्माण किया जाना।	इस योजना की घोषणा, 15 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री की घोषणा की गई।
14.	जय प्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना	देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जनपदों में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना।	फरवरी, 2002 में हुए बजट में वित्त मंत्री वित्त मन्त्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई।
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर	अल्पसंख्यक लड़कियों के शैक्षिक विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2003 को घोषणा की गई।
16.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा	गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान करना।	वर्ष 2003–04 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2003 को घोषित तथा 14 जुलाई, 2003 को प्रधानमन्त्री द्वारा प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

17.	वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना	वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आजीवन नियमित पेन्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	वर्ष 2003–04 को बजट पेश करते हुए हुए वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2003 को घोषित तथा 14 जुलाई, 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।
18.	जननी सुरक्षा योजना	गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण के बाद से शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना।	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2003) को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्यमंत्री द्वारा घोषित।
19.	जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना	18 से 50 वर्ष आयुवर्ग वाली महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना।	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (मार्च, 2003) को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्यमंत्री द्वारा घोषित।
20.	हरियाली योजना	कठिनाई वाले क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निवारण एवं बंजर भूमि में सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	27 जनवरी, 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।
21.	डा. अम्बेडकर शैक्षिक पारितोषिक योजना	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहि करना।	17 फरवरी, 2003 को उप प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के मेघावी छात्रों हेतु योजना की घोषणा की गई।
22.	असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	फरवरी, 2004 में इस योजना को श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।
23.	रोजगार गारन्टी योजना	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक गरीब परिवार में से एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना।	देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की भयावहता को कम करने हेतु इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया।
24.	वन्देमातरम योजना	गर्भवती महिलाओं की प्रत्येक माह मुफ्त जांच तथा आवश्यक दवाएं उपलबध कराना।	केन्द्र सरकार द्वारा माह फरवरी, 2004 से गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार हेतु निजी चिकित्सकों की सहायता से योजना लागू की गई है।
25.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना	शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करना।	पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय खोलने हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के संचालन की मार्च, 2004 में स्वीकृति प्रदान की गई।
26.	राजीव गांधी स्वयंप्रकाश योजना	अभी तक अविद्युतीकृत गांवों में से 25 हजार को ऊर्जामय करना।	केन्द्री अपराम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा 15 जून, 2004 को इस योजना की घोषणा की गई।
27.	वर्षा बीमा योजना	वर्षा की अनिश्चितता से कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।	एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंश कंपनी ऑफ इण्डिया के द्वारा जुलाई, 2004 में इस योजना का प्रयोग के तौर पर चार राज्यों में प्रारम्भ किया गया है।

28.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित अर्थात 9 प्रतिशत ब्याज/रिटन प्रदान करना।	2 अगस्त, 2004 से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में लागू की गई वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना के स्थान पर संशोधनों के साथ लागू की गई।
29.	जल संचयन योजना	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।	200 करोड़ रुपये के परिव्यय और 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी के प्राविधान सहित केन्द्र सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2004 में घोषित की गई।
30.	काम के बदले अनाज योजना	देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सम्वर्द्धन तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।	केन्द्र सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2004 से देश के 150 पिछड़े जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
31.	दुर्घटना बीमा योजना	छोटे किसानों को बिना किसी प्रीमियम के दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना।	जनवरी, 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना के अन्तर्गत चाय, काफी, रबड़ तथा तम्बाकू उगाने वाले छोटे किसानों को बिना किसी प्रीमियम के 25 हजार रुपये का बीमा कराने की व्यवस्था है।

विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा संचालित कल्याण और विकास की योजनाएं

उपर्युक्त में से अधिकांश केन्द्रीय योजनाएं लगभग सभी राज्यों में आवश्यकतानुसार भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से पुरोनिधानित योजनाओं के रूप में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाओं को जिनकी घोषणा हाल ही में की गई है, को भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाना है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित इन योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा भी अपनी स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्बल और वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट प्रकृति की अतिरिक्त योजनाएं भी संचालित की गई हैं। इन योजनाओं पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय स्वयं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से ही वहन किया जाता है। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गत दो तीन वर्षों में शहरी क्षेत्रों के तकनीकी बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु श्याम प्रसाद मुखर्जी स्वरोजगार योजना, नगरीय क्षेत्रों के दलित, अति पिछड़े वर्ग, आश्रयहीनों को आवास और दुकानों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवास एवं रोजगार योजना, प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य 119 नगरीय मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए महर्षि बाल्मिकी मलिन बस्ती सुधार योजना, स्कूली बच्चों और उनकी माताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु असंगठित दुर्घटना बीमा योजना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, महिला समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महिला समूह सामाजिक सुरक्षा योजना, ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को चिन्हित कर रोजगार कार्यक्रमों और योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु "रोजगार संकल्प योजना" के अतिरिक्त धनवन्तरि जल आरोग्य बीमा योजना, अव्वल नम्बर पुरस्कार योजना, कन्यादान योजना, कारीगरों–श्रमिकों हेतु बीमा सुरक्षा योजना आदि संचालित की गई।

वर्ष 2004–05 में प्रदेश सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से गांवों के समग्र विकास करने के अहम् उद्देश्य से चिन्हित गांवों में सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लोहिया ग्राम विकास योजना, प्रदेश में कृषि की दृष्टि से पिछड़े जिलों में कृषि विकास के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विकास परियोजना, कृषकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु खातेदार और सहखातेदार किसानों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, श्रमिकों के पुत्र–पुत्रियों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु श्रम कल्याण योजना, गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कन्या विद्याधन योजना, अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करने हेतु विशेष ऋण योजना जैसी कई योजनाओं को संचालित किया गया है। गांवों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 से मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग योजना के नाम से एक नई योजना संचालित करने की भी घोषणा की गई है।

उत्तर प्रदेश की ही भांति अन्य कई राज्य सरकारों द्वारा भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाती रही है। जैसे राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम स्वरोजगार योजना (2001), राजीव स्वावलम्बन योजना (2002), छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन्दिरा गांव गंगा योजना (2002), बिहार सरकार द्वारा कोशी अमृत पेयजल योजना (2002), घोषित की गई। इसी प्रकार प्रोजेक्ट शिक्षा योजना (2003), को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रदेश में स्कूली शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को

विशेष कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु संचालित किया गया है। यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना (2003), को कर्नाटक सरकार द्वारा किसानों के लिए नाममात्र के प्रीमियम के भुगतान पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क बीमा योजना (2003) को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति रुझान उत्पन्न करने तथा छात्राओं हेतु सावधि जमा योजना (2003), को झारखण्ड सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं हेतु मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2004 में भी ऐसी कई योजनाओं के संचालन की घोषणा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई है जैसे हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में बालिकाओं के ड्राप आउट रेट को कम करने के उद्देश्य से पांचवीं कक्षा से ऊपर की छात्राओं हेतु स्कूल आने हेतु निःशुल्क साइकिल योजना (2004), छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे सभी परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो की अति किफायती दर पर आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ अमृत योजना (2004), गरीबों को मुफ्त गैस सिलेण्डर और गैस चूल्हा उपलब्ध कराने हेतु गृहलक्ष्मी योजना (2004), मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए ग्रामीण आजीविका योजना, गांवों के स्तर पर सभी कोषों को जमा करके गांवों का समग्र विकास करने के उद्देश्य से गोकुल ग्राम योजना (2004), झारखण्ड सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करने वाली बेटी विवाह योजना (2004), सभी जरूरत मंदों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राशन टिकिट योजना (2002), निशक्तजनों को स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से विश्वास स्वरोजगार सहायता योजना (2004) के नाम से नई योजनाओं को प्रारम्भ करने हेतु घोषणाएं की गई हैं।

तालिका–2

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित/संचालित नई कल्याणकारी योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	संचालनकर्ता प्रदेश	अन्य विवरण
1.	श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्वरोजगार योजना	उत्तर प्रदेश	शहरी क्षेत्रों के तकनीकी बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
2.	महर्षि बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना		अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय मलिन बस्तियों का सर्वांगीण विकास करना।
3.	आवास एवं रोजगार योजना	उत्तर प्रदेश	नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले दलित, अति पिछड़े वर्ग, आश्रयहीनों को एक लाख आवासों एवं 10 हजार दुकानों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।
4.	स्कूली बच्चों हेतु सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना	उत्तर प्रदेश	6 से 16 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों और उनकी माताओं को दुर्घटना से मृत्यु या अपंग हो जाने पर 25 हजार रुपये तक की सुरक्षा प्रदान करना।
5.	असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	उत्तर प्रदेश	असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु पति–पत्नी दोनों में से किसी की भी मृत्यु पर 25 हजार रुपये के बीमे द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
6.	महिला समूहों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	उत्तर प्रदेश	महिला समूहों की सदस्याओं की अपंगता या मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये के बीमे द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
7.	रोजगार संकल्प योजना	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को चिन्हित रोजगार कार्यक्रमों और योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित करना।
8.	धनवन्तरि जन–आरोग्य बीमा योजना	उत्तर प्रदेश	मलिन बस्तियों में निवास कर रहे शहरी गरीबों के परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
9.	अव्वल नम्बर पुरुस्कार योजना	उत्तर प्रदेश	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले मलिन बस्तियों के बच्चों को प्रेरित करना।
10.	कन्यादान योजना	उत्तर प्रदेश	शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करना।
11.	कारीगरों–श्रमिकों हेतु बीमा सुरक्षा योजना	उत्तर प्रदेश	लोहारों, स्वर्णकारों, कुम्हारों जैसे कर्मकारों हेतु सरकारी सहयोग से बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
12.	लोहिया ग्राम विकास योजना	उत्तर प्रदेश	सुविधाओं की दृष्टि से विशेष रूप से वंचित गांवों में आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करना।
13.	कन्या विद्याधन योजना	उत्तर प्रदेश	गरीब परिवारों की लड़कियों को 12वीं पास करने पर एकमुश्त धनराशि प्रदान करके बालिका शिक्षा को प्रत्साहन देना।

14.	निःशुल्क कुक्कुट पालन योजना	उत्तर प्रदेश	मुर्गी–पालन के माध्यम से गरीब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुफ्त चूजे तथा व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना।
15.	कृषि आमदनी बीमा योजना	उत्तर प्रदेश	फसल एवं बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई कराना।
16.	चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना	उत्तर प्रदेश	सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने हेतु नहरों की पटरियों को पक्का करना, नहरों की नियमित सफाई कराना तथा आवश्यक पुलियों का निर्माण कराना।
17.	किसान दुर्घटना बीमा योजना	उत्तर प्रदेश	किसी भी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने या विकलांग हो जाने पर आश्रितों को या उन्हें एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
18.	चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना	उत्तर प्रदेश	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु जरूरतमंद क्षेत्रों में नलकूपों की स्थापना करना।
19.	त्वरित आर्थिक विकास योजना	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार करना।
20.	प्रोजेक्ट शिक्षा योजना	उत्तरांचल	स्कूलों, शिक्षकों एवं विधार्थियों को विशेष कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कर कम्प्यूटर के क्षेत्र में दक्ष बनाना।
21.	राजीव स्वावलम्बन योजना	मध्य प्रदेश	ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार में सहायता प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।
22.	ग्राम स्वराज योजना	मध्य प्रदेश	गांवों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में विकसित करना।
23.	अनुसूचित जाति राहत सहायता	मध्य प्रदेश	अनुसूचित जाति के निर्धन और असहाय लोगों को तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाना।
24.	विशेष ध्वज योजना	मध्य प्रदेश	अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए बीज वितरण की समुचित व्यवस्था किया जाना।
25.	स्वास्थ्य जीवन सेवा गारन्टी योजना	मध्य प्रदेश	गांवों में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराकर वहां के लोगों को स्वच्छता और सेहत के प्रति जागरूक बनाना।
26.	ग्रामीण आजीविका योजना	मध्य प्रदेश	आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी निवारण हेतु रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करना।
27.	गोकुल ग्राम योजना	मध्य प्रदेश	गांवों के स्तर पर उपलब्ध होने वाले सभी सरकारी कोषों को जमा करके गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
28.	इंदिरा गांव गंगा योजना	छत्तीसगढ़	प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्थायी जल स्रोत की व्यवस्था किया जाना।
29.	इंदिरा सहारा योजना	छत्तीसगढ़	18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की निराश्रित, विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन तथा स्वरोजगार हेतु सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
30.	इंदिरा सूचना शक्ति योजना	छत्तीसगढ़	गरीब छात्राओं को सूचना प्रोद्योगिकी की शिक्षा और प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना।
31.	इंदिरा हरेली–सहेली योजना	छत्तीसगढ़	गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जीविकोपार्जन हेतु एक हेक्टेयर भूमि का पट्टा प्रदान करना।
32.	राजीव ज्ञानोदय योजना	छत्तीसगढ़	समाज में ज्ञान का विस्तार करने हेतु प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी स्कूल या पंचायत भवन में पुस्तकालय की स्थापना के साथ राज्य भर में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना।
33.	राजीव सूचना शक्ति योजना	छत्तीसगढ़	ग्रामीण युवकों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।
34.	राजीव किसान–मितान योजना	छत्तीसगढ़	कृषकों को जीवन में समृद्धि लाने हेतु उन्हें खेती की नवीन तकनीक की जानकारी और सुविधाएं प्रदान करना।
35.	छत्तीसगढ़ अमृत योजना	छत्तीसगढ़	गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे सभी परिवारों को 25 पैंसे प्रतिकिलो मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

कृषि विकास से जुड़े मुद्दे

गिरीश चन्द्र पाण्डेय

हाल ही में सरकार ने कृषि संबंधी स्थायी संसदीय समिति की पहली रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रस्थिति पर संसद में वक्तव्य देते हुए सूचित किया कि इस समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। साथ ही उन्होंने निजी तथा सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु विपणन सुधारों की शुरुआत करते हुए कृषि निवेश में वृद्धि करने का उल्लेख किया। सरकार ने पहले ही कृषि ऋण को दोगुना करने, ऊसर भूमि पर कृषि संबंधी विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने, कृषि अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने, ग्रामीण आधारभूत ढांचा तथा सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने जैसे अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं। राज्यों के लिए यह विकल्प है कि वे कृषि योजना के वृहद् प्रबंध के तहत अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन करें। सरकार ने किसानों में बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने हेतु बैंकों को स्थायी मार्गनिर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि प्राकृतिक आपदाओं के शिकार किसानों को तुरंत राहत प्रदान की जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी सटीक मौसम की भविष्यवाणी करने हेतु आधुनिक उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु 500 करोड़ रुपये के पैकेज़ की घोषणा की है। साथ ही कृषि विविधीकरण के तहत सरकार का फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध उद्योग, मुर्गी–पालन, मत्स्य–पालन, तिलहन तथा दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर है, इस हेतु सरकार 10वीं योजना के दौरान तिलहन, दालों, पाम ऑयल तथा मक्का की एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित योजना का कार्यान्वयन कर रही है। भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् तथा राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों ने तिलहन तथा दालों की अच्छी फसल देने वाली किस्मों, संकर बीजों, बाढ़ सक्षम किस्मों का विकास किया है। वर्ष 2004–05 में 1000 करोड़ की तुलना में 2005–06 में 1,150 करोड़ रुपये कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर रखे गए हैं। 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए वर्ष 2005–06 में 630 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिनसे एकीकृत ढंग से एक ही स्थान पर अनुसंधान, उत्पादन, फसल पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए एक सर्वांगीण नीति की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। मिशन जैसे–जैसे गति पकड़ेगा उसे उसी अनुपात में और अधिक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। सूक्ष्म सिंचाई के तहत वर्ष 2005–06 में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिले। इसमें टपकाव तथा छिड़काव सिंचाई शामिल है। इससे निःसंदेह जल उपयोग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अभी तक लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है तथा दसवीं योजना के अंत तक 3 मिलियन हेक्टेयर तक तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक 14 मिलियन हेक्टेयर तक इसका विस्तार करने की योजना है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 80 के दशक के मध्य कृषि उत्पाद बढ़त दर 3.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी परंतु उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी गयी और वर्तमान में यह 1.5 प्रतिशत पर स्थिर है। यह भी स्मरणीय है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 24 प्रतिशत है लेकिन कृषि में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.3 प्रतिशत है! यह भी एक विडम्बना है कि भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है लेकिन भण्डारण, प्रसंस्करण और विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हर साल बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की बर्बादी होती है। एक अनुमान के अनुसार भण्डारण व्यवस्था के अभाव में लगभग 37 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में भण्डारण की समस्या संतोषजनक नहीं है यद्यपि गुजरात में गैर–सरकारी एजेंसियों के सहयोग से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया है। कीटनाशकों के भारी उपयोग से भी भूमि की उर्वरता समाप्त हुई है। खबर है कि हरियाणा तथा पंजाब में मिट्टी में जिंक, कॉपर, आयरन, मेंगनीज जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई गयी है जबकि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से ये दोनों राज्य अग्रणी हैं।

दसवीं योजना (2002–07) की मध्यावधि समीक्षा में अर्थव्यवस्था के जिन सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गयी है उनमें कृषि को प्रमुख स्थान दिया गया है उसके बाद जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी पुनर्निर्माण तथा आधारभूत ढांचे का स्थान आता है। प्रधानमंत्री ने योजना आयोग की पूर्ण बैठक में इस बात को स्वीकार किया कि कृषि पर उचित ध्यान न देने की वजह से विकास दर अपने निर्धारित लक्ष्य यानी 8 प्रतिशत को प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए उन्होंने कृषि में सार्वजनिक निवेश तथा आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया है।

प्रश्न है कि कृषि को कैसे लाभकारी बनाया जाए? इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कृषि क्षेत्र हेतु दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी आज की वास्तविकता है। लेकिन कृषि के साथ ही हमें ग्रामीण स्वास्थ्य, विद्युतीकरण तथा सड़कों के विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा, गांवों में परंपरागत और बागान तथा लघु उद्योग को पुनरुज्जीवित करना होगा, गांवों में खादी तथा ग्रामोद्योग की इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके अलावा, सिंचाई और बंजर भूमि विकास तथा कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त सरकारी निवेश की व्यवस्था करना,

किसानों के लिए उदार शर्तों पर बैंक कर्जों की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। चूंकि आज भी भारतीय कृषि मानसून के अनिश्चित मिजाज पर निर्भर है जिस कारण वह अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी समस्याओं से अभिन्न रूप से जुड़ी है। इसलिए जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना, बाढ़ प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भू–क्षरण नियंत्रण पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। इस संबंध में सरकार का यह प्रयास सराहनीय है कि वह ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों, ग्रामीण स्टालों तथा ग्राम सूचना केन्द्रों की संरचना का उपयोग करके एजेंसी माडल के रूप में बैंकों को अनुमति देने संबंधी मुद्दे पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर रही है। इसके अलावा, सरकार सहकारी बैंक प्रणाली के लिए अपेक्षित सुधारों पर विचार करने के लिए गठित कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रति भी गंभीर है ताकि इन बैंकों से कृषि ऋण का प्रवाह निर्बाध रूप से हो। यहां नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। निश्चित तौर पर ग्रामीणों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने, ऋण सहायता और स्वयं समूहों का निर्माण कर उन्हें स्वयं की सहायता करने हेतु प्रेरित कर ग्रामीणों को उनकी रुचि के अनुकूल कार्यों में दक्ष बनाकर जीविका अर्जन हेतु सक्षम बनाने में नाबार्ड की भूमिका सराहनीय है। सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड को अनुमति भी प्रदान की है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई पर सतत जोर देना भी जरूरी है। स्मरण रहे सूक्ष्म सिंचाई कम दाब, कम मात्रा की सिंचाई प्रणाली है जो अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है। कृषि क्षेत्र में इसके जरिए क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है।

यद्यपि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों से भारतीय बीज बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा होने की कोई संभवना नहीं है क्योंकि किसानों के हितों की रक्षा हेतु बीज कानून, 1966 तथा पौध विभिन्नता व किसान कुछ ब्रांडेड बीजों को छोड़कर बिना पंजीकरण के बीजों को सुरक्षित रखने, उनका इस्तेमाल करने, बोने और अपनी फसल को बेचने के अधिकारी हैं। लेकिन यहां यह ध्यान में रखना जरूरी है कि खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में देश में भारी क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है। एक ओर तो पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्य बम्पर फसल उगाने के रूप में ख्यात हैं तो वहीं दूसरी ओर कालाहांडी, पलामू, सरगुजा तथा रेगिस्तानी क्षेत्र के ग्रामीण दाने–दाने को मोहताज हैं। पहाड़ी इलाकों की जोत का आकार छोटा है तथा वे दूर–दूर तक छिटके हैं। इसलिए पर्याप्त मेहनत के बावजूद वहां लोगों के लिए वर्ष भर का अनाज नहीं होता। इसलिए प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्म के बीजों पर अनुसंधान होना और उनकी किसानों के लिए उपलब्धि सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इस संबंध में सरकार द्वारा बीटी कॉटन की चार संकर किस्मों को मंजूरी प्रदान कर उन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में व्यावसायिक बुआई हेतु जारी करना भी एक सराहनीय कदम है। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जीएम फसलों के संबंध में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रो. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यबल ने कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में जो विस्तृत रोडमैप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस संबंध में सरकार को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रो. स्वामीनाथन का स्पष्ट मत है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी दूर करने हेतु वहां अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने भी आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संपूर्ण देश में ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की है। निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रो. स्वामीनाथन किसानों के हितों के लिए सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के भी पक्षधर हैं।

यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि क्यों न हम उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद को प्रोत्साहन दें। हम ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को रासायनिक खादों में अनुदान न देकर उन्हें जैविक खाद के उपयोग हेतु प्रेरित करें। अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों में जैविक खाद द्वारा उत्पादित अन्न, फल, सब्जियों की मांग है जबकि भारत में स्थिति विपरीत है। इसलिए रासायनिक खाद के स्थान पर हमें अपने पशुधन के संरक्षण के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। गोवंश के गोबर से बनने वाली केंचुआ खाद से भारतीय कृषि में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे रासायनिक खादों पर निर्भरता तो घटेगी ही साथ ही मिट्टी के पोषक तत्वों के क्षरण पर भी रोक लगेगी।

यहां पर हमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि मौजूदा दौरान में भारतीय कृषि को डब्ल्यूटीओ की भेदभावपूर्ण कृषि सब्सिडी की वजह से भी चुनौतियां मिल रही हैं और सरकार विकसित देशों की इस भेदभावपूर्ण नीति का डटकर मुकाबला भी करती रही है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि विकसित राष्ट्र का सपना भारत में तभी फलीभूत हो सकता है जबकि हम ग्रामीणों को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय कृषक को केन्द्र में रखते हुए कृषि के विकास और अनुसंधान के अलावा उसके विविधीकरण की दिशा में एक दूसरी हरित क्रांति का आगाज करें। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड-4, तल-7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

कोयला राख : एक कीमती संसाधन

एस.एस. सैनी

प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास के फलस्वरूप ताप विद्युत घरों से निकली कोयला राख एक बेशकीमती संसाधन का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों की स्थापना सर्वप्रथम 1950 के दशक में बोकारो में हुई थी। तब से ही कोयले के एक अपशिष्ट अंशीय पदार्थ राख का भी साथ–साथ उत्सर्जन शुरू हो गया था। तब संयंत्रों के आस–पास खाली पड़ी भूमि पर या नदियों के किनारे इस राख को डंप किया जाता रहा। लेकिन अब भारी मात्रा में जमा होने से यह पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से समस्या बनती गई तो इसके समाधान को लेकर चिन्तन, मनन और शोध शुरू हुआ।

दामोदर घाटी निगम ने सबसे पहले कोयला राख की समस्या से निपटने को कमर कसी थी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों से राख पर शोध एवं इससे भवन सामग्री विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का गठन किया गया था। थर्मल पावर प्लांट्स लगाने की योजना पर भी अमल शुरू हुआ। प्लांटस लगते गए, कोयला राख का उत्पादन भी बढ़ता गया और 20 वीं सदी के आखिरी वर्ष तक देश में ताप बिजली घरों से 100 मिलियन टन कोयला राख का उत्सर्जन हो रहा था। अब यह बढ़कर 120 मिलियन टन हो गया है।

दामोदर घाटी निगम ने गंभीर रुख अपनाते हुए कोयला राख का अन्यत्र उपयोग शुरू किया था। तब हर माह बोकारो, दुर्गापुर व चंद्रपुर प्लांट्स से ही डेढ़ लाख टन कोयला राख पैदा होने लगी थी। इस प्रोजेक्ट से कोयला राख लेकर स्थायी शोध कार्य शुरू हो सका था और इसके परिणाम भी सकारात्मक रहे। शोध में कोयला राख का प्रयोग भवन सामाग्री के रूप में होने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा। परीक्षणों के बाद कोयला राख से ईंटें व ब्लॉक आदि बनाने के लिए मशीन भी इजाद कर ली गई थी। अब मशीनों व हाथ से ही सांचों की मदद से ईंटें बनाने का काम हो रहा है। इसलिए कोयला राख पर जरूरत और वैज्ञानिक शोध करने व उसे व्यावहारिक रूप देने की समझी गई। विशेषज्ञों की राय थी कि कोयला राख से निर्मित भवन सामग्री को प्रयोगशाला से फील्ड तक ले जाने के लिए एनटीपीसी ही पहल करेगी। इसके बाद एनटीपीसी ने अपने ही कॉलोनियों, इनकी सड़कों व प्लांट्स की इमारतों के निर्माण में कोयला राख से बनी ईटों व ब्लाक्स आदि का प्रयोग शुरू किया था और अब भी निगम और राज्यों के ताप बिजलीघर ईंट उद्योगों को प्रोत्साहित व प्रेरित करने के लिए इस अभियान में लगे हैं।

कोयला राख (फ्लाई ऐश) क्या है?

ताप बिजलीघरों में बिजली उत्पादन में कोयले का प्रयोग होता है। भारतीय कोयले में राख का अंश 25 से 40 प्रतिशत होता है। यही अंश कोयले के प्लांट में भस्मीकरण होने के बाद राख में बदल जाती है। कोयला राख मुख्यतः तीन प्रकार की होती है नम, शुष्क और कुंड राख। शुष्क राख पर्यावरणीय दृष्टि से जन स्वास्थ्य के लिए हानिकर होती है। क्योंकि हवा में उड़कर यह सांस के साथ फेफड़ों में प्रविष्ट होने पर संक्रमण पैदा करती है। नम राख से यह नुकसान होने का खतरा काफी कम होता है। शुष्क कोयला राख बिजली घरों की इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों से एकत्रित की जाती है। यह पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट व मसाला, ईटों, भवन ब्लाक पवनीत कंकरीट बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। दूसरी श्रेणी की तल राख बिजली घर के बायलरों से एकत्रित की जाती है। उसका इस्तेमाल सड़क निर्माण व तटबंध, भराव में बेहतर पाया गया है।

तीसरी श्रेणी कुंड (तालाब) राख की है। यह शुष्क राख व तल राख में जल मिलाकर बनाई जाती है। किसी भी तालाब में उपर्युक्त दोनों प्रकार की राख को डम्पिंग पानी भर दिया जाता है। भीग कर राख तो तली में नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर निकाल दिया जाता है। इसका इस्तेमाल भी तटबंध व सड़क निर्माण तथा रिक्त स्थानों की भराई में किया जाता है।

कोयला राख एक उत्कृष्ट भवन सामग्री

ताप बिजलीघरों की राख 21 वीं सदी की एक उत्कृष्ट भवन सामग्री बन गई है। इसका उपयोग ईंट, ब्लॉक, सीमेंट निर्माण एस्बेस्टस चादरें व अन्य सामग्री बनाने, सड़क निर्माण में कोयला निकालने के बाद खानों की भराई में, सेल्यूलर कंक्रीट निर्माण, हल्की गिट्टियां बनाने, कंक्रीट व गारा मिश्रण बांध निर्माण, भराव व भूमि के विकास आवश्यक पेड़ों को उगाने के लिए मृदा परिवर्तन, कृषि स्रोत के रूप में व मिट्टी के बर्तन, गमले आदि बनाने में उत्कृष्ट सामग्री सिद्ध हो चुका है।

कोयला राख में ज्वलनशील तत्व नहीं के बराबर होने से इसके संग्रहण की नई तकनीकों पर भी वैज्ञानिक ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। भराव व तटबंधों के निर्माण में कोयला राख का एक बड़ा लाभ यह है कि इसका घनत्व कम होने से ऊपरी दबाव घट जाता है। इसके अलावा कमजोर चिकनी मिट्टी में मिलाने में भी लाभकारी है। बरसात के मौसम में भी ईंटें बनाने में परेशानी नहीं होती।

सड़क निर्माण में निचले आधार में तल राख का सीधा उपयोग संभव है। सख्त फर्शबंदी में भी सीमेंट व महीन बजरी की जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। इनके अलावा आई.एस.–1489 के मुताबिक उड़न राख आधारित पोट्रलैंड सीमेंट (पीपीसी) निर्माण में भी कोयला राख का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। इसके मिश्रण से निर्मित सीमेंट सामान्य पीपीसी के ग्रेड 33 के बराबर ताकतवर है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी सीमेंट कंक्रीट में कोयला राख को मिलाने से कंक्रीट की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। हल्के पवनीत कंक्रीट उत्पादों में इसी आधार पर उड़न राख के मिश्रण में राख मिश्रित ब्लाकों के इस्तेमाल से उनके समग्र भार में परम्परागत ईंटों की तुलना में 40 प्रतिशत तक की कमी, लागत में 50 प्रतिशत तक बचत

और मसाले की खपत में भी तो 80 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे भवनों में थर्मल इंसुलेशन व ध्वनि रोधक क्षमता होने से इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

शोध द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि कोयले की मात्रा 90–95 प्रतिशत तथा 5–10 प्रतिशत पीपीसी (सीमेंट) मिश्रण से तैयार राख भराव सामग्री से सड़कों की दरारें व भूमि–भवनों के कटाव–भराव करने में सफलता मिली है।

कृषि भूमि की गुणवत्ता में सहायक : आंध्र प्रदेश में इंसारब नामक एनजीओ द्वारा किये शोध के मुताबिक कोयला राख से कृषि मिट्टी के पीएच तत्वों में सुधार होता है। कोयला राख को मिट्टी की भौतिक व रसायन विशिष्टताओं को बढ़ाने तथा अनिवार्य पादप पोषक के स्रोत के रूप में भी किया जाना संभव है। ऐसे प्रयोग सभी थर्मल पावर सयंत्रों में किए गए हैं। इंसारब के निदेशक एन. कालिदास के अनुसार किसी भी महानगर में ईटों की सप्लाई 100–150 किमी दूर क्षेत्र से होती है। जबकि थर्मल पावर प्लांटस इनके नजदीक होते है, इससे ढुलाई खर्च में भी बचत होती है। एन.टी.पी.सी का दादरी व पानीपत समेत अन्य इकाईयों द्वारा उड़न राख को भूमि संरक्षण में उपयोगी पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी की उपजाऊ परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिसे परम्परागत ईंट भट्टों द्वारा बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है। इसी कारण उपजाऊ मिट्टी की परत को बचाने के लिए भी कोयला राख से ईंट व अन्य भवन सामग्री के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।

पर्यावरण अनुकूल भवन सामग्री

उड़न राख के मिश्रण से बनी भवन सामग्री ईंटें ब्लाक आदि पर्यावरण अनुकूल सिद्ध हो रही है। डंपिग साइट्स पर सूखी राख से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिली है। दूसरे, यह भवन सामग्री परंपरागत ईंटों से निर्माण से उपजाऊ कृषि भूमि को हो रही हानि को रोकने में मददगार सिद्ध हो रही है। इस सामग्री को पकाने में ईंधन की जरूरत नहीं पड़ने से भी भट्टों के चलने से पर्यावरण को होने वाला नुकसान रुक रहा है। मिट्टी की उतनी ही मात्रा में इस राख के उपयोग से 40 फीसदी ईंटें ज्यादा बन सकती हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयला राख के इस्तेमाल से संबंधित 14 सितम्बर, 1999 को अधिसूचना जारी की थी जिसमें ताप बिजलीघरों के 50 किमी दायरे में स्थित भट्टों को एक चौथाई राख ईंटें बनाने में लगाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। इसके बाद अगस्त 2003 में इस अधिसूचना में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि बिजली घरों के इसी दायरे में कार्यरत निर्माण एजेंसियों के लिए राख मिश्रित ईंटों का उपयोग अनिवार्य किया गया है तथा इसका पालन नहीं करने पर एक लाख रुपए जुर्माना व पांच साल की सख्त कैद का प्रावधान रखा गया है।

ईंटों का मानकीकरण : भारतीय मानक ब्यूरो ने मिट्टी व राख मिश्रित ईटों का मानकीकरण किया है। इसका आई एस– 13757–1993 कोड जारी किया गया है। बीएचईएल हरिद्वार, सैन्य छावनी, रुड़की बाल्को, एनटीपीसी, रामागुंडम व फरक्का, एफसीआई, रामागुंडम तथा सरदार सरोवर निगम वड़ोदरा में इनका व्यापक प्रयोग किया गया है। क्योंकि परीक्षणों में ये ईंटें अधिक टिकाऊ व मजबूत पाई गई हैं। भराव व तटबंध निर्माण में कोयला राख के भराव के लिए भी 10153 कोड जारी किया गया है।

इनके अलावा अभी तक जहां राख मिश्रित भवन सामग्री व राख का व्यापक प्रयोग एनटीपीसी व अन्य जगहों पर किया गया है उनमें दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद पानीपत प्लांटस की कॉलोनियां हैं इनके अलावा विशाखापट्टनम पेपरबोर्ड मिल कॉलोनी भद्राचलम कोयला राख की मिश्रित ईंटों से बनी है। दिल्ली में निजामुद्दीन पुल की अप्रोच में डेढ़ लाख टन, मैट्रो रेल कॉरपोरेशन के डिपो निर्माण में 15 लाख टन आई ओ सी के बॉटलिंग प्लाट की निर्माण कार्यों में 3 लाख टन राख का उपयोग हुआ है। एनटीपीसी ने भी अपने विभिन्न निर्माण कार्यों में वर्ष 2001–02 की अवधि में 37 लाख टन राख का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से व पहले भी प्रयुक्त की गई इस भवन सामग्री में कोई खामी नहीं पाई है। निगम ने अबतक 16 करोड़ से अधिक ईंटों का उपयोग किया है।

हाई वोल्यूम फ्लाई ऐश प्रौद्योगिकी

सरकार ने उद्योग की मदद से कोयला राख के व्यापक उपयोग की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। योजना है कि भारतीय उद्योग परिसंघ से शोध के लिए धन व अन्य सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए कोयला राख के उपयोग के लिए उद्योग पर दबाव बनाने में सफलता मिलेगी। इस समय भी एनटीपीसी ने कनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से हाथ मिलाकर सीबीआरआई रुड़की, एसईआरसी चेन्नई व बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, कोलकाता को इस प्रौद्योगिकी पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी विषय पर सेमिनार के जरिए फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए माहौल बनाने, उद्योग व शोध संस्थानों को एक साझा मंच प्रदान करना है। अभियान की शुरुआत में कर दी गई है और प्रथम चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलौर व जयपुर में चार संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं। इनसे सीमेंट व कंक्रीट उपभोक्ताओं को फ्लाई ऐश के प्रति जागरूक बनाने, तकनीकी ज्ञान का स्तर बढ़ाने व भारतीय अनुभवों का आदान–प्रदान करना है। इस समय देश में 100 मैट्रिक टन कार्बन–डाईआक्साइड गैस उत्सर्जित हो रही है। सीमेन्ट की लागत भी कम तथा गुणवत्ता बढ़ेगी और इसके कई लाभ उद्योग व देश को मिलेंगे। एनटीपीसी मुख्यालय के अनुसार वर्ष 2003–04 में निगम ने कोयला राख का अपने विभिन्न निर्माण कार्यों में 22 प्रतिशत तक इस्तेमाल किया है।

उज्ज्वल भविष्य : गुजरात अंबुजा सीमेंट, लारसन एंड टूब्रो, गैमन इंडिया लिमिटेड आदि निर्माण कंपनियों ने सीमेंट उत्पादन में कोयला राख के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संकल्प जताया है। ये कंपनियां अपने रेडिमिक्स प्लांटस में इसका उपयोग शुरू कर चुकी है। अंबुजा सीमेंट ने हाल ही में कई शहरों में कोयला राख मिश्रित सीमेंट की उपयोगिता के बारे में उद्यमियों में जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। सीपीडब्ल्यू, बीआरओ पीडब्ल्यूडी आदि निर्माण एंजेंसियां देश में कोयला राख उपयोग के बड़े क्षेत्र हैं। सरकार ने 25 प्रतिशत कोयला राख ईंटें बनाने में उपयोग की अनिवार्यता लागू कर दी है देश में इस समय औसतन लगभग 1200 बिलियन ईंटों के लिए 550 किलो टन मिट्टी की जरूरत होती है। यदि इसमें 25 प्रतिशत राख मिला दी जाए तो मिट्टी की बचत होगी, तो इसका परोक्ष तथा खाद्यान्न उत्पादन में मिलेगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कोयला संपन्न क्षेत्रों में समस्याग्रस्त जीवन

संजय चौधरी

झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में फैली कोयले की खानें एक ओर ऊर्जा के उत्पादन हेतु ताप ऊर्जा संयंत्रों को कोयला उपलब्ध कराती हैं तो दूसरी ओर गरीबों के चूल्हों में भी आग जलाए रखती हैं। लेकिन कोयले की इस सार्वजनिक उपयोगिता के पीछे एक और कड़वी सच्चाई है – कोयले की ये खानें खनन क्षेत्रों की दुर्दशा तथा यहां के निवासियों के अथक संघर्ष की कहानी भी कहती हैं। वास्तव में, अन्य खनन क्षेत्रों की तरह कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन गतिविधियों पर निर्भर करता है। यही खनन गतिविधियां अपने विध्वंसक परिणाम के कारण आज इन क्षेत्रों में पर्यावरण के साथ–साथ मानव जीवन के लिए एक चुनौती का रूप ले चुकी हैं।

खनन क्षेत्रों में खनिज, धात्विक पदार्थों तथा कीमती पत्थरों का बहुमूल्य भंडार होता है जिसको भूमि के नीचे से निकालकर ऊर्जा एवं दैनिक उपयोग की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से धनी एवं समृद्ध माने जाते हैं। लेकिन इस समृद्धि के पीछे जो दुःख एवं दर्द छिपा हुआ है, उसे यहां के आम लोगों के जीवन में देखा जा सकता है।

खनिज पदार्थ के उत्खनन से संबंधित गतिविधियां लोगों की बर्बादी का कारण इसलिए बनीं क्योंकि इन गतिविधियों के दूरगामी दुष्प्रभाव को अनदेखा करते हुए यहां तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी गई। वास्तव में खनिज पदार्थों का उपयोग तो संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि के लिए होता है लेकिन खनिज पदार्थों को निकालने के क्रम में खनन क्षेत्रों का पर्यावरण इतना क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है कि यहां के निवासी समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। जहां तक कोयला खानों का संबंध है, खनिज के उत्खनन के लिए अपनाई जाने वाली सदियों पुरानी खनन प्रक्रिया ने मानव के साथ–साथ उसके संपूर्ण परिवेश के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं।

कोयला खानों के आसपास रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां खान के निकट कई स्थानों पर लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी जाती है अर्थात आने–जाने की उनकी आजादी प्रतिबंधित कर दी जाती है। खानों के अंदर किए जाने वाले विस्फोटक का प्रभाव लोगों के घरों पर पड़ता है। खान के निकट स्थित घरों की दीवार में दरारें पड़ जाना यहां आम बात है। बस्तियों के नीचे स्थित भूमिगत खदानों को ठीक से नहीं भरने के कारण इन क्षेत्रों में धसान की घटनाएं घटती रहती हैं। इसी प्रकार, खानों से निकाला गया मलबे का ढेर बरसात के मौसम में ढह जाता है जिससे लोगों को जान–माल का नुकसान उठाना पड़ता है।

कोई भी खनन क्षेत्र हो, हर जगह धरती के नीचे से अधिक खनिज पदार्थ को बाहर निकालने के लिए लोगों से उनके, खेत, चरागाह और जंगल छीन लिए गए हैं। यही सब कुछ कोयला क्षेत्र में भी हुआ है। अपने पुश्तैनी घरों और खेतों से बेदखल होकर लोग यहां संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। भूमि के नीचे गहरी खुदाई करके निकाले गए अधिभार (ओवरबर्डन) से हवा और पानी को प्रदूषित किया गया है और इससे भी बढ़कर भूमि को क्षत–विक्षत कर दिया गया है। भूमि की दृष्टि से देखें तो खनन क्षेत्रों में चल रही अनियोजित खनन विधियों ने इन क्षेत्रों को संकटग्रस्त क्षेत्रों में बदल दिया है। मिट्टी की जिस 30 सेंटीमीटर ऊपरी परत को बनाने में प्रकृति को 3,000 वर्ष से अधिक समय लग जाता है, उसे खनन की प्रक्रिया मात्र कुछ सेकेंड में ही पूर्णतया नष्ट कर देती है।

खानों के आसपास दूर–दूर तक वनस्पति–विहीन भूमि पर बिछी खनिज–गर्द के कारण यह मानव के लिए बिल्कुल अनुपयोगी हो गई है। ऐसे में पेड़–पौधे, फसलों, जीव–जंतुओं आदि किसी का अस्तित्व यहां सुरक्षित नहीं रह पाता। खनन की विनाशकारी प्रक्रिया एवं संपूर्ण क्षेत्र की गंभीर उपेक्षा के कारण इन खनन क्षेत्रों को एक और गंभीर नुकसान भी झेलना पड़ रहा है–कोयले की धूल एवं चट्टानों के रासायनिक चूरे की मोटी परत के नीचे दबी धरती का पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बदल रहा है। धरती की विविध उपयोगिता प्रभावित हुई है एवं इसकी उर्वरा–शक्ति समाप्त हो रही है। कुछ क्षेत्रों में बंजर हो चुकी धरती के ऊपर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को अपने प्रारंभिक चरणों में देखा जा सकता है।

झरिया कोयलांचल में धरती के ऊपर यदि भू–विकृति की गंभीर समस्या है तो इसके नीचे कोयले की भूमिगत खदानों में लगी आग के कारण यहां के निवासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। भूमिगत कोयले के जलने के कारण यहां की जमीन कई जगह से फट गई है जिनमें से राख और धुआं निकलता रहता है। लंबे समय से लगी यह भूमिगत आग कई स्थानों पर पृथ्वी की ऊपरी सतह तक आ पहुंचती है। इसके कारण वायुमंडलीय प्रदूषण, पेड़–पौधों की क्षति, प्राकृतिक संपदा का क्षय तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के जोखिम में वृद्धि हो रही है। भूमिगत आग के कारण मानवीय बस्तियों में आग लगने तथा जमीन धसने जैसी दुर्घटनाओं की संभावना यहां हर समय बनी रहती है।

जहां तक दुर्घटनाओं की बात आती है, कोयला क्षेत्र और खनन दुर्घटनाओं का संबंध बहुत पुराना है। खानों में खनन के दौरान

गैस–रिसाव, आग लगने, विस्फोट होने आदि कारणों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

कोयला खानों में खनन कार्य समाप्त हो जाने पर स्थानीय लोग अधिकांशतः इस स्थिति में भी नहीं रहते कि आसानी से अपनी आजीविका कमा सकें। उनकी यह विवशता इस क्षेत्र के लोगों को अवैध खनन की ओर प्रवृत कर रही है। खानों से अवैध तरीके से निकल रहे कोयले का यह कारोबार खनिज संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात है मानवीय पर्यावरणीय दृष्टि से होने वाली क्षति। वनों का विनाश, भूमि की उपजाऊ ऊपरी परत की क्षति, घटता जल–स्तर बढ़ता प्रदूषण, प्राकृतिक भूदृश्य एवं स्थलाकृति से छेड़छाड़, स्थानीय पेड़–पौधे और जीव–जंतुओं पर पड़ता प्रतिकूल प्रभाव आदि अनेक कारणों से कोयले के अवैध खनन ने इस क्षेत्र के लिए कैंसर का रूप ले लिया है।

वनों का विनाश इस क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है जिसने हर तरह से समृद्ध कोयला क्षेत्र को पर्यावरणीय एवं मानवीय दृष्टिकोण से बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। इस क्षति ने यहां के मूल निवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। हमारे देश में अधिकांश खनिज उत्पादन के लिए वनों का बड़े पैमाने पर सफाया किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 1925 में कोयलांचल के समस्त भू–भाग के 70.3 प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं कृषि–क्षेत्र फैला हुआ था। लगभग 70 सालों बाद 1993 में जब खनन गतिविधियों ने 13.42 प्रतिशत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो वनों का क्षेत्र घटकर 39.02 प्रतिशत ही रह गया था। कुछ अनुमानों के अनुसार आज यहां लगभग 19 प्रतिशत ही वनों का अस्तित्व शेष रह गया है।

एक ओर वन घट रहे हैं तो दूसरी ओर प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, अवैज्ञानिक एवं अनियोजित खनन गतिविधियां संपूर्ण कोयला क्षेत्र को तेजी से क्षतिग्रस्त कर रही हैं। लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकतर स्थानीय लोग इन सबके प्रति बेखबर हैं। खनन से संबंधित गतिविधियों के कारण हवा में उड़ने वाली धूल एवं महीन कणों के आम लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि सामान्य तौर पर इसे कोई समस्या नहीं माना जाता। लेकिन यहां के लोगों में फैली बीमारियों के बारे में कराए गए सर्वेक्षण कुछ और ही कहानी कहते हैं। जल और वायु के प्रदूषण के कारण अधिकांश लोगों में कई बीमारियां घर कर चुकी हैं।

खनन क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न बीमारियों के लिए खनन की विध्वंसक गतिविधियों को दोषी माना जा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अधिक बुरी स्थिति श्रमिकों की है जिन्हें रात–दिन प्रदूषित वायु में सांस लेनी पड़ती है। झरियां में 1999 में कराये गए सर्वेक्षण से पता चला कि 10,000 मजदूरों में से लगभग 236 मजदूर निमोकोनियोसिस नामक असाध्य रोग के चंगुल में हैं। स्थानीय भाषा में इस रोग को 'कोयला मजदूरों की बीमारी' के नाम से जाना जाता है। तथा यह बीमारी कोयले की धूल के प्रति फेफड़ों की एक विशेष प्रतिक्रिया के रूप में शुरू होती है। बीमारी से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण खनन कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित होता है।

खनन–कर्मियों का स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि उनका जीवन भी संकट के साये में व्यतीत होता है। खान में काम करने वाले श्रमिकों एवं खनन–कर्मियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जहां तक भूमिगत कोयला खान की बात आती है, यह माना जाता है कि इन सुरंगों में एक निर्धारित दूरी तक ही खनिज–निकासी की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ–साथ इन सुरंगों की छत को सहारा देने वाले खंभों के सामर्थ्य और इनकी वर्तमान अवस्था पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। लेकिन उत्पादकता बढ़ाने तथा नियमों के प्रति ढिलाई के कारण बहुधा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि भूमिगत खंभों की संरचना में किसी भी प्रकार का तकनीकी दोष होने पर खान की छत अथवा दीवार धंस जाती है तथा इसके कारण कई श्रमिकों की जान चली जाती है।

सुझाव / समाधान

कोयलांचल में इस प्रकार की विविध समस्याओं के संदर्भ में समाधान खोजना बहुत जरूरी है। इस दिशा में कुछ गैर–सरकारी संगठनों द्वारा गंभीर प्रयासों को सागर में एक छोटी बूंद के समान ही माना जा सकता है। चूंकि मानव स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय पर्यावरण से प्रभावित होता है, अतः कोयला खान में काम करने वाले मजदूरों से इस क्षेत्र के निवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए जरूरी है कि यहां के पर्यावरण को बचाने की ओर ध्यान दिया जाए। सड़कें यदि दुरुस्त हों तथा खनिज का वहन करने वाले ट्रकों को शहरों के बाहर निकाला जाए तो इनके कारण उड़ने वाली धूल, खनिज गर्द आदि को हवा में फैलने से रोका जा सकता है।

जहां तक पर्यावरण को बचाने का संबंध है, वृक्षारोपण एवं हरित पट्टियों का विकास करके यहां के पर्यावरण में क्रांतिकारी ढंग से सुधार लाया जा सकता है। खनन गतिविधियों के कारण चूंकि जमीन और जमीन के ऊपर की वनस्पति दोनों का विनाश हो जाता है, अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खान और इसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन क्षेत्रों के लिए तेजी से बढ़ने वाले प्रदूषण–प्रतिरोधी पेड़–पौधे सर्वथा उपयुक्त रहेंगे जो स्थानीय अथवा देशी प्रजाति के होने चाहिए। इनके साथ–साथ यदि इमारती लकड़ी एवं ईंधन लकड़ी देने वाले पेड़ अधिक मात्रा में लगाए जाएं तो यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। वनस्पतिकरण की सहायता से यहां पर चारागाह और जंगल विकसित किए जा सकते हैं जिनसे स्थानीय निवासी लाभ उठा सकते हैं।

जहां तक अवैध खनन के कारण कोयला खान धंसने की समस्या है, इसे रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारी तौर पर बंद की जा चुकी खानों में रेत भर कर इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जब तक खान के गहरे गड्ढों को पूरी तरह से भरा नही जाएगा तब तक अवैध खनन को पूरी तरह रोकना मुश्किल है क्योंकि खनन क्षेत्र के निवासियों

का जीवन खान और खनिजों से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि इन खानों के बालू, उड़न राख, खानों से निकाले गए मलबे एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों की मदद से भर दिया जाए तो असुरक्षित खनन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी तथा भरे गड्ढों का अन्य प्रयोजन के लिए मानवीय उपयोग संभव हो सकेगा।

पूरी तरह से खनिज–रहित खनन से बने बड़े गड्ढों में जलाशय बनाकर मछली–उत्पादन को रोजगार के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के फल–फूल देने वाले पेड़–पौधे लगाकर खनन के कारण विकृत भूमि पर मनोरंजन स्थलों का विकास संभव है। इसी प्रकार सामुदायिक लाभ के लिए ई–चौपालों, प्रौढ़–शिक्षा केंद्रों, सामूहिक बैंकों अथवा किसी घरेलू उद्योग की स्थापना करके भी खनन उपरांत अनुपयोगी छोड़ दी गई भूमि का उपयोग किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में स्व–रोजगार के लिए उपलब्ध अवसरों तथा इस हेतु उपलब्ध ऋणों के संबंध में ई–चौपाल अथवा तारा–केंद्रों से उपयोगी जानकारी तुरंत पाई जा सकती है। अतः ऐसें केंद्रों की स्थापना से खनन क्षेत्रों में विकास में काफी सहायता मिल सकती है।

खनन क्षेत्रों में खानों से निकाला गया खनिज सरकार के लिए आय का बहुत बड़ा स्रोत है। उदाहरण के लिए कोयले की रॉयल्टी के रूप में पहले बिहार और अब झारखण्ड राज्य को 8 से 10 अरब रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। यदि कोयला खनन क्षेत्र के मजदूरों और निवासियों की भलाई के लिए इस आय का बहुत छोटा हिस्सा भी ईमानदारी से खर्च किया जाता है तो इन क्षेत्रों की बदहाली को दूर किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए क्षेत्र की सड़कें सुधारना तथा साफ पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। खनन क्षेत्र में सरकार को स्वच्छ जल की आपूर्ति पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि आमतौर पर यहां फैलने वाली अधिकांश बीमारियों का प्रमुख कारण दूषित जल ही पाया गया है।

कोयलांचल की विभिन्न समस्याओं के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और लोगों को अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों की तरह कोयलांचल में फैला अज्ञान अनेक बुराइयों का कारण बना हुआ है। लोगों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करके कोयला क्षेत्र के निवासियों को अपनी समस्याओं के समाधान की ओर स्वयं प्रवृत किया जा सकता है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके समाधान के सरकारी प्रयास सामुदायिक सहयोग के अभाव में असफल हो जाते हैं। नशे और अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति, कार्य स्थान का अस्वास्थ्यकर एवं असुरक्षित वातावरण, बड़ा परिवार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी प्राथमिक उपायों के प्रति अनभिज्ञता, शिक्षा का महत्व, दासता एवं शोषण का विरोध, सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आदि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके लिए शिक्षित और जागरूक नागरिक पहली जरूरत माने जाएंगे।

इन क्षेत्रों में शिक्षा को यदि रोजगार–उन्मुख (श्रम आधारित) स्वरूप प्रदान किया जाए तो क्षेत्र के बहुमुखी विकास को एक ठोस आधार प्रदान किया जा सकता है। बच्चों में ज्ञान फैलाने के साथ–साथ उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने वाली ऐसी शिक्षा–पद्धति कोयलांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाएगी। समाज जितना अधिक शिक्षित होगा, समस्याओं का समाधान निकालना उतना ही आसान होगा। यह एक परखा हुआ सच है कि जागरूक और शिक्षित समाज समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी पहल की बाट देखने के बजाय इन्हें दूर करने के लिए स्वयं आगे आता है और सामूहिक प्रयास की बदौलत इन्हें दूर करने में कामयाब होता है। शिक्षा की मदद से सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने में सहायता मिलती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कोयलांचल की विभिन्न समस्याओं के लिए लोगों को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह क्षेत्र विकास कार्यों के दृष्टि से उपेक्षित रहा है जबकि दूसरी ओर खनिज संसाधनों को यहां से निकाल कर विभिन्न विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात कि है कि अन्य क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने वाले खनन क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकारी स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। इसके साथ–साथ समस्याओं के समाधान में आम जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। इनका समाधान तभी संभव होगा जब जनता इनके प्रति सकारात्मक पहल करेगी और जिम्मेदार पक्षों पर सामुदायिक दबाव डालकर विकास कार्यों की शत–प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करवाएगी। ❑

(लेखक केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में अनुवादक हैं।)

कोयला खानों में आग को रोकने के लिए कार्यवाही

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और केंद्रीय कोयला खान लिमिटेड की कुछ दरारों में इस शताब्दी की शुरूआत से ही अवैज्ञानिक तरीकों से हो रही खुदाई के चलते आग जल रही है। इन कोयला दरारों में जल रही आग की उत्पत्ति का कारण कोयले का आक्सीजन के सम्पर्क में आते ही स्वतः ही गर्म होना है।

राष्ट्रीयकरण के समय निजी खदान मालिकों से खदान लेते समय बीसीसीएल में 70 दरारों में आग लगी हुई थी। तभी से बीसीसीएल द्वारा इस आग को बुझाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दस दरारों में आग को बुझाया जा चुका है जबकि अन्य को नियंत्रण में रखा गया है। राष्ट्रीयकरण के बाद लगी हुई चार नई दरारों का भी पता चला है।

कोकिंग कोल लिमिटेड की तीन खदानों की चार दरारों में, पिछले 15–20 साल से आग लगी हुई है। कोयला खदानों में लगी आग को बुझाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा कुछ सटीक उपाय किए जा रहे है। ❑

प्रमुख फैसले और पहलें

सरकार ने कोयला वितरण और उत्पादन की प्रणाली व्यवस्थित बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उद्यम, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों और नैवेली लिग्नाइट निगम के कामकाज में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड : कोयला मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कोल इंडिया लिमिटेड ने 2004–05 के दौरान अब तक का सर्वाधिक उत्पादन किया। उसने निर्धारित लक्ष्य 314 मिलियन टन की तुलना में 323.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। यह लक्ष्य से 9 मिलियन टन और वर्ष 2003–04 के उत्पादन की तुलना में 17 मिलियन टन अधिक है। कोल इंडिया लिमिटेड का यह कार्य निष्पादन बेहतर आयोजना और निगरानी, उत्पादकता में वृद्धि, मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल तथा नई परियोजना के चालू होने की वजह से संभव हुआ। वर्ष 2004–05 में कोल इंडिया लिमिटेड ने कर पूर्व 6,825.54 करोड़ रुपए का अनन्तिम लाभ कमाया, जबकि पिछले साल उसने 4,889,16 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। इस प्रकार उसके लाभ में 39.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2006–07 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य 363 मिलियन टन रखा गया है।

नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन : वर्ष 2004–05 के दौरान 215.64 लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 210 लाख टन रखा गया था। वर्ष के दौरान 16,745.41 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, जबकि लक्ष्य 15,286 मिलियन यूनिट का था। विद्युत निर्यात के क्षेत्र में भी 12,705 मिलियन यूनिट के लक्ष्य को पार किया गया और 14,169.47 मिलियन यूनिट बिजली का निर्यात किया गया। कंपनी ने 2004–05 के दौरान 988.15 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि लक्ष्य 717.49 करोड़ रुपये का रखा गया था।

एनएलसी को इसके कार्य निष्पादन को देखते हुए लघु रत्न सम्मान से नवाजा गया है। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने लक्षित उत्पादों के सभी मानकों को पार किया है।

सिंगरैनी कोलरीज कंपनी : सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। कंपनी ने वर्ष 2004–05 के लिए निर्धारित 35 मिलियन टन के लक्ष्य को पार करते हुए 35.30 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया।

कोयले के गौण उपभोक्ताओं के लिए बिक्री की पारदर्शी व्यवस्था : कोयले के गौण उपभोक्ताओं के लिए बिक्री की पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से कोयला बिक्री के वास्ते ई–नीलामी मोड यानी इंटरनेट आधारित बोली लगाने की एक युक्तिसंगत प्रणाली शुरू की गई है। इसे भारत कोकिंग कोल लि. में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया।

सरकार ने कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को वर्ष 2005–06 में परीक्षण के तौर पर ई–नीलामी के जरिए 100 लाख टन कोयला बेचने की मंजूरी दी है। यह बिक्री गौण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेची गई मात्रा के अलावा होगी। इसके अलावा लघु उद्योगों और छोटे उपभोक्ताओं को वितरण के लिए केन्द्रीय/राज्य उद्यमों के वास्ते कुल 40 लाख टन कोयला रख गया है।

कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन : कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 1973 को 1993 में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के जरिए कैप्टिव इस्तेमाल के वास्ते कोयला खनन में निजी भागीदारी की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाना था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को अभी हाल ही में पाकरी बुड़वाडीह कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है। इस ब्लॉक में 14 हजार लाख टन कोयले के भंडार हैं। इस आवंटन का उद्देश्य देश में कोयले की उपलब्धता बढ़ाना है।

आवंटन के लिए 143 कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है। इनमें 136 कोल इंडिया लिमिटेड के और सात सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लि. के हैं। वर्ष 1993 और 2003–04 के दौरान केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक उद्यमों और निजी क्षेत्र को कोल इंडिया लि. के 49 कैप्टिव ब्लॉक आवंटित किए गए थे। जांच समिति ने 2004–05 में 45 ब्लॉकों के आवंटन की सिफारिश की है। मंत्रालय ने इन कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से जल्दी ही शुरू करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

कोल वाशरी की स्थापना : पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें उसने सेन्ट्रल कोल फील्ड लि. के कमान एरिया में 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता की कोल वाशरी स्थापित करने की अनुमति मांगी थी।

सात नई कोयला परियोजनाएं : कोयला मंत्रालय ने वर्ष के दौरान सात नई कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 6,296 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये परियोजनाएं हैं, महानदी कोलफील्ड लि. की भुवनेश्वरी खुली खान, कानिहा खुली खान और कुल्डा खुली खान और राजस्थान लिग्नाइट परियोजना, राजस्थान विद्युत परियोजना, खान–2 का विस्तार तथा नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन की टीपीएस–2 का विस्तार।

कोयले पर विशेष समिति : कोयला उद्योग में तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति कोल इंडिया लिमिटेड की अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक मांग–आपूर्ति व्यवस्था, कार्मिकों और मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाने, मशीनीकरण और पुनर्गठन पर विचार करेगी ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी कंपनी बनाया जा सके।

रिक्त पदों का भरना : सरकार ने कोयला उत्पादन और आपूर्ति को व्यवस्थित बनाने के लिए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। ❑

विदेश व्यापार नीति

कृषि निर्यात से शुल्क हटा

वेद प्रकाश अरोड़ा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के मई, 2004 में सत्ता संभालने के एक वर्ष से कुछ अधिक समय के दौरान लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक निर्यात होना विदेशी व्यापार इतिहास की सुनहरी घटना है। अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005 तक निर्यात का लक्ष्य 16 प्रतिशत निर्धारित किया गया, लेकिन वास्तविक निर्यात लगभग 24 प्रतिशत हुआ। निर्यात में लक्ष्य से आठ प्रतिशत अधिक वृद्धि प्रत्येक गणित और प्रत्येक मापदंड से एक बड़ी सफलता मानी जायेगी। यह सफलता इसलिए भी उल्लेखनीय है कि अमरीकी डालर की तुलना में रुपया खासा मजबूत और मंहगा होते जाने के कारण निर्यात भी मंहगा होता चला गया। माल की लागत बढ़ने से उसमें कमी की आशंका बनी रही। अगर रुपये का सापेक्ष मूल्य कम होता तो निर्यात और भी अधिक होता। निरुत्साहित करने वाली एक अन्य घटना पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचना था। फिर आयात करने वाले कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी का रुख भी बना हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था का मंदी अथवा तेजी, प्रत्येक स्थिति में, गतिशीलता और लचीलापन कायम रहने से निर्यात में बढ़त बनी रही। इसमें कृषि क्षेत्र, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नई गठबंधन सरकार के सत्ता संभालने के चंद महीने बाद 31 अगस्त को निर्यात आयात नीति के नए संस्करण विदेश व्यापार नीति की पांच वर्ष के लिए घोषणा की गई। निर्यात व्यापार के स्वच्छ संकेत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारत सिर्फ सही मार्ग पर ही अग्रसर नहीं है, बल्कि वह लक्ष्य की तरफ मजबूत कदमों से आगे बढ़ता जा रहा है। जहां सूचना प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों ने विश्व के बाजारों में भारत की पहुंच सुनिश्चित और निर्बाध बना दी है, वहीं विनिर्माण क्षेत्र अपने दामन में विकास की विशाल संभावनाएं और रोजगार के ढेरों अवसर संजोए हुए है। भारत की विशाल कुशल कार्मिक संख्या, पसरते आंतरिक बाजार, प्रचुर कच्चे माल, सस्ता श्रम बल, आपूर्ति का पुख्ता आधार, निरंतर बड़ा आकार ले रहा सेवा क्षेत्र, देश के बहुआयामी विकास विशेष रूप से निर्यात के लिए जबरदस्त वरदान हैं। निर्यात में अपूर्व वृद्धि से उत्साहित होकर ही विदेश व्यापार की वार्षिक पूरक नीति में इस वित्त वर्ष के लिए 92 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य रखा गया है जबकि पहले यह 88 अरब डालर तय हुआ था। अगर मौजूदा सरकार के पहले वर्ष की निर्यात गति बाकी चार वर्षों में भी यथावत बनी रही तो भारत 2008–09 तक लगभग 150 अरब डालर मूल्य का निर्यात करेगा। इतने निर्यात से जुड़ी गतिविधियों से पांच वर्षों में एक करोड़ 98 लाख नौकरियों का सृजन होगा। ये नौकरियां अधिकतर असंगठित और अनियमित क्षेत्रों में होंगी। विदेश व्यापार नीति में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, हीरे जवाहरात, चमड़ा और जूते जैसे श्रमोन्मुख क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि निर्यात के बहुआयामी विकास और तेज चाल के साथ–साथ नौकरियों के भी अधिक से अधिक अवसर पैदा हों। कृषि उत्पादों और बागान वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि–निर्यात पर उपकर हटा लिया गया है, पूंजीगत सामान निर्यात संवर्धन नीति के तहत अतिरिक्त सुविधाएं और लाभ प्रदान किए गए हैं, कृषि और छोटे उद्योगों के लिए मशीनों के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है और सुनामी लहरों का कहर कम करने के लिए समुद्री उत्पादों अथवा मछली उद्योग के विकास के लिए विशेष पहल की गई है। इसके अलावा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना और भारत से वित्त जैसी निर्यात संवर्धन योजनाओं तथा अनेक सेवा–निर्यातों की घोषणा की गई। विशेष कृषि उपज योजना के तहत फलों, फूलों, सब्जियों, लघु वन उत्पादों और उनकी मूल्यवर्धित वस्तुओं पर मिल रही रियायतें अब कुक्कट और डेरी उत्पादों पर भी मिलेंगी। लघु वन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् इन उत्पादों के लिए केंद्रीय निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में काम करेगी। यह परिषद इन उत्पादों के सभी सौदों फलों और अन्य पहलुओं पर नजर रखते हुए उनकी निर्यात वृद्धि का हर संभव प्रयास करेगी। विभिन्न वस्तु बोर्ड कानूनों के अंतर्गत सभी कृषि और बागान उत्पादों पर लगे निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र को अधिक गतिशील बनाने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना ई.पी.सी.जी.एस. के अंतर्गत जो कृषि इकाइयां रियायती शुल्क पर आयात करती हैं उन्हें अपनी निर्यात जिम्मेदारी पूरी करने के लिए फुर्सत समय दिया गया है। साथ ही उनकी निर्यात जिम्मेदार पहले से कम कर दी गई है ताकि वे अधिक में बढ़िया माल का निर्यात कर सकें, तथा अधिक निर्यातकों को यह जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिल सके। इसी तरह लघु उद्योगों के गुणवत्ता सुधार और क्षमता वृद्धि के लिए पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क घटा कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, इस नीति में खुदरा व्यापारियों को भी कुछ रियायतें दी गई हैं। कम से कम एक हजार वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र वाले खुदरा बिक्रेताओं को रियायती कर लाभ देकर उनके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जायेगा। संसद के दोनों सदनों में इस वर्ष मार्च में पेटेंट संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश में उत्पाद पेटेंट युग

का सूत्रपात हो गया है। उत्पाद पेटेंट को कानूनी रूप मिलने से डिब्बा बंद, परिशोधित अथवा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने और इसी के साथ राजस्व प्राप्ति में उछाल आने की संभावनाएं उज्ज्वल हो गई हैं। अभी हमारे पास भेषजों, कृषि रसायनों और विशेषखाद्य उत्पादों के ही पेटेंट हैं। अब इन का विस्तार करने की मौजूदा 45 खाद्य–पार्कों के सामने एक बड़ी चुनौती है और एक महत्वपूर्ण अवसर भी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ के शब्दों में सरकार एक ऐसा समन्वित खाद्य कानून बनाने जा रही है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं पूरी करने में सहायक होगा। यह भारतीय खाद्य उद्योग को विश्व बाजार में स्पर्धात्मक भी बना देगा। जब जैव प्रौद्योगिकी और जड़ी बूटियों से औषधीय उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों को अपेक्षाकृत सस्ती लेकिन प्रभावकारी दवाइयां भेजने की बहुआयामी नीति अपनानी होगी। फैलते व्यापार और सेवाओं को देखते हुए ब्रांड इंडिया का बढ़ावा देने में अब भारत पीछे कैसे रह सकता है। सिल्क (रेशम) मार्क और वूल (ऊन) मार्क की तर्ज पर अब हथकरघा क्षेत्र के लिए भी ट्रेड मार्क विकसित किया जायेगा। भारतीय चाय के बढ़िया जायके और ब्रांड इक्विटी को बनाए रखने के लिए चाय वितरण और निर्यात नियंत्रण के नए आदेश 2005 के अंतर्गत सभी श्रेणियों की देशी या विदेशी चाय का निर्धारित मानदंडों और विशिष्टियों के अनुसार होना अनिवार्य ठहरा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति की वार्षिक पूरक नीति में सेवाओं के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद बनाने की घोषणा की गई है, जो आगामी वर्षों में 160 सेवाओं की निर्यात रूपरेखा तैयार और प्रस्तुत करेगी।

वर्ष 2004–05 के दौरान सेवाओं का निर्यात 80 प्रतिशत बढ़ा है, जो कि जिन्सों की निर्यात दर से तीन गुने से भी अधिक है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान एक चौथाई और सेवा–क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक है। नई निर्यात नीति में युवा और महिला उद्यमियों के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाने, निर्यात बढ़ाने के लिए पुरस्कार देने की टारगट प्लस स्कीम बैंक गारंटी की राशि कम करने, संवेदनशील वस्तुओं की सूची घटा कर मात्र नौ करने, कार्यविधियां सरल बनाने, दस्तावेजी आवश्यकताएं कम करने, कारोबारी लागत घटाने, आयात निर्यात सौदों के लिए मंजूरी देने का समय निश्चित करने, स्वचालित इलेक्ट्रानिक मशीनों से तुरंत सूचनाएं उपलब्ध कराने, व्यापार से जुड़े तरह–तरह के आंकड़ों और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों की जानकारी देने जैसी अनेक सुविधाएं देकर निर्यात व्यापार के चहुमुखी विकास का प्रयास किया गया है। इन पहलों के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अंत में एक महत्वपूर्ण यह एलान भी किया कि निर्यात को नए पायदानों पर चढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (जोनों) को कानूनी दर्जा दिया जायेगा। संसद के पिछले सत्र में इस आशय का विधेयक पारित कर यह दर्जा अब दिया जा चुका है। इस समय ग्यारह विशेष आर्थिक जोनों (क्षेत्रों) में उत्पादन कार्य चल रहा है। इसके अलावा निजी संयुक्त और सरकारी क्षेत्रों में 35 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। सहकारी संघवाद की भावना के अनुसार राज्यों में प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना में केन्द्र और संबंध राज्य सरकार परस्पर तालमेल और समन्वय भाव से काम करेगी।

वर्ष 2004–05 के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों से चार अरब साढ़े सात करोड़ डालर मूल्य का निर्यात हुआ जो भारत के कुल निर्यात का पांच प्रतिशत से अधिक है। इन क्षेत्रों की इकाइयों में प्रवासी भारतीयों सहित विदेशी उद्यमियों की पांच अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है। इन क्षेत्रों को अधिक गतिशील बनाने और इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लायक बनाने के लिए किसी इकाई को स्थापना के बाद पहले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निसंदेह इन क्षेत्रों में अनुकूल और रियायतों के माहौल में परंपरागत प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि उत्पादों से लेकर नए हाईटैक उपकरणों, यंत्रों और संयत्रों के निर्माण को बहुआयामी विस्तार मिलेगा तथा निर्यात की मात्रा, मूल्य और गति सब बढ़ जायेंगे। 31 अगस्त, 2004 को घोषित नई सरकार की पहली विदेश व्यापार नीति के अनुसार इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हस्तशिल्प इकाइयों के लिए अलग आर्थिक क्षेत्र की स्थापना भी की जायेंगी। इस नीति में मुक्त व्यापार क्षेत्रों और भंडार गृहों की स्थापना के लिए शत प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भी दी गई है।

बदलते वक्त के साथ विदेश व्यापार नीति में निर्यात मात्र विदेशी मुद्रा कमाने और खजाना भरने का ही साधन नहीं माना जाता। उसे रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों को नये आयाम देने का सशक्त और प्रभावी इंजन माना जाने लगा है। पांच वर्ष की विदेश व्यापार नीति घोषित करते समय सरकार ने अपने सामने दो बुनियादी उद्देश्य रखे। पहला यह कि विश्व के जिस व्यापार में भारत की भागीदारी दोगनी कर दी जाय। इसे हासिल करने के लिए ही वार्षिक विकास दर औसत से 16 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस नीति का दूसरा उद्देश्य विशेष रूप से अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए–नए अवसर जुटाना है। इतना ही नहीं, नई गठबंधन सरकार ने समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए विदेश व्यापार और निर्यात को अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे और विकास की जरूरतों के अनुसार तराशा, संवार और ढाला है। वर्ष 2004–09 तक की पांच वर्षों की विदेशी व्यापार नीति के वार्षिक पूरक पत्र में भागीदारी पर जोर देते हुए सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि भागीदारी का माहौल बनाने–बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग तो प्राप्त किया ही जायेगा, राज्य सरकारों को साथ लेकर चलने के लिए अंतर राज्य व्यापार परिषद भी बनाई जायेगी ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद संपर्क का मंच कायम हो सके, पिछले वर्ष सरकार ने व्यापारियों के साथ सहभागिता की भावना बढ़ाने के लिए जो शिकायत निवारण समिति बनाई थी, अंतर राज्य व्यापार परिषद उसका विस्तार या अगली कड़ी कही जा कसती है। यह शिकायत निवारण समिति व्यापारियों की अर्से से चली आ रही विभिन्न समस्याओं का विवादों को निपटाने के लिए बनाई गई थी। इससे सरकार और व्यापारियों के बीच भागीदारी, समझबूझ और सहयोग बढ़ाने से विदेश व्यापार नए शिखरों को स्पर्श करता चला जायेगा। समग्र दृष्टि संतुलन लाती है तो समन्वय तथा सहभागिता की नीति सुखद परिणामों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। अगर व्यापारी वर्ग और राज्यों के पूरे सहयोग और सहभागिता के साथ निर्यात वृद्धि के बहुआयामी उपायों पर ईमानदारी से अमल हो तो इन शताब्दी को भारत शताब्दी बनाने का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

निर्यात कीर्तिमान

जी. श्रीनिवासन

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रथम वर्ष के दौरान देश के दौरान देश के निर्यात और आयात, दोनों क्षेत्रों में विशेष तेजी आई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष (2004–05) में निर्यात वृद्धि दर में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य से कहीं बढ़कर उपलब्धि हासिल हुई। तैयार सामान का निर्यात लगभग 80 अरब डॉलर का हुआ, जबकि लक्ष्य 73 अरब 40 करोड़ था। रुपयों में अप्रैल, 2004 और मार्च 2005 के दौरान निर्यात 357076.54 करोड़ का हुआ, जो 2003–04 के निर्यात से 27.12 प्रतिशत अधिक है।

निर्यात में यह असाधारण उपलब्धि कई अंतर्निहित बाधाओं के बावजूद हुई जैसे अमरीकी डॉलर के विपरीत रुपये की मूल्य वृद्धि ईंधन की ऊंची कीमतें और कुछ देशों में भारतीय निर्यात में आई गिरावट। निर्यात में यह उपलब्धि भारत की अर्थव्यवस्था का लचीलापन दर्शाती है। भारत के अंतर्देशीय व्यापार पर एक सरसरी निगाह डालने से यह जाहिर होता है कि 2000–01 से 2004–05 के दौरान देश में निर्मित सामान के निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हासिल की, केवल 2001–02 को छोड़कर इस वृद्धि में कुछ मंदी आई। अमरीकी डॉलर से मूल्यांकन करते हुए, 2002–03 और 2003–04 में निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई और 2004–05 में 24.41 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया।

सत्ता में आने के तुरंत बाद ही संप्रग सरकार ने 31 अगस्त, 2004 को अपनी पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की। इसके बाद 8 अप्रैल, 2005 को विदेश व्यापार नीति का वार्षिक परिशिष्ट पेश किया गया। देश के निर्यात में वृद्धि से उत्साहित होकर इस वार्षिक परिशिष्ट के अनुसार चालू वर्ष में निर्यात का लक्ष्य 92 अरब डॉलर रखा गया। यदि प्रथम वर्ष की उपलब्धि अगले पांच वर्षों में भी प्राप्त होती रही तो भारत 2008–09 में 150 अरब डॉलर का निर्मित माल निर्यात करेगा। साथ ही निर्यात–गतिविधियों से जुड़े कार्यकलापों से लगभग दो करोड़ अतिरिक्त रोजगार असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों से जुड़े होंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप विदेश व्यापार नीति की योजना श्रम–प्रधान क्षेत्रों, जैसे खेती, हथकरघा, हस्तकला, आभूषण, चमड़ा और फुटवेयर पर केंद्रित है। इसके अलावा विदेश व्यापार नीति परिशिष्ट में कई और कदम उठाए गए हैं जैसे कृषि और बागान के उत्पादों पर लगे कर को हटाना, कृषि और लघु उद्योगों के लिए आयात की गई मशीनों पर कर कम करना और समुद्री व्यापार के लिए खास रियायतें देना। कृषि और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई गई जैसे विशेष कृषि उपज योजना तथा सर्ब्ड फ्रॉम इंडिया।

विश्व व्यापार संगठन के वार्षिक व्यापार वॉल्यूम के अनुसार विश्व के निर्मित सामान निर्यात में भारत का हिस्सा जो कि वर्ष 2000 में 0.66 प्रतिशत था, वहीं 2004 में 0.82 प्रतिशत तक बढ़ गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के उत्पाद निर्यात में 80 प्रतिशत हिस्सा निर्मित वस्तुओं का है। यह हर्ष का विषय है कि विनिर्मित क्षेत्र में उत्पादन क्षमता की निरंतर वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ताजा निवेश एवं तकनीकी सुधारों के कारण संभव हुई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि विदेश व्यापार नीति से विदेशी मुद्रा अर्जित होने के साथ ही अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।

संप्रग सरकार ने वर्ष 2004 में घोषित विदेश व्यापार नीति में पहली बार विदेश व्यापार को भारत के समग्र ढांचे और विकास के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। इस दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे नियंत्रण नीतियों में ढील देना, निर्धारित प्रक्रिया को आसान बनाना, लेन–देन में व्यय कम करना और ऐसा वातावरण बनाना जिसमें भारत सार्वभौमिक निर्मित वस्तुओं के व्यापार और सेवा कार्यों का केंद्र बन सके। राज्य सरकारों को भी ऐसा वातावरण बनने में अपनी भूमिका निभाने के लिए एक अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद का गठन किया जा रहा है। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें कुल घरेलू उत्पाद का एक चौथाई हिस्सा उद्योगों से और आधे से अधिक भाग सेवा–क्षेत्रों से आता है, सेवा क्षेत्रों के निर्यात में भारी योगदान को अनदेखा करना एक बड़ी भूल होगी। 2004–05 में सेवा–निर्यात में अनुमानतः 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो माल–निर्यात की वृद्धि दर से तीन गुणा अधिक है। ऐसी आशा की जाती है कि माल तथा सेवा निर्यात में केवल सेवाओं का हिस्सा 2003–04 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2004–05 में 35 प्रतिशत से अधिक होगा। यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि विविध सेवाओं का निर्यात शत–प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। 45 प्रतिशत की वृद्धि की आशा तो केवल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में ही की जा रही है। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि विदेश व्यापार नीति–परिशिष्ट में एक अलग निर्यात–प्रोत्साहन परिषद के गठन की घोषणा की गई है, जिसके प्रयासों के फलस्वरूप अगले कुछ वर्षों में भारत 160 क्षेत्रों में विश्व को सेवाएं प्रदान कर सकेगा। भारत न केवल सेवा–क्षेत्रों में ख्याति पा रहा है, बल्कि कई अन्य कारोबारों में भी नाम कमा रहा है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कुशल, लेकिन सस्ते कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना, चिकित्सा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सेवाओं, वास्तुकला, पर्यटन, यात्रा इत्यादि।

बहुउद्देशीय व्यापार क्षेत्र में संप्रग सरकार ने दोहरी प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए पहल की और विकासशील तथा विकसित देशों से विचारों का आदान–प्रदान किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने विकास परिमापों और विस्तृत व्यापार वार्तालापों से होने वाले लाभों पर जोर दिया। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की आम सभा ने 1 अगस्त, 2004 को जो ढांचा–संबंधी समझौता पारित किया उसमें भारत अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। भारत एवं जी–20 देशों की सक्रिय भागीदारी के फलस्वरूप जिन मुख्य मुद्दों पर विकासशील देशों ने सफलता प्राप्त की हैं, वे हैं कृषि, कृषि–रहित व्यापार सुविधा और सेवाएं। इसके अलावा भारत ने पहली बार नई दिल्ली में 17 मार्च से 19 मार्च, 2005 को जी–20 देशों की बैठक आयोजित की जिसके अंत में नई दिल्ली घोषणा भी पारित की गई। इस घोषणा में विकसित देशों द्वारा अपने संभ्रात कृषिकों को दी जा रही सब्सिडी बंद करने के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई। इस बैठक ने जी–20 गठबंधन को और सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया ताकि अन्य विकासशील देशों और अफ्रीका ग्रुप एवं कैरिबियन ग्रुप के साथ तालमेल बिठाया जाए और विश्व व्यापार संगठन की दिसंबर 2005 में होने वाली हांगकांग मंत्रिस्तरीय बैठक के पूर्व होने वाले वार्तालापों में विकासशील देशों के मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। ❑

निर्यात नई ऊंचाइयों पर

निर्यात आयात–नीति के नए संस्करण में निर्यात को केंद्रित कर इस वित्तीय वर्ष में अनेक क्षेत्रों में प्रोत्साहनों, रियायतों और सुविधाओं की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष भी सुखद बौछारों की बदौलत निर्यात ने 68 अरब डालर के लक्ष्य को पार कर 80 अरब डालर की रिकार्ड तोड़ सीमा को स्पर्श कर लिया। आयात 105 अरब डालर यानि 25 अरब डालर अधिक हुआ। इसका एक बड़ा प्रतिशत निर्यात कार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ। निर्यात में उछाल की सफलता से उत्साहित होकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने आठ अप्रैल को घोषित नई विदेश नीति में मौजूदा वित्त वर्ष में निर्यात को 92 अरब डालर की ऊंचाई तक ले जाने के संकल्प के साथ अनेक पहलों का ऐलान किया। पांच वर्षों की विदेश व्यापार में भारत की भागीदारी दुगनी करने और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त रोजगार जुटाने की गत वर्ष 31 अगस्त को घोषित साहसपूर्ण नीति की अगली कड़ी या विस्तार कहा जा सकता है। निस्संदेह इससे निर्यात के जरिये रोजगार पैदा करने के साझा न्यूतम कार्यक्रम को लागू करने में एक बड़ा कदम उठाया जा सकेगा।

पांच वर्ष के लिए विदेश व्यापार नीति घोषित करते समय सरकार ने अपने सामने दो बुनियादी उद्देश्य रखे। पहला यह कि विश्व के जिंस व्यापार में भारत की भागीदारी दुगुनी कर दी जाए। इसे हासिल करने के लिए वार्षिक विकास दर औसत से 16 प्रतिशत निर्धारित की गई। लेकिन इस नीति के पहले वर्ष ही जिंसों में विदेश व्यापार की विकास दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई। भारत के आर्थिक–व्यापारिक इतिहास में विकास दर लक्ष्य से आठ प्रतिशत अधिक हासिल करना किसी स्वर्णिम अध्याय से कम नहीं। इसमें दो राय नहीं कि अगर विकास गति ऐसी बनी रही तो भारत 150 अरब डालर के मील के पत्थर को लक्षित तारीख से पहले और गर्व के साथ पार कर लेगा। विदेश व्यापार नीति का दूसरा उद्देश्य विशेष रूप से अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार–सृजन पर जोर देना और उसे गति प्रदान करना है। इस नीति में हथकरघा, हीरे–जवाहरात, चमड़ा और जूता क्षेत्रों में रोजगार के सघन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भी सच है कि इनसे जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा करना उत्साहवर्धक रहा है। इस वर्ष के दौरान 78 अरब डालर मूल्य के निर्यात के साथ–साथ एक करोड़ नौकरियों की भी व्यवस्था हुई। इनमें 86 लाख लागों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला और 14 लाख लोगों को परिवहन, संभार (लाजिस्टिक) और अन्य संबद्ध कार्यों से अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिला।

असल में इस वर्ष के पूरक दस्तावेज में वे सब व्यापारवर्धक तत्व हैं जिनके बल पर भारतीय उद्योग, अंतराष्ट्रीय स्तर पर अन्य कंपनियों और उपक्रमों से अधिकाधिक होड़ लेने ओर मान देने में समर्थ होते जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को उम्दा उत्पाद और बढ़िया सेवाएं प्रदान करने में नाम कमा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है विदेश व्यापार नीति से उपजा सहयोग और साझेदारी का नया माहौल। अगर निजी क्षेत्र को लाइसेंसों और निजी क्षेत्र को लाइसेंसों और कार्य–विधियों अथवा नीतिगत मामलों पर कोई शिकायत है, या व्यापारिक समझौतों अथवा सहमति पत्रों के उल्लंघन या अमल से उपजा कोई विवाद या गलतफहमी है, तो उन सब को दूर करने के लिए शिकायत–निवारण समिति गठित कर दी गई है। वैसे भी सरकार हर संभव सहायता देकर, नियम नरम बनाकर और अंकुश हटाकर काम के तौर–तरीकों को सरल, संक्षिप्त सुबोध और पारदर्शी बनाकर तथा आयात–निर्यात फार्म जैसे छोटे सूचना दस्तावेज जारी कर उद्योगों के विकास में भरपूर हाथ बटा रही है।

कृषि क्षेत्र को अधिक गतिशील संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के अंतर्गत जो कृषि इकाइयां रियायती शुल्क पर आयात करती है, उसे अपनी निर्यात जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अधिक समय दिया गया है। इसके अलावा उनका दायित्व भी पहले से कम कर दिया गया है। इसी तरह लघु उद्योग क्षेत्र की क्षमता–वृद्धि और गुणवत्ता सुधार के लिए पूंजीगत सामान के आयात पर सीमा शुल्क पांच प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन उसे इसी योजना के अधीन 8 वर्षों में मंगाए गए पूंजीगत सामान पर बचाई गई शुल्क राशि की छह गुणा राशि के बराबर निर्यात जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। विदेश व्यापार नीति का एक सुखद पहलू यही भी है कि इसमें खुदरा व्यापारियों तक हितों की अनदेखी नही की है। अब खुदरा विक्रेताओं को इसी योजना को तहत रियायती कर लाभ देकर उनके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

कहर बरपाने वाली सुनामी लहरों से हमारे पूर्वी तट के क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों और उनके अपने परिवारों को बेहिसाब कष्ट झेलने पड़े हैं। इनकी सहायता के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष के निर्यात मूल्य के एक प्रतिशत तक खास निविष्टियां जैसे मसाले, रसायन और सुगंधित तेल निःशुल्क आयात करने की अनुमति दी जाएगी। मछलियों आदि समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में इन चीजों के प्रयोग से अधिक मूल्य मिलता है और निर्यात बाजारों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। मशीनी नौकाओं और गहरे पानी में जलपोतों का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से टूना मछलियों को पकड़ने के लिए रियायती शुल्क पर खास प्रभावी जाल मंगाने की अनुमति दी जाएगी। अकेले टूना मछलियों के निर्यात से एक अरब डालर कमाए जा सकते है। हीरा–जवाहारात का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अब इनका निःशुल्क आयात, एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। नामजद एजेंसियों को अब सोना निर्यात के लिए दिया जा सकेगा। पहले यह सोना आंतरिक बाजारों के लिए ही दिया जाता था। सर्राफा व्यापारियों को निर्यात के लिए 18 केरेट और इससे कम केरेट सोने के आभूषण तथा प्लैटिनम और चांदी के आभूषण मंगाने की छूट होगी। इन उपायों के कारण पिछले वर्ष हीरे–जवाहरात को निर्यात लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गया।

नई विदेश व्यापार नीति में संवेदनशील वस्तुओं की सूची घटाकर सिर्फ नौ कर देने, निर्यात को ही बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करने की टारगेट प्लस स्कीम, युवा और महिला उद्यमियों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाने, बैंक गारंटी की राशि कम करने, दस्तावेजों की आवश्यकताएं कम करने, कारोबारी लागत घटाने, निर्यात कार्यों के लिए स्वीकृति की समयावधि निर्धारित करने, स्वचालित इलेक्ट्रानिक मशीनों से तुरंत सूचना उपलब्ध कराने, व्यापारिक आंकड़ों और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जानकारी की विविध सुविधाएं जुटाकर निर्यात व्यापार के चहुंमुखी विकास का हर प्रयास किया गया है। ❑

मध्य प्रदेश में समग्र विकास की एक नई पहल
दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना

श्वेता तिवारी

देश के विकास के लिये गांवों का विकास होना जरूरी है। छोटे–छोटे गांव जब समृद्ध होंगे तभी राज्य और देश का विकास होगा। विकास हर समाज का लक्ष्य होता है लेकिन वर्तमान समय में इस अवधारणा को पश्चिमी सोच के चश्मे से देखा जाता है जिसके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। असंतुलित प्रगति और पर्यावरण विनाश जैसे सवालों से समाज आज जूझ रहा है। इसके विपरीत भारतीय चिंतन, परम्परा, विकास की एक वैकल्पिक अवधारणा सामने रखती है। इस अवधारणा में सामाजिक समरसता, पर्यावरण सरंक्षण और टिकाऊ विकास निहित है।

दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत

इस विकल्प को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर 2004 से **"दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना"** के आरंभ का एलान किया गया। मध्य प्रदेश में आगामी चार वर्षों में बीस हजार गोकुल गांव मूर्त रूप लेंगे। इन गांव की उन्नति के जरिये प्रदेश को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना के अनुरूप विकसित प्रदेश बनाया जावेगा। यह तो तय है कि देश के विकास के लिए गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारना जरूरी है। गांवों के समग्र विकास के लिए प्रदेश में गोकुल ग्राम के रूप में किया जा रहा है जिन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आगे आने वाले चार सालों में प्रदेश के बीस हजार गोकुल गांव हो जायेंगे। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पशुपालन आदि समस्त व्यवस्थायें की जायेंगी। गांवों में विकास के कारण रोजगार की कमी भी नहीं होगी।

आजादी के सत्तावन साल बाद भी गांव विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे गांवों में न तो सड़कें बन पायी हैं, न स्कूल न ही स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से उपलब्ध हो पा रही हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि गांव का विकास हो, यहां के लोगों को रोजगार मिले, गांव की तरक्की हो।

भारतीय परंपरा के अनुसार गोकुल ग्राम प्रत्येक जिले में समग्र विकास की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जिसमें चिन्हित ग्रामों में चहुमुखी विकास के प्रयास किये जावेंगे। चाहे वह साफ सफाई के संबंध में बनी सकारात्मक समझ की हो या स्वच्छ शौचालय, नालियों की व्यवस्था हो, नाडेप से बनती जैविक खाद हो या स्वास्थ्य से संबंधित बात हो या फिर सर्वशिक्षा अभियान से संबंधित विषय या स्वसहायता समूह के स्वालम्बन से संबंधित मुद्दा हो। हर बात की नई पहल इस योजना के अंतर्गत हो रही है।

योजनाएं, विधायक एवं संसद निधि के समग्र प्रयास

इस योजना के तहत् हर जिले में कम से कम पांच गांव चुने जायेंगे। जिले के विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री, एवं कलेक्टर की सलाह से गांव का चयन गोकुल ग्राम के रूप में होगा। इस चयन के साथ ही साथ तथ्य को स्पष्ट कर दिया जायेगा कि जिले के वे हिस्से जो योजना क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं उसके लिए विधायक, सांसद अपनी निधि से राशि मुहैया करवायेंगे। हर विधान सभा क्षेत्र में गोकुल ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम सभा को महत्त्व

इस योजना की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गोकुल ग्राम के रूप में चुने गये की ग्राम सभा को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक गोकुल ग्राम में ग्राम सभा आयोजित कर, प्रत्येक ग्राम हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सिंचाई, कृषि, पर्यावरण, स्वच्छता, पशुधन विकास, स्वालंबन एवं ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई जायेगी। अजीविका वृद्धि, आत्मनिर्भरता, उत्पादन में बढ़ोतरी एवं संसाधनों के सतत् प्रबंधन के प्रयास किये जायेंगे।

स्वास्थ्य सुविधाएं

सारे गांव का लक्ष्य रहेगा कि कोई गांववासी चाहे वह गर्भवती मां, बच्चा, किशोरी, अस्वस्थ व्यक्ति एनीमिक न रहे। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, ए.एन.एम. और चिकित्सा अधिकारी पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ गांव का प्रत्येक व्यक्ति सेहतमंद बना रहे तथा अस्वच्छ एवं गंदे पानी से होने वाली बीमारियों की चपेट में न आये। इसलिए साफ पानी के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का जीर्णोद्धार किया जायेगा। इन जल सरंचनाओं को साफ रखने की जिम्मेदारी ग्रामवासियों की ही होगी। प्रत्येक ग्रामवासी उन्हें साफ सुथरा रखने की शपथ लेगा। इसके साथ ही गांव में भू–जल संवर्द्धन पर ध्यान दिया जायेगा। गांव में भू–जल संवर्द्धन के लिए संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा जिससे भू–जल का स्तर बढ़ सके। इन कार्यों में समुदाय की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जायेगा।

समग्र स्वच्छता

हर गोकुल ग्राम की ग्राम सभा की बैठक में हर ग्रामवासी को साफ सफाई का महत्व समझाया जायेगा। जिससे वह अपने घर, आंगन और गांव को स्वच्छ रखने का काम एक अभियान की तरह करे।

गांव के कचरे को कम्पोस्ट में बदलने के लिए कृषि विभाग की योजना के तहत नाडेप बनाये जायेंगे जिससे गांव वाले अपना कचरा नाडेप टांके में डालें इसके लिए विभाग की योजना के अंतर्गत अनुदान भी प्राप्त होगा।

शिक्षा

गांव के सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान को इसमें और अधिक महत्व दिया गया है। ताकि

इस ओर गंभीरता से प्रयास किए जा सकें व हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। साथ ही पालक शिक्षा संघ सक्रिय रूप से अपनी भूमिका शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर मध्यान्ह भोजन के माध्यम से गरीब बच्चों को मिलने वाले पोषण के स्तर में और अधिक सुधार हो सके तथा अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन बच्चों को मिल सके।

सशक्तिकरण

गोकुल ग्राम में महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार की तरफ भी एक वृहद सोच को अपनाया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में कम से कम एक महिला स्व सहायता समूह निर्मित किया जायेगा। जिसमें विशेषकर गांव की महिलायें अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकें एवं आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण में अपनी भूमिका और अधिक स्पष्ट कर सकें। साथ ही ग्रामीण व्यापार व्यवस्था को मजबूती देने के लिये ग्राम शिल्पियों के हाट बाजार और दूसरी विपणन संस्थाओं का निर्माण किया जायेगा।

गोधन, दूध, दही

गोकुल ग्राम में पांच गरीब परिवारों को तीन–तीन गायें 90 प्रतिशत अनुदान पर दी जायेंगी शेष 10 प्रतिशत राशि हितग्राही के परिवार को स्वयं वहन करनी होगी। इसमें संबंधित परिवार को प्रतिमाह अतिरिक्त आय भी होंगी। सागर, रीवा, संभाग में प्रदेश में सबसे कम दुग्ध उत्पादन होता है, इसलिये पहले चरण में यही संभाग लिया जायेगा।

योजना का स्वरूप

- गोकुल ग्राम योजना हर वर्ग के लिये है इसमें खासकर कमजोर वर्ग और महिला स्वसहायता समूह को प्राथमिता दी जायेगी।
- हर जिले में 20 से 25 एकड़ सरकारी जमीन इस योजना के तहत उपयोग की जायेगी।
- हर हितग्राही को 1/2 से 3/4 एकड़ जमीन दी जायेगी।
- इस प्रक्षेत्र में सड़क, चारा, एक पशु चिकित्सालय, दुग्ध शीत केंद्र, पानी की व्यवस्था, गोबर गैस प्लांट और बिजली उत्पादन संयत्र संयुक्त रूप से बनेगा और इस पर खर्च हितग्राहियों में बांटा जायेगा।
- हर हितग्राही गौशाला और पशु खरीदने को स्वतंत्र होगा।
- हितग्राही को अपने दुग्ध उत्पादन का कम से कम आधा दुग्ध उत्पादन संघ को देना अनिवार्य होगा। बचा दूध हितग्राही बेच सकेगा। दुग्ध उत्पादन महासंघ को दूध देने की अनिवार्यता इसलिये है कि, ऋण देने वाले बैंक, हितग्राही और दुग्ध महासंघ में त्रि–पक्षीय अनुबंध हो सके और दुग्ध बैंको के ऋण का भुगतान कर सकें।
- इस योजना में हर हितग्राही बैंक से कर्ज ले सकेगा। इसके लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर डेयरी प्लस योजना शुरु कर रहे हैं। गोशाला भवन निर्माण और दुधारु पशु क्रय पर आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान होगा।
- शासन का इस योजना में केवल भूमि मूल्य का व्यय होगा। इस तरह दूध–दही से भरपूर "गोकुल" फिर संभव होगा।
- ग्राम पंचायत में प्रशासकीय पारदर्शिता बढ़ाने के इरादे से, इन्हें मिलने वाली सभी राशियों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जायेगा। गोकुल ग्राम में पंच–ज दर्शन की कार्यरूप परिणति संभव हो सकेंगी।

सार

इस योजना में ग्रामों के समग्रता से विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गोकुल ग्राम योजना के माध्यम से गांव–गांव में विकास का प्रयास किया जा रहा है जो कि बिना गांव के लोगों की सहभागिता से सफल नहीं हो पायेगा। इसमें जहां एक ओर ग्रामवासियों के सहयोग की जरूरत होगी वहीं दूसरी योजना के क्रियान्वयकों को भी लगन और रुचि के साथ अपनी–अपनी भूमिका का मुस्तैदी के साथ निर्वहन करना होगा। जब योजना से फायदा उठाने वाले लोग और योजना के क्रियान्वयक दोनों ही मिल कर इस दिशा में प्रयास करेगें तब निश्चित ही यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। जब प्रदेश में गोकुल ग्राम सर्वांगीण विकास के उदाहरण बनेगें तब इन्हें देखकर अन्य ग्राम भी इस दिशा में प्रयत्नशील होगें। इस प्रकार के अनुकरणीय प्रयासों के चलते प्रदेश का प्रत्येक गांव आर्दश ग्राम बनें यही हमारा लक्ष्य है। ❑

(लेखिका महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर म.प्र. से संबंद्ध हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर ***निदेशक, प्रकाशन विभाग*** *को नई दिल्ली में देय हो।*

ग्रामीण सचिवालय

जगदीश मालवीय

प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही त्वरित निराकरण के लिए स्थापित तीन स्तरीय सचिवालय बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं। शासन द्वारा अगस्त 2004 से लागू की गई ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत नीमच जिले में 66 ग्रामीण सचिवालय, 12 उप विकासखंड स्तरीय एवं तीन विकास खंड स्तरीय सचिवालय स्थापित किये गये हैं। जिले में जन समस्याओं के निराकरण की इस तीन स्तरीय सचिवालयीन व्यवस्था के तहत अब तक कुल प्राप्त 4791 में से 4553 जन समस्याओं का निराकरण किया गया है। शेष 256 आवेदनों के निर्धारित समय सीमा में निराकरण की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जा रही हैं।

नीमच जिले के कलेक्टर ने ग्रामीण सचिवालय को जन्नोमुखी एवं और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विकास खंड स्तरीय सचिवालय को तीन दिवस तक आयोजित करने की परंपरा स्थापित की है। इसके तहत प्रथम दिन ग्राम स्तरीय अधिकारी–कर्मचारी, दूसरे दिन विकास खंड स्तरीय अधिकारी–कर्मचारी सचिवालय में उपस्थित होकर जन समस्याओं का निराकरण करते है, जबकि तीसरे दिन कलेक्टर सहित अन्य सभी जिला अधिकारी विकास खंड स्तरीय सचिवालय में उपस्थित होकर जन समस्याओं का निराकरण करते हैं। ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था प्रारंभ होने से अब तक जिले के 66 ग्रामीण आवेदन लम्बित होकर संबंधित विभागों द्वारा उनके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। नीमच तहसील क्षेत्र में स्थापित 25 ग्रामीण सचिवालयों में प्राप्त 1226 जन समस्याओं में से 1213 का तत्काल निराकरण किया जा चुका है। मनासा तहसील क्षेत्र के 19 ग्रामीण सचिवालयों में अब तक प्राप्त 840 में से 824 जन समस्याएं निराकृत की गई हैं। जावद तहसील क्षेत्र के 22 ग्रामीण सचिवालयों में प्राप्त 587 आवेदनों में 576 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

जिले की नीमच, जावद एवं मनासा तीनों तहसील क्षेत्र में चार–चार कुल 12 उप विकास खंड स्तरीय सचिवालय स्थापित किये गये हैं। इन सचिवालयों द्वारा अब तक प्राप्त कुल 1364 जन समस्याओं में से 1309 का निराकरण किया गया है। शेष 55 आवेदन लम्बित रखे जाकर संबंधित विभाग द्वारा निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। नीमच तहसील क्षेत्र के उप विकास खंड स्तरीय सचिवालयों द्वारा प्राप्त 279 में से 279 तथा जावद क्षेत्र में प्राप्त कुल 675 में से 624 जन समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत नीमच जिले में सात स्थानों पर विकास खंड स्तरीय सचिवालय आयोजित किये गये। इनमें ग्रामीणों से प्राप्त कुल 774 में से 613 जन समस्याओं का निराकरण किया गया। शेष 161 आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही जारी है। सितंबर 2004 में मनासा एवं जावद में आयोजित विकास खंड स्तरीय सचिवालयों में प्राप्त क्रमशः 32 एवं 90 आवेदनों का शिविर में ही शत प्रतिशत निराकरण किया गया। दिसंबर 2004 में नीमच एवं फरवरी 2005 में जावद में आयोजित विकासखंड स्तरीय सचिवालय में क्रमशः प्राप्त 19 एवं 16 जन समस्याएं शत प्रतिशत निराकृत की गईं।

28 से 30 मार्च, 2005 तक बामनिया में आयोजित तीन दिवसीय शिविर में प्राप्त 164 में से 92, आवेदनों, कुकडेश्वर में 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित सचिवालय में प्राप्त 122 में से 84 जन समस्याओं का निराकरण किया गया। इसी प्रकार जावद तहसील के गांव झांतला में 27 से 29 अप्रैल, 2004 तक आयोजित तीन दिवसीय विकास खंड स्तरीय सचिवालय में ग्रामीणों से प्राप्त 331 प्रकरणों में से 280 प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया।

प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई इस ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था के बेहतर परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। ग्रामीण सचिवालयों के माध्यम से शासन ने स्वयं ग्रामीणों के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं के निराकरण की सार्थक पहल की है। इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। अब ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से निजात तो मिली है, उनके समय एवं धन की भी बचत हुई है। ❑

(लेखक जिला जनसंपर्क कार्यालय नीमच (म.प्र.) से संबंद्ध हैं।)

पर्यटन योजनाओं की समीक्षा

केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने पर्यटन योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने व उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें बुलाने का फैसला किया है। शुरुआत के तौर पर नई दिल्ली में राजस्थान, पंजाब व उत्तरांचल के साथ बैठक होंगी। इस बैठक में पर्यटन से संबंधित बुनियादी सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था और मार्गों पर यात्री सुविधाओं के विकास पर चर्चा होने की संभावना है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि पर्यटन योजनाओं को एक ही स्थल से मंजूरी देने की सुविधा और योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निरीक्षण प्रणाली स्थापित करें। मंत्रालय ने यात्रियों को बेवजह परेशान रकने वालों के खिलाफ अलग से पर्यटन व्यापार अधिनियम बनाने का भी अनुरोध किया है। राज्यों के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन – पुलिस की तैनाती करने को कहा गया है। आतिथ्य क्षेत्र में टैक्सों के युक्तिसंगत बनाने व सस्ते होटलों के लिए भूमि आवंटन पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

रोजगार सृजन में सब्सिडी की भूमिका

चन्द्रेश कुमार

तमाम आर्थिक सुधारों की प्रक्रियाएं एवं सरकारी कार्यक्रमों के तहत चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक कैसे इसका लाभ पहुंचाया जा सके जिससे कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। इन सब कार्यक्रमों के तहत सरकार अपनी नीतियों को यथासंभव परिवर्तित करती रहती है तथा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के तहत वे सुविधाएं प्रदान करती हैं जिनका लाभ उठाकर व्यक्ति रोजगार तथा अन्य साधनों के द्वारा इन्हें अपनाकर अर्थव्यवस्था की गति को और तीव्रतर बना सकता है।

आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि पर ही बहुत हद तक टिकी हुई है। इस लिहाज से कृषि तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यों में लगे हुए लोगों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कृषि के साथ–साथ अन्य तरीकों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए जिससे कि ग्रामीण इलाकों के लोगों में रोजगार सृजन, आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार तथा अन्य कई विकासात्मक गतिविधियों का केंद्र ग्रामीण इलाकों में शुरू किया जा सके। आज सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती रोजगार सृजन को लेकर है क्योंकि सभी विकास के दरवाजे इसी से होकर गुजरते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के जरिये कई तरह के कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था करती है जिससे कि कोई भी उद्यमी या संस्था इन कार्यक्रमों के जरिये अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा दी जा रही सभी सब्सिडी कार्यक्रमों का एक साथ एक जगह पर उल्लेख कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए बारी–बारी से एक–एक कार्यक्रम की ही चर्चा संभव हो पाएगी। चूंकि भारत एक गांवों का देश है। देश की सत्तर फीसदी आबादी कृषि तथा इससे आधारित कार्यों में ही लगी हुई है अतः उस लिहाज से कृषि मंत्रालय की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। अतः सबसे पहले कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर चर्चा की जाएगी। इन सब्सिडी कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां एक ओर रोजगार सृजन से है वहीं दूसरी तरफ एक कार्यक्रम के लागू हो जाने भर से ही उसके द्वारा परोक्ष एवं अपरोक्ष तरीके से कई प्रकार के अन्य रोजगार अवसरों का विकास होने लगता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि विपणन आधारित संरचना, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना बनाई है। यह योजना देश के समस्त राज्यों में चल रहे कृषि उपज विपणन अधिनियम में सुधार से संबंधित है।

मुख्य उद्देश्य

- इस सब्सिडी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में उपलब्ध विपणन आधारित संरचना को मजबूत करना है। इसके अलावा कृषि विपणन के क्षेत्र में अतिरिक्त आधारित संरचना का विकास करना ताकि कृषि के साथ–साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा गौण वन उत्पादन के संभावित विशाल उत्पादन का आने वाले वर्षों में सही ढंग से विपणन किया जा सके।
- निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में कृषि विपणन आधारित संरचनाओं को विकसित करने के लिए पूंजी निवेश को आकर्षित करना।
- सीधे विपणन के जरिये बिचौलिये की संख्या में कमी लाना ताकि विपणन प्रक्रिया की दक्षता में बढ़ौती मिले।
- श्रेणीकरण, मानकीकरण, गुणवत्ता, लेबलिंग, पैकेजिंग तथा प्रमाणन हेतु कृषि विपणन आधारित संरचनाओं को विकसित करना जिससे प्रतिभूति ऋण आधारित की मुख्य आवश्यकता को बल मिल सके। इससे कृषि उत्पादों के भविष्य एवं आगे की विपणन प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

विशेषताएं

- यह योजना उन्हीं राज्यों में लागू होगी जो कृषि उपज मंडी एक्ट में योजना की आवश्यकतानुसार संशोधन करेंगे तथा वहां पर सीधे विपणन वायदा खेती तथा निजी और सहकारी क्षेत्रों में बाजारों की स्थापना करने की अनुमति होगी।
- यह पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है।

योजना का लाभ देशभर में एकल व्यक्ति, कृषक/उत्पादक/उपभोक्ता समूह, साझेदारी/स्वामित्व फर्में, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन संघ, स्थानीय निकाय, कृषि उपज विपणन समितियां और विपणन बोर्ड ले सकते हैं।

राज्य एजेंसियों की बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, जिनमें विद्यमान, विपणन आधारित संरचना के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषित/सहवित्तपोषित परियोजनाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र होंगे।

योजना के अंतर्गत उद्यमी आर्थिक एवं वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर/कृषि विपणन आधारित संरचना परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि परियोजना द्वारा उत्पादकों/कृषक समुदाय को उपज के फसलोपरांत प्रबंधन/विपणन में सीधे सेवा प्रदान की जानी चाहिये।

संस्थागत ऋण

- **पात्र वित्तीय संस्थान** : योजना के तहत वित्तीय संस्थान हैं :

वित्तीय पैटर्न

वित्त स्रोत	पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर	पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्र/अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए
क. केंद्र सरकार का अनुदान	25 प्रतिशत	33.33 प्रतिशत
ख. वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों इत्यादि से संस्थागत ऋण	न्यूनतम 50 प्रतिशत	46.67 प्रतिशत (न्यूनतम)
ग. मालिक का अंशदान	शेष परियोजना लागत	शेष परियोजना लागत
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की लागत का 10 प्रतिशत तक तथा नगर पालिका क्षेत्रों में भूमि की लागत का 20 प्रतिशत तक मालिक का अंशदान में समायोजना योग्य माना जायेगा।		
अधिकतम	50 लाख	60 लाख

- व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास वित्त कंपनियां, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम और अन्य ऐसे संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंधन के लिए पात्र होंगे।
- पात्रता दिशानिर्देशों के अनुरूप एनसीडीसी से मान्यता प्राप्त सहकारी समितियां और सहकारी बैंक।

समय सीमा

परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की प्रथम किस्त संवितरण की तरीख से 18 महीने निर्धारित की गई है। न्यायोचित क्षेत्रों में संस्थागत ऋणदाता इस समय सीमा को अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तथापि कुल दो करोड़ रुपये या इससे अधिक परिव्यय वाली एकीकृत बड़ी समन्वित कृषि विपणन आधारित संरचना परियोजनाएं जिनमें चरणबद्ध रूप से कार्य किये जाने की आवश्यकता हो, वहां परियोजना के समापन के लिये वित्तपोषक संस्था द्वारा ऋण की पहली किस्त दिये जाने की तारीख से अधिकतम 36 महीने की समय सीमा दी जा सकती है।

ऋणियों के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज दर आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पी.एल.आर. पर होगी। ब्याज ऋण की प्रथम संवितरण की तारीख से देय होगा। प्रतिसंदाय अवधि नकदी प्रवाह पर निर्भर होगी और 11 वर्ष के लिये होगी, जिसमें एक वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल होगी। प्रथम वार्षिक किस्त प्रथम संवितरण की तारीख से 24 माह बाद देय होगी।

अन्य शर्तें

- सहभागी बैंक/नाबार्ड/एनसीडीसी/आदि परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये अपने नियमों का पालन करेंगे।
- सरकार किसी भी शर्त को संशोधित करने, उसमें कुछ जोड़ने तथा उसमें से कुछ समाप्त करने का अधिकार रखती है।
- परियोजना यूनिट का बीमा करवाने की जिम्मेवारी परियोजना के मालिक पर होगी।

कैसे मिलेगी सब्सिडी

- प्रोजेक्ट प्रस्ताव की चार प्रति बैंक में जमा करें।
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव बैंक को ठीक लगे तो ऋण मंजूर कर सकते हैं। इस ऋण की प्रथम किस्त वितरण करने के बाद बैंक नाबार्ड को प्रोजेक्ट प्रस्ताव के साथ 50 प्रतिशत अनुदान अग्रिम के लिए भेजें। नाबार्ड से मिली अनुदान की यह राशि बैंक के पास ऋण लेने वाले के नाम पर एक स्पेशल एकाउंट में जमा होगी।
- शेष 50 प्रतिशत सब्सिडी परियोजना समाप्ति पर डी.एम.आई., नाबार्ड और बैंक की संयुक्त निरीक्षण कमेटी की सूचना के आधार पर नाबार्ड बैंक को प्रदान करेगा।

साथ ही इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण भंडारण योजना के तहत गोदामों के निर्माण/नवीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना चलाती है।

- इस योजना के अंतर्गत उद्यमी कहीं भी एवं किसी भी आकार का गोदाम बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, जो कि नगर निगम के क्षेत्र से बाहर हो।
- सब्सिडी की दर परियोजना की पूंजी लागत का 15 से 33.3 प्रतिशत तक और 50 मीट्रिक टन से 10,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम, इस योजना के पात्र होंगे।
- 1000 टन क्षमता वाले गोदामों के लिए सब्सिडी अधिकतम 2,000 रुपये प्रति टन लागत पर और 1000 टन से अधिक के लिए अधिकतम 1,500 रुपये प्रति टन लागत के अनुसार दी जाएगी।
- उपर्युक्त सब्सिडी की राशि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 37.5 लाख रुपये और विशेष क्षेत्रों में अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगी।

इन सभी कार्यक्रमों के लिए विस्तृत जानकारी हेतु विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। ❑

(लेखक कृषि एवं सहकारिता विभाग के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में उप कृषि विपणन सलाहकार हैं)

स्व-रोजगार का सुनहरा अवसर

एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस

एच.पी. सिंह

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि में काफी व्यक्तियों को रोजगार भी मिला हुआ है। आज भी हमारी कृषि पुरानी तकनीक पर ही आधारित है। हमारे किसानों को गुणात्मक उत्पादन के लिए नई तकनीक को अपनाना होगा विशेषकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की चुनौती का सामना करने के लिए।

वर्तमान में हमारे देश में प्रतिवर्ष कृषि एवं कृषि से संबंधित विषयों से 11,900 कृषि स्नातक विभिन्न विश्वविद्यालयों से पास होते हैं जिनमें से कुल लगभग 2,000 कृषि स्नातक ही नौकरी पाने में सक्षम हो पाते हैं इस प्रकार प्रतिवर्ष 9900 कृषि स्नातक कृषि उत्पादन में सहयोग के लिए उपलब्ध हैं। सरकार के काफी प्रयासों के बावजूद भी कृषि विस्तार के कार्य में कमी आ रही है। अतः घट रहे कृषि विस्तार के कार्यों की पूर्ति एवं कृषि के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए उपाय करना ही होगा। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष बढ़ रहे हजारों बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण तथा सुविधा उपलब्ध करा कर पूरा किया जा सकता है।

कृषि के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य से मिलने वाली चुनौतियों व बेरोजगार कृषि स्नातकों को उद्यमी बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से वर्ष 2001 से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित "एग्री क्लीनीक एवं एग्री बिजनेस" कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ किया है। इस योजना से सभी किसानों को अच्छी फसल उत्पाद विधि की जानकारी दी जायेगी।

एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस योजना का उद्देश्य

- सरकार द्वारा चलाये जा रहा कृषि विस्तार योजना में सहयोग करना।
- जरूरत मंद किसानों को अतिरिक्त कृषि निवेश (कृषि इनपुट) स्रोत एवं सेवा उपलब्ध कराना।
- कृषि क्षेत्र में नये उभरने वाले क्षेत्र में कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना कृषि तथा कृषि से संबंध सभी क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, रेशम, वानिकी, पशुचिकित्सा, पशु–पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी–पालन, मत्स्य–पालन, मधुमक्खी–पालन आदि की क्षेत्रों के स्नातकों हेतु खुला हुई है। इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी कृषि स्नातक इस योजना का लाभ लेकर उद्यमी बन सकता है तथा क्लीनिक खोलकर किसानों को जानकारी उपलब्ध करा सकता है।

क्लीनिक सेंटर में किसानों को फसल का चुनाव करना, अच्छी तरह से खेती करना, उत्पादन पश्चात् मूल्य वर्धित विकल्प का चयन करना, कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, मूल्य का उतार चढ़ाव, बाजार सूचना, जोखिम तथा फसल बीमा साख (ऋण) के साथ ही साथ सैनिटेशन आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी जो किसानों को फसल उत्पादन तथा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगीं।

प्रशिक्षण

इच्छुक बेरोजगार कृषि स्नातकों हेतु पूरे देश में 67 चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विशेष प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दो माह का दिया जायेगा जिससे कृषि स्नातक अपना उद्यम स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) नई दिल्ली को इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक 324 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं तथा कुल 6732 कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रशिक्षण में पढ़ाये जाने वाले विषय

इस प्रशिक्षण में निम्न विषयों को पढ़ाया जाता है।

एग्री बिजनेस प्रबंध, लघु व्यवसाय प्रबंध, सामान्य विपणन प्रबंध, कृषि विपणन प्रबंध, परियोजना प्रबंध वित्तीय प्रबंध और सूचना प्रौद्योगिकी।

व्यावहारिक अध्ययन

प्रशिक्षण अवधि में सैद्धांतिक विषयों के पढ़ाने के साथ ही साथ 20 अन्य विषयों का व्यावहारिक अध्ययन भी कराया जाता है जो निम्नानुसार है:

- भूमि, जल गुण तथा कृषि निवेश जांचने की लैब सेवा केन्द्र
- पौध संरक्षण सेवा केन्द्र
- कृषि औजार तथा मशीनरी का रख–रखाव तथा मरम्मत
- कृषि सेवा केन्द्र
- बीज प्रसंस्करण इकाई
- माइक्रो प्रोपैगेशन थ्रो फ्लोट टिशूकल्चर लैब
- वर्मी खाद इकाई बायो फर्टीलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो कन्ट्रोल एजेन्सी की स्थापना
- मधु–मक्खी पालन तथा शहद प्रक्रिया इकाई स्थापना
- कृषि विस्तार सेवा केन्द्र
- कृषि बीमा सेवा
- मत्स्य–पालन
- पशु चिकित्सा स्थापना तथा फ्रोजेन सीमेन बैंक तथा तरल नाइट्रोजन आपूर्ति
- सूचना तकनीकी की स्थापना
- चारा प्रसंस्करण तथा टेस्टिंग इकाई
- मूल्य वर्द्धित केन्द्र
- कूल चेन इकाई की स्थापना
- कृषि उत्पादन की छटनी, ग्रेडिंग, मानकीकरण, भण्डारण तथा पैकेजिंग इकाई की स्थापना

- मेटलिक अथवा नन मेटलिक भण्डारण ढांचा तथा ग्रामीण गोदाम इकाई की स्थापना
- प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद की खुदरा बिक्री इकाई स्थापना
- कृषि इनपुट तथा आउटपुट के ग्रामीण बाजार में खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना

परियोजना स्थापना

प्रशिक्षण अवधि में स्नातकों को अपने उद्यम स्थापना हेतु एक–एक परियेाजना तैयार कर कक्षा में प्रस्तुत करना होती है जिसे बैंक के अधिकारी बैंकेवल परियोजना है अथवा नहीं पर विचार देते हैं। यदि परियोजना बैंकवल नहीं है तो परियोजना में पुनः संशोधन कर बैंकवेल परियोजना बनाया जाता है। परियोजना व्यक्तिगत तथा समूह किसी भी प्रकार से बनाकर स्थापित की जा सकती है। समूह की स्थिति में कम से कम 5 सदस्य अवश्य होने चाहिए तथा उनमें से कम से कम एक व्यक्ति प्रबंधकीय क्षेत्र का स्नातक होना चाहिए। व्यक्तिगत परियोजना 10 लाख तक की तथा समूह का परियोजना 50 लाख तक की स्थापित की जा सकती है। इन परियोजनाओं हेतु बैंक द्वारा रियायत दर पर प्राथमिकता के आधार पर तथा आसान किश्तों पर 5 से 10 वर्षों तक के लिए ऋण दिया जाता है। दो वर्ष की ग्रेस अवधि भी दी जाती है।

प्रशिक्षण के लिए कृषि स्नातकों की सूची

प्रशिक्षण के लिए इच्छुक कृषि स्नातकों की सूची राष्ट्रीय कृषि प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद अपने स्तर से विज्ञापन के माध्यम से पूरे देश के लिए राज्यवार सूची तैयार करता है तथा राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों को उनके मांग के अनुरूप सूची उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रशिक्षण केन्द्र भी अपने स्तर से विज्ञापन निकाल कर तथा अन्य माध्यमों से चयन करते हैं। बाद में प्रशिक्षण संस्थान मैनेज से आई.डी. नम्बर प्राप्त कर उसका रख–रखाव करते हैं।

हैंड होल्डिंग

प्रशिक्षण कृषि स्नातकों को अपने उद्यम स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु इस योजना के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण संस्थानों को हैंड होल्डिंग की मद में राशि दी जाती है। प्रशिक्षण संस्थाएं इस राशि का उपयोग स्नातकों को इकाई स्थापना में आने वाली कठिनाई जैसे बैंक द्वारा ऋण समय पर न उपलब्ध कराना, कृषि विभाग अथवा राज्य सरकारों से आने वाली कठिनाइयां या अन्य किसी प्रकार की कठिनाइयों के लिए स्नातक के परियोजना तक जाना/बैंकों से मिलना/विभागों, नाबार्ड आदि तक जाने आने पर किया जाता है। इसकी अवधि प्रशिक्षण समाप्त होने से एक वर्ष तक की होती है।

प्रशिक्षण राशि

कृषि बेरोजगार स्नातकों के लिए दो माह के प्रशिक्षण पर आने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु भारत सरकार मैनेज के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों को धनराशि उपलब्ध कराती है। इसमें प्रशिक्षण पर आने वाले सभी खर्चे शामिल हैं। परंतु प्रशिक्षण संस्थानों को संस्थागत व्यय के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है।

मूल्यांकन

प्रशिक्षण आयोजन तथा प्रशिक्षण पश्चात् का मूल्यांकन कार्य मैनेजर के द्वारा किया जाता है। ❑

(लेखक इन्दिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ से संबंद्ध हैं।)

कुआं खोदने का कार्य पुरुषों के लिए और फसल काटने का कार्य महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आय वाला पेशा

मजदूरी दर के बारे में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में कुआं खोदने का कार्य पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा आमदनी वाला है। केरल में इस क्षेत्र में पुरुषों के लिए औसतन दर सबसे अधिक रही, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी 2003–04 के लिए ग्रामीण श्रमिक पूछताछ डाटा के अनुसार हल चलाना और बुआई दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक कमाई वाला काम है। महिलाओं को सबसे अधिक मजदूरी फसल कटाई के काम में मिलती है और रोपाई तथा मढ़ाई व्यवसाय महिलाओं के लिए मजदूरी के मामले में दूसरे नम्बर पर है।

भेड़–बकरियां चराना सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए सबसे कम मजदूरी वाला साधन है। वर्ष 2003–04 के दौरान इस पेशे से पुरुषों को 40.46 रुपये और महिलाओं को 29 रुपये की प्रतिदिन की आय हुई। गैर–कृषि वाले पेशों में मिस्त्री का पेशा सबसे अधिक आय वाला साधन है। इसके बाद बढ़ई और लुहार के काम हैं। अखिल भारतीय औसतन के आधार पर देखा जाए तो पुरुष मिस्त्रियों को जुलाई 2003 में 118.12 रुपये प्रतिदिन और जून, 2004 में 121.14 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिली। महिलाओं के लिए झाडू बुहारने का कार्य सबसे ज्यादा आमदनी वाला था। अखिल भारतीय औसत के आधार पर देखा जाए तो दिसंबर, 2003 में महिलाओं को इस पेशे से 48.52 रुपये प्रतिदिन और अगस्त, 2003 में 51.37 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिली।

आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों के लिए झाडू बुहारने का कार्य सबसे कम आय वाला पेशा है। पूछताछ से एक और उल्लेखनीय बात सामने आई कि महिलाओं की दैनिक औसत आमदनी आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम है और ऐसा सभी पेशों में देखने में आया है। कोई भी महिला कर्मी, बढ़ई, लुहारी, मोची और ट्रेक्टर चालक जैसे पेशे से जुड़ी नहीं पाई गई। ग्रामीण मजदूरी, पूछताछ सर्वेक्षण के तहत एकत्र किए गए आंकड़े 11 कृषि व्यवसायों और 7 गैर कृषि व्यवसायों से हैं। इसके लिए 20 राज्यों के 600 गांवों को नमूने के रूप में लिया गया था और यहां पर जुलाई 1986 से हर कृषि वर्ष के लिए आंकड़े एकत्र किए गए थे। इन आंकड़ों से कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर तथा कार्यों के हालात की एक झलक मिलती है। ❑

ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य
दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी

मनोहर पुरी

स्वास्थ्य किसी भी देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति अथवा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह आधुनिक युग की दौड़ में पीछे रहने के लिए बाध्य है। अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति और व्यक्तियों से निर्मित समाज गुणों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो पाते। स्वस्थ होना बीमारी रहित होना नहीं है। इसके बहुत व्यापक अर्थ हैं। इसलिए स्थान–स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करके रोगों को दूर करना ही काफी नहीं है। बल्कि जैसा की बुजुर्गों ने कहा है कि **Prevention is better than cure** इसके लिए हमें आम आदमी के स्वास्थ्य के प्रति सर्वव्यापक तौर पर दृष्टिकोण बदलने होंगे। विकसित देशों की ही भांति भारत में भी बड़े–बड़े अस्पताल खोल कर अनेकानेक गंभीर बीमारियों की इलाज रोज किया जा रहा है। अनेक बीमारियों को फैलने से रोकने में हम सक्षम हैं परंतु वास्तविक समस्या स्वास्थ्य के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने की है।

भारत के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और यही क्षेत्र हैं जहां स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है। गत पचास वर्षों में इन क्षेत्रों में पर्याप्त कार्य भी हुआ है फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना सबसे अधिक जरूरी है। यह ठीक है कि प्रदूषण के अभाव में और आम लोगों द्वारा कड़ी मेहनत करने के कारण गांव के लोगों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहता है। यहीं मानते हुए हमने वर्षों इस क्षेत्र को उपेक्षित भी किया है। अब स्थितियां बदल रही हैं। लोग स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति गंभीर होने लगे हैं। सरकार ने भी इस क्षेत्र में कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी कार्य राज्यों की कार्य सूची में आते हैं परंतु अनेक स्थानों पर केन्द्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। गत छः दशकों से स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने और उनके संचालन हेतु आवश्यक जनशक्ति जुटाने के प्रयास किए गए हैं। इस क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक केन्द्र प्रयोजित योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

20वीं शताब्दी में ग्रामीण क्षेत्रों में महामारियों ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब इस क्षेत्र में काफी अनुसंधान हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। 20वीं शताब्दी में हुए चिकित्सा संबंधी उपायों के कारण ही हमने एक स्वस्थ 21वीं सदी में प्रवेश किया है। 20वीं शताब्दी के चिकित्सीय प्रयासों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मजात शिशुओं की मृत्युदर में उल्लेखनीय कमी आई है। विश्वव्यापी प्रतिरोधक कार्यक्रमों ने अविश्वसनीय नतीजे दिखाये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलने वाली चेचक का देश से सफाया हो चुका है। पोलियो की रोकथाम करके उसे समूल नष्ट करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विश्व के सबसे बड़े अभियान बहुत सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए प्रयासों से कुष्ठ रोग के विस्तार को भी रोका जा सका है। आज भी देश में लाखों कुष्ठ रोगी हैं परंतु 80 के दशक के मुकाबले अब यह लगभग एक चौथाई ही है। अब यह सुनिश्चित हो गया है कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। देश में प्रतिरोधात्मक उपाय सर्वव्यापी रूप से न होने के कारण क्षय रोग फिर से फैलाने लगा है जो कि एक गंभीर समस्या है। आज भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख लोग क्षय से मर रहे हैं तथा प्रति वर्ष ढाई लाख नए रोगियों का पता लग रहा है। यह रोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैल रहा है। वहां पर इस रोग से पूरी तरह लड़ने के संसाधनों की कमी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पर नियंत्रण न हो पाना भी स्वास्थ्य संबंधी अनेकानेक समस्याओं का कारण है इसलिए सरकार बड़ी मात्रा में परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। अनचाहे गर्भ को रोकने की अनेक प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। मृत्युदर और रोगों पर नियंत्रण करने में भी सफलता मिलती जा रही है ऐसे में प्रजनन पर नियंत्रण करना और भी जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में आश्चर्यजनक पहलू यह है कि समाज का जो वर्ग अधिक बच्चों का लालन–पालन करने में सक्षम है उसमें प्रजनन दर कम हो रही है और जो वर्ग सक्षम नहीं हैं उनके यहां अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी प्रकार शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मदर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस दिशा में जागरूक करने के कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य की मूलभूत

सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आम जनता के लिए रोगों की रोकथाम पर तथा उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था वाले प्रावधानों पर जोर गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों के स्वास्थ्य और उपचार की गतिविधियों में उनकी सीधी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिदान प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। देश में लगभग 3000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 25000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, डेढ़ लाख उपकेन्द्रों का जाल बिछा हुआ है जिसके माध्यम से लोगों के निचले स्तर तक प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में 5000 लोगों पर एक उपकेन्द्र है जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 3000 लोगों पर ऐसे उपकेन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक उपकेन्द्र पर एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी नियुक्त हैं। दुर्भाग्यवश अभी तक इस क्षेत्र की कमियों को पूरा नहीं किया जा सका। आज भी दस प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना चिकित्सकों के चलाये जा रहे हैं। लाखों नर्सों की कमी को पूरा नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले योजना निवेश में वृद्धि हो रही है परंतु इसके सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल योजना निवेश की तुलना में इसके अनुपात में कमी आई है देश में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी बुनियादी सुविधाओं का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर साफ दिखाई देता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, जो कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना है, का प्रारंभ प्रारंभिक स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए 1982–83 में किया गया था। प्रायोगिक रूप में यह योजना 50 जिलों में शुरू की गई थी। 1994–95 में इसे सारे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाना ही नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषाहार की ओर ध्यान देना भी है। इसी के माध्यम से उनके जीवन स्तर और सामान्य रहन–सहन में सुधार हो सकेगा।

इसी प्रसंग में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का उल्लेख भी किया जा सकता है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के रहन–सहन को सुधारने और महिलाओं को गोपनीयता और अस्मिता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में शुरू किया गया। स्वच्छता की अवधारणा में सार्वजनिक और व्यक्तिगत कूड़े–करकट के निपटान और वातावरण की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी आवश्यकताओं की निरंतर आपूर्ति और सेवाओं में सुधार करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के माध्यम से सराहनीय कार्य कर रही हैं। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

नशीले पदार्थों का कसता शिकंजा

नशीले द्रव्यों (साइकोएक्टिव) का उपयोग मानव समाज आदिकाल से ही करता आ रहा है। मनुष्य ने संभवतः सबसे पहले यह सीखा कि अनाज और फलों को सड़ा कर नशीला पेय बनाया जा सकता है। ऋग्वेद में सोमरस नामक एक नशीले पेय पदार्थ का उल्लेख मिलता है। भारत में अफीम का प्रयोग 9वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा प्रारंभ हुआ। चरस पीने की सभ्यता हिप्पी संस्कृति से हमें मिली। भारत की 30 लाख से अधिक आबादी नशीली वस्तुओं की लत की शिकार हैं। इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली नशीली दवाओं से एड्स फैलने की काफी संभावना होती हैं, जिसके घातक परिणाम विश्वभर में अनुभव किए जा रहे हैं।

भौगोलिक दृष्टि से हेरोइन के दो सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्रों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित होने के कारण भारत में नशीली वस्तुओं की उपलब्धता आसान हो गई है। पश्चिम में स्वर्णिम अर्द्धचन्द्र (गोल्डन क्रेसेंट) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तथा पूर्व में (गोल्डन ट्राईगल) स्वर्णिम त्रिकोण म्यामार, थाइलैण्ड और लाओस से घिरे होने के कारण भारत को पारगमन यातायात की समस्या का भी सामाना करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र अवैध दवाओं की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। नशीले द्रव्यों के स्रोत देशों के साथ समीपता के कारण भारत अफीम, हेरोइन, हशीश, गांजा आदि के अवैध व्यापार का केंद्र बन गया है।

एक ऐसा रसायन जो किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन करता है, नशीले पदार्थ कहलाता है। नशे की आदत के शिकार लोग अपने दोस्तों की संगत में मात्र आकर्षण की वजह से इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ लोग ऊब, निराश और थकान से छुटकारा पाने के लिए भी नशा करने लगते हैं। आम तौर पर निराशावादी लोग नशे का शिकार पाये जाते हैं। नशीले और अन्य नशीले पदार्थों का आसानी से बाजार में उपलब्ध होना भी नशे का एक प्रमुख कारण है। फिल्मों तथा मीडिया के अन्य दृश्यों–माध्यमों ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में खासा योगदान दिया है।

नशे का व्यापार बहुत फायदेमंद है। अतः माफिया गिरोह इसे बड़े सुनियोजित ढंग से चलाते हैं। एक बार नशे का आदी होने के कारण नशे को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल कार्य है। अतः पैसे के अभाव में नशे के आदी लोग मुफ्त में नशीली दवाएं लेने के लिए इन्हें बेचने भी लगते हैं। अपने को अभिजात्य कहलाने वाले व्यक्ति पारिवारिक कर्त्तव्यों को

भूलकर भौतिकवादी दुनिया में विचरण कर रहे हैं। इनकी भौतिकवादी दुनिया में पैसे की चमक और शराब के प्यालों की खनक के साथ पश्चिमी मूल्यहीन संस्कारों से इन परिवारों के बच्चे उपेक्षा का शिकार बन जाते हैं। ऐसे बच्चे जल्दी ही सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम और हेरोइन आदि नशीले पदार्थ लेने लगते हैं।

हमारा समाज एक बंद कृषि प्रधान समाज से खुले उद्योग प्रधान समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप शहरीकरण और गांव की आबादी के शहरों में पलायन से सामाजिक नियंत्रण के परंपरागत तंत्र ढीले पड़ गए हैं और लोग आधुनिक जीवन में तनावों व दबावों का शिकार आसानी से बन जाते हैं। अन्य बातों के साथ–साथ तेजी से बदलते हुए सामजिक–आर्थिक हालात भी नशीले पदार्थों के फैलाव का कारण है। इसके अतिरिक्त नशे के प्रति उत्सुकता, जीवन के प्रति नीरसता, क्षणिक आनंद की खोज, सामाजिक एकाकीपन एवं स्व–अस्तित्व की पहचान न होना आदि भी व्यक्ति को नशीले द्रव्यों के व्यसन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं।

दुष्परिणाम

जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का उपयोग करता है वह इसका आदि हो जाता है। वह इनके बिना नहीं रह पाता। इस तरह उसे इनकी लत पड़ जाती है। नशाखोरी के अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं जैसे पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट, चिड़चिड़ापन बढ़ना, मस्तिष्क कमजोर होना, व्यक्तित्व में ह्रास, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन को बढ़ावा, अधिक अपराध होना, शैक्षिक जीवन में छात्र–छात्राओं के बीच उन्मुक्त यौनाचार होना, उच्चस्तरीय फैशनपरस्त परिवारों में देह इस्तेमाल की संस्कृति को बढ़ावा मिलना, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में कमी आना। नशेबाज व्यक्ति से असामाजिक तत्व कई प्रकार के लाभ उठाने से भी नहीं चूकते। वे नशे का लालच देकर चोरी, डकैती, हथियार बेचना, सोने आदि की तस्करी करवाने का काम लेते हैं। नशेबाज व्यक्ति से हत्या तक के जघन्य अपराध करवाए जाते हैं।

उपाय

भारत सरकार नशीले पदार्थों के प्रति सदैव सचेत रही है। स्वतंत्रता से पूर्व 1920 में गांधीजी व उनके साथियों ने अपने आंदोलनों में नशा विरोधी आंदोलन भी शामिल किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1950 में संविधान के अनुच्छेद 47 में यह व्यवस्था है कि नशीले द्रव्यों का इस्तेमाल केवल औषधियों और उपचार में ही किया जाएगा। इसके अलावा अन्य रूप में इसका इस्तेमाल निषेध होगा। 1954 में मद्यनिषेध जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 1955 में एक अप्रैल से पूरे देश में कानूनन मद्यनिषेध स्वीकार करने की सिफारिश की थी।

सामाजिक स्तर पर नशीली दवाओं के सेवन के विरूद्ध किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त सरकार ने इसके निदान के लिए वैधानिक कदम उठाए हैं। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को लागू करके इस दिशा में पहला कदम उठाया गया है। यह 14 नवम्बर 1985 से लागू हुआ था। इसके अंतर्गत 10 वर्ष का अनिवार्य न्यूनतम कारावास और एक लाख रुपये दंड का प्रावधान है, जिसको दोगुना भी किया जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत सजा पाने वाले व्यक्ति द्वारा हासिल की गई अवैध संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। वर्ष 1989 में किये गये संशोधनों के बाद कुछ मामलों में दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण कार्यक्रम (यूएनडीसीपी) की स्थापना 1991 में हुई थी। यह नशीली दवाओं के नुकसानदेह प्रभावों के बारे में जनचेतना जागृत करने की गतिविधियों का प्रयोजन करता है तथा नशीली दवाओं की समस्या पर निगाह रखने के लिए अनुसंधान करता है। भारत में केंद्रीय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो नशीली दवाओं संबंधी सभी कानूनों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी हैं। यह ब्यूरो देश और विदेश में अवैध व्यापार के रुझानों पर नजदीक से निगाह रखता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस समस्या से निपटने के लिए तीन सूत्रीय रणनीति अपना रहा है। इसमें जागरूकता उत्पन्न करना और लोगों को नशीली दवाओं की लत के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करना, नशाखोरों के सुधार के लिए प्रेरक परामर्श, उपचार, बाद की देखभाल और पुनर्वासित नशाखोरों को समाज की मुख्यधारा में लाना और सेवा प्रदाताओं का शिक्षित काडर बनाने के लिए स्वयंसेवकों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और पुनर्वास का प्रशिक्षण देना शामिल है। गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपये सालाना वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रत्येक वर्ष 4 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस कार्यक्रम के तहत 140 करोड़ रुपये से अधिक का आबंटन किया गया है।

नशाखोरी का इलाज

नशीले द्रव्यों के व्यसनियों की उपचार की कई विधियां हैं। उन्हें हल्के नशीले पदार्थ दिए जाते हैं। एक अन्य विधि है रोगी के सुई लगने से हुए घावों की चिकित्सा की जाती है। रोगी से व्यावसायिक परामर्शदाता, समाज सुधारक, मनोचिकित्सक आदि उन्हें वास्तविक जीवन में प्रवेश के लिए तैयार करते हैं। माता–पिता और गुरुजन नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नशीली दवाओं का सेवन मात्र कुछ नौजवानों की समस्या न होकर यह बच्चों और बूढ़ों को भी अपनी गिरफ्त में शामिल कर चुकी है। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी सहायता से संभव नहीं है इसके लिए यह आवश्यक है कि जितना अधिक इसके दुष्परिणामों को समाज में उजागर किया जाएगा उतना ही कारगर इस समस्या का हल सुनिश्चित किया जा सकेगा। ❑

तम्बाकू का सेवन - एक स्वास्थ्य समस्या

डा. नीलम मकोल

स्वास्थ्य, सबल और समृद्ध राष्ट्र के लिए लोगों का स्वस्थ और सबल होना जरूरी है। उनका स्वास्थ्य राष्ट्र का स्वास्थ्य है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को घुन की तरह धीरे–धीरे पीसती रहती हैं। तम्बाकू का सेवन भी एक ऐसी ही आदत है। शुरू में लोग इसका सेवन शौक के लिए करते हैं लेकिन बाद में यह एक आदत सी बन जाती है जो हमारे शरीर और मन को हमारे धन से बरबाद करती है। इसका सेवन करने वाले अपने प्राणों के स्वयं ही दुश्मन बन जाते हैं।

विश्व–भर में 125 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। इसमें से 40 प्रतिशत विकाशील देशों में हैं। वर्ष 2020 तक इस संख्या के बढ़कर 160 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। भारत में 20.80 करोड़ लोग तम्बाकू सेवन करते हैं, जिनमें से 15 करोड़ धूम्रपान करते हैं। तम्बाकू सेवनकर्ताओं में 23 प्रतिशत पुरुष और 4 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्रामीण इलाकों में 33 प्रतिशत पुरुष और 8 प्रतिशत महिलाएं तम्बाकू सेवन करती हैं। दुनिया–भर में तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से प्रति वर्ष 35 लाख लोगों की मौत होती है इनमें से आठ–से–दस लाख से अधिक लोग भारत में प्रति वर्ष तम्बाकू संबंधी बीमारियों से मरते हैं और कई लाख लोग अपंग हो जाते हैं। इनमें वे पीड़ित भी शामिल हैं जो सिर्फ तम्बाकू पीने वालों की संगत में रहते हैं, स्वयं सेवन नहीं करते।

भारत में धूम्रपान करने वाले बच्चों और महिलाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। करीब दो करोड़ बच्चे भारत में इस आदत के आदी हो जाते हैं। इसका सेवन सबसे ज्यादा गरीब लोगों में हो रहा है। इसके सेवन से देश में 40 सेकेण्ड में एक मौत हो रही है। यानी प्रतिदिन 2220 लोगों को नशे की अपनी इस प्रवृत्ति से हाथ धोना पड़ रहा है। दुनिया के विकासशील देशों में पिछले 20 वर्षों के दरमियान किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि इन देशों में धूम्रपान व तम्बाकू का सेवन करने वालों की संख्या में 60–70 प्रतिशत की कमी आयी है परंतु इन मामले में सबसे चिंता की बात यह है कि भारत में इनका सेवन करने वालों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है।

भारत विश्व का तम्बाकू पैदा करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहां लगभग 5,01,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 4,40,000 कुन्तल तम्बाकू पैदा होता है जिसमें से 20 प्रतिशत निर्यात होता है और बाकी 80 प्रतिशत विकसित देश में खत जाता है। तम्बाकू के व्यापार से लगभग 5550 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है लेकिन तम्बाकू संबंधित बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज पर देश को 13,550 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करना पड़ता है।

तम्बाकू का सेवन चाहे किसी भी रूप में हो, सदा ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सेवन करने वालों के स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं बल्कि आसपास वालों के लिए भी नुकसानदेह है। इसके साथ ही यह एक महंगी आदत है और परिवार के बजट पर इसका आर्थिक बोझ पड़ता है।

तम्बाकू के धुएं में करीब 4500 रायायनिक तत्व होते हैं जिनमें से निकोटिन, तम्बाकू टार और कार्बनमोनोआक्साइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। निकोटिन एक नशीला पदार्थ है जिसके कारण मनुष्य तम्बाकू का सेवन करने का आदी हो जाता है। यह नब्ज़ की गति बढ़ाता है, रक्त नलिकाओं को सिकोड़ देता है, रक्तचाप बढ़ाता है और हृदय के सामान्य कार्यों को प्रभावित करता है।

टार सांस नलियों में सूजन और सिकुड़न पैदा करता है। यह सबसे हानिकारक पदार्थ है जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर होता है।

कार्बन मोनोआक्साइड एक जहरीली गैस है जो कि रक्त की आक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। कोरोनरी धमनी हृदय रोगियों और श्वसन रोगियों में आक्सीजन की यह कमी रोग को उग्र बना सकती है। इस गैस का दुष्प्रभाव दृष्टि–धूमिलता पैदा कर सकता है। इसे टोबेको एम्ब्लिआपिया कहते हैं।

भारत में तम्बाकू का सेवन कई स्वरूपों में किया जाता है। जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, चुट्टा, कच्चे रूप में चबाना व अन्य समिश्रित तरीके जैसे पान मसाला, सुंघनी, हुक्के द्वारा चिलम पीना या दंत मंजन (गुल) के रूप में। विभिन्न तम्बाकू के रूपों में निकोटिन का अनुपात क्रमशः सिगरेट में 1 से 2, सिगार में 2 से 3, बीड़ी में 6 से 8, चुरूट में 3 से 4.7, हुक्के में 0.5 से 1.5 और सुघनी में 3.2 से 4.8 प्रतिशत रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक निकोटिन की मात्रा धूम्रपान में रहती है। सभी तम्बाकू के रूपों में हुक्के को सेवन सबसे कम हानिकारक है।

देश की आबादी का एक–चौथाई हिस्से के लोग तम्बाकू सेवन करते हैं जिनमें से 14 प्रतिशत सिगरेट और 50 प्रतिशत बीड़ी पीते हैं, जबकि 36 प्रतिशत तम्बाकू का चबाकर सेवन करते हैं।

तम्बाकू की दो प्रधान किस्में हैं – निकाटिना टोबोकम तथा निकाटीन रस्टिका। निकाटीना टोबेकम प्रजाति ऊष्ण जलवायु में अधिक पैदा की जाती है। इसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चुरूट, सुंघनी और जर्दा आदि में किया जाता है। निकोटीना रस्टिका किस्म के तम्बाकू का उत्पादन ठंडी जलवायु में किया जाता है।

इससे सिगरेट, चुरूट और अन्य मादक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तम्बाकू का उपयोग औषधि तथा कीटनाशक के लिए भी किया जाता है।

तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों को निम्न बीमारियां हो जाती हैं – पेष्टिक अल्सर; श्वास संबंधी रोग जैसे कि लगातार खांसी, सांस फूलना; हृदय रोग और निम्न अंगों का कैंसर – फेफड़े, होंठ, जीभ, मुंह, गला, स्वरनली, गर्भाशय, मूत्राशय, किडनी, पेनक्रियाज, श्वासननली आदि। इसका सेवन करने वाली महिलाओं को दिल का दौरा, रक्तचाप और आघात का खतरा रहता है। उनको सामान्य अवस्था से एक से तीन वर्ष पूर्व ही महावारी बन्द हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का खतरा रहता है और वे आजन्मे बच्चों को कई गुसीबतों में डाल सकती हैं जैसे नवजात का भार कम होना, सिर की गोलाई कम होना, मृत शिशु का जन्म होना आदि। जो बच्चे अत्यधिक धूम्रपान करते हैं उन्हें अल्पायु में ही श्वास रोग, दमा, क्षय जैसे रोग हो जाते हैं, उनकी आंखें पीली और होंठ काले हो जाते हैं, उनका शारीरिक विकास बन्द हो जाता है, रक्त में आक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है।

तम्बाकू का धुंआ वातावरण को प्रदूषित करता है। इसका उपयोग कुछ दवाइयों का शरीर पर प्रभाव कम कर देता है। यह खिलाड़ियों की शक्ति को भी कम करता है। इसके सेवन से न केवल खतरनाक बीमारियों होने की संभावना बढ़ती है बल्कि यह हमारे सौंदर्य को भी प्रभावित करता है। इसका धुंआ हमारे शरीर में बनने वाले तत्व कोलाजन की मात्रा को कम करता है और एक्ट्रोजन लेवल को भी कम करता है जिससे त्वचा में रूखापन और झुर्रियां उत्पन्न होती है। इसका सेवन करने वालों के दांत गिरने की संभावना एक आम आदमी से दोगनी होती है। इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों को दिमाग की नसों में सिकुड़न के साथ गुबार उठता है जिससे ब्रेन अटैक होता है जिससे व्यक्ति की मौत भी हो कसती है या शरीर के कई अंगों को नुकसान हो सकता है मसलन पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन।

तम्बाकू के सेवन की समस्या बड़ी ही गंभीर है। यह एक व्यसन है। यह मनुष्य का मित्र नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य का शत्रु है। इसलिए इससे बचाव के उपायों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसका सार्वजनिक विज्ञापन बन्द करना; सिनेमाघरों और बच्चों की पाठय पुस्तकों में इसकी हानियों से संबंधित लेख कहानियां देना; इसकी हानियों का प्रचार करना; विवाह–सगाई आदि उत्सवों में इसको प्रस्तुत न करना; सार्वजनिक स्थानों, सभाघरों, पंचायतों, सिनेमाघरों, वाहनों आदि में इसके सेवन की सख्त मनाई होना आदि कुछ उपाय हैं। इसके सेवन को रोकने का सबसे उत्तम तरीका है – किसी भी आयु में इसका किसी भी रूप में उपयोग न करें।

प्रतिवर्ष 31 मई को 'विश्व तम्बाकू रहित दिवस' मनाया जाता है। पिछले वर्ष 31 मई, सन् 2004 को हमारे देश में दिवस मनाया गया जिसमें वर्ल्ड हैल्थ आरगेनाइज़ेशन का नारा था 'तम्बाकू और गरीबी' जिसमें कहा गया कि जो खर्च हम तम्बाकू के सेवन पर करते हैं वह अगर हम बच्चों की शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों करें तो हमारी गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसका सेवन सार्वजनिक स्थानों में करना कानूनी जुर्म है। 18 वर्ष से नीचे उमर के लोगों को तम्बाकू की चीजें बेचना मना है। ऐसी चीजों का बेचना, इकट्ठा करके रखना और बांटना कानूनी जुर्म है जिसका जुर्माना जेल या 1000 रुपये या दोनों है। इस दिन कहा गया – आओ मिल कर कसम खायें तम्बाकू के सेवन की आदत को छोड़ने की और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसके लिए हमें उन लोगों को प्रोत्साहित करना होगा जो तम्बाकू का सेवन करते हैं, इस बुरी आदत से बचने के लिए और छोड़ने के लिए।

दिल्ली में वर्ष 2003 अप्रैल से मार्च, 2004 तक हैल्थ डिमार्टमेंट और दिल्ली पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया जिसमें तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया। इस दौरान 1655 लोगों को हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा 52 लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा इस अभियान का उल्लंघन करते हुए 200 रुपये फाइन किया गया। इस वर्ष 15445 सार्वजनिक स्थानों और 70365 वाहनों में रेड किए गए। इसके सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग करने वाले संगठनों ने देश विदेश में समय–समय पर इसके खिलाफ अभियान चलाया है लेकिन तम्बाकू के हितों को प्रश्रय देने वाली ताकतों ने हर बार सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को किसी न किसी तरह निराश किया है फिर भी इसके खिलाफ अभियान जारी है। इसके सेवन पर रोक लगाने की दिशा में सरकार अहम भूमिका निभा सकती है। यदि इसके सेवन को कम करने के ठोस कदम न उठाए गए तो अगले तीस वर्षों में इससे लाखों लोगों की मौत होने की आशंका है।

तम्बाकू का सेवन हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है इसलिए हमें इस आदत से बचना चाहिए और हमें प्रण लेना चाहिए कि तम्बाकू का सेवन छोड़ेंगे व छुड़ाएंगे और अच्छे समाज का गठन करेंगे। ❑

(लेखिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655/661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

खतरनाक है तम्बाकू !

डा. रामनिवास यादव

तम्बाकू का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यह अधिकांश लोग जानते हैं फिर भी हमारे देश में तम्बाकू का उपयोग करने वालों की संख्या काफी अधिक है। यहां लगभग 42 प्रतिशत व्यक्ति नियमित रूप से तम्बाकू का सेवन करते हैं। हमारे देश में 72 प्रतिशत लोग बीड़ी, 12 प्रतिशत लोग सिगरेट व 16 प्रतिशत लोग पान मसाला और गुटखे का सेवन करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है कि हमारे देश में तम्बाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख लोगों की मौत तथा प्रति 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। भारत में तम्बाकू के उपयोग से होने वाली मौतों की समस्या संसार के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है।

भारत में किए गए शोध कार्यों से ज्ञात हुआ है कि यहां तम्बाकू के सेवन से मरने वाले लोगों में 50 प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से कम होती है। गुटका तम्बाकू का आधुनिक उत्पाद है। इसका इस्तेमाल करने वालों में किशोरों की संख्या सबसे अधिक है जो तम्बाकू के हानि–लाभ को समझे बिना ही 8–9 साल की छोटी आयु में इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं और 25–30 साल की उम्र होते ही मुख के कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं।

अध्ययनों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि 20वीं शताब्दी में तम्बाकू सेवन के चलते दुनिया में 20 करोड़ लोगों की मौतें हुई व 21वीं सदी में यह संख्या एक अरब के करीब पहुंच जाएगी। पिछले वर्ष ही 50 लाख लोगों की मौत तम्बाकू के सेवन से होने वाली व्याधियों के कारण हो गई। यदि तम्बाकू से मरने वालों का क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो सन् 2025 तक एक करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे।

ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित एक शोधपरक रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट का धुआं मुंह की लार को भी जहरीला बना देता है। लार के जहरीला होने से जहां धूम्रपान करने वाले लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, वहीं इससे मुंह के कैंसर होने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। इस चिकित्सकीय तथ्य से तो आप अवगत होंगे ही कि लार मुंह में आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है और भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स को स्रावित करती है। इसी तरह चिली के शोधकर्ताओं का भी मानना है कि तंबाकू का धुआं लार में मौजूद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद तत्वों को नष्ट कर देता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर के अनुसार सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला रसायन लार के साथ मिलकर मुख की कोशिकाओं पर बेहद बुरा असर डालता है। नतीजतन मुख के कैंसर का अंदेशा काफी हद तक बढ़ जाता है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में करीब 65 करोड़ से अधिक व्यक्ति तंबाकू की लत के शिकार हैं। इनमें धूम्रपान करने वाले और किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को शुमार किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर से पीड़ित प्रति 10 में से 4 व्यक्ति मुख के कैंसर से ग्रस्त होते हैं। वहीं ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 3000 लोग मुख के कैंसर से ग्रस्त होते हैं, जिनमें से आधे लोग काल के गाल में समा जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों की सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद दुनियाभर में धूम्रपान की लत बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन 14 हजार से अधिक लोग इसके कारण जान गंवा रहे हैं। करीब 500 वर्ष पहले यूरोप में पहुंचे धूम्रपान का जाल इस कदर फैल चुका है कि विशेषज्ञ इसे लगभग लाइलाज बीमारी करार दे रहे हैं। उनके अनुसार विश्व की मौजूद जनसंख्या में से लगभग 50 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार धूम्रपान ही होगा। इस वर्ष के आरंभ में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक धूम्रपान दुनियाभर में प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। चिंता का विषय 15 वर्ष बाद धूम्रपान से होने वाली मौतों का आंकड़ा है। अध्ययन के अनुसार 2020 में एड्स, क्षय रोग, प्रसव के समय मृत्यु, वाहन दुर्घटना, आत्महत्या और मानवहत्या के कारण जितनी मौतें होंगी धूम्रपान अकेले ही उतनी जानें लील लेगा। विभिन्न चिकित्सकीय अध्ययनों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि धूम्रपान करने वालों में मृत्यु दर धूम्रपान नहीं करने वालों की तुलना में तीन गुनी होती है। इसके अलावा सिगरेट हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, दमा और अन्य तमाम रोगों का भी मूल कारण है। ताज्जुब है कि इससे अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनियाभर में इस समय सवा छह अरब की आबादी में से करीब डेढ़ अरब से भी ज्यादा लोग धूम्रपान की लत के शिकार हैं। लगभग 50 प्रतिशत पुरुष और 15 प्रतिशत से अधिक महिलाएं सिगरेट का नियमित सेवन करती हैं। तंबाकू उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर के देश भारत में भी धूम्रपान अपना शिकंजा कस चुका है और इसके दुष्प्रभाव भी खतरे का स्तर पार कर चुके हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 8 लाख से भी अधिक लोग प्रतिवर्ष धूम्रपान के कारण जान गंवाते हैं यानी प्रतिदिन 2200 से अधिक लोग इस सफेद धुंए का शिकार बनते हैं।

तम्बाकू में लगभग 300 प्रकार के जहरीले रसायन पाए जाते हैं जिनमें निकोटिन एवं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रमुख हैं। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो इसके अवयव श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते

हैं। धूम्रपान से निकली कार्बन मोनोआक्साइड नामक जहरीली गैस फेफड़ों में पहुंचकर उनकी एल्बोइलर कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। यह गैस रक्त में मिलकर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है व आक्सीजन वहन करने की क्षमता कम कर देती है जिसके कारण रक्त का संचार कमजोर पड़ जाता है तथा इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 'हाइपोक्सिया जैसी घातक व्याधि से ग्रस्त हो जाता है।

तम्बाकू में बेन्जयापायरेन नामक घातक रसायन होता है जिससे फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न होता है। इस प्रकार के फेफड़ों के कैंसर से प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। लगभग 95 प्रतिशत कैंसर उन लोगों को होता है जो तम्बाकू का सेवन नियमित रूप से करते हैं। निकोटिन तम्बाकू के धुएं में मुख्य कैंसर जनित कारक होता है। यह श्वसन प्रणाली में एकत्रित होकर होठों, गला व भोजन नली का कैंसर उत्पन्न करता है। यह तेज असर करने वाला विषकारी यौगिक है। इसकी आठ बूंदें ही घोड़े जैसे बलशाली जानवर की मौत के लिए काफी होती हैं। चिकित्सकों का कहना है कि यदि एक औंस के 1/400 भाग को किसी व्यक्ति के खून में इंजेक्शन के द्वारा पहुंचा दिया जाए तो तत्काल उसकी मौत हो जाएगी। तम्बाकू का उपयोग करने वाला व्यक्ति 24 घंटे में धूम्रपान आदि माध्यमों से जितना निकोटिन ग्रहण करता है यदि उतना एक बार में ले ले तो उसकी मौत हो जाएगी। निकोटिन गर्भस्थ भ्रूणों तक को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं द्वारा इसके उपयोग के चलते जन्म के बाद उनके बच्चों में शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना काफी अधिक रहती है। तम्बाकू में उपस्थित 15 यौगिकों को वैज्ञानिकों द्वारा मुख में होने वाले कैंसर के लिए जिम्मेवार ठहराया है। तम्बाकू में पाए जाने वाले घुलनशील यौगिकों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अवयव लार में मिलकर कैंसर की कोशिकाओं को पैदा करने का कार्य करते हैं। तम्बाकू में मिलने वाला पिरिडीन आंतों में खुश्की पैदा करता है जिससे पेट में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तम्बाकू में पाए जाने वाले घातक यौगिकों में प्रमुख हैं :– पायकोसीन, सहनोजेन, कोलोडीन, अमोनिया, परकोटेल, यूरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, मोनो आक्साईड, सकोलिन, निकोटिन व एजोसिन। तम्बाकू में पाए जाने वाले उपर्युक्त यौगिकों के कारण ही शरीर के अंदरूनी भागों में कैंसर की संभावना व्यक्त की गई है।

भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित खैनी के रूप में तम्बाकू को मुख में रखकर चूसा जाता है। तम्बाकू सेवन का यह तरीका अत्यधिक घातक है। मुख में रखकर चूसे गए तम्बाकू में कैंसरीय तत्वों की मात्रा 5000 से 14000 ppb तक पहुंच जाती है जिससे मुंह की नाजुक चमड़ी के सम्पर्क में आने पर तम्बाकू में उपस्थित क्षोभकारी तत्व मुख के भीतर की नाजुक चमड़ी को प्रभावित करते हैं जिससे मुख में स्थित लार ग्रन्थियों में विकृति आ जाती है। धीरे–धीरे लार ग्रन्थियों के प्रवाहित होने वाले लार की प्रक्रिया में गिरावट आने लगती है जिससे मुंह के अंदर का भाग सूखा रहने लगता है। सूखेपन की उपर्युक्त स्थिति से मुख की त्वचा का निचला हिस्सा भी प्रभावित होकर 'म्यूकसफारब्रोसिस' जैसी कैंसर की शुरुआती हालत में आ जाता है।

हमारे देश में पान मसाले व गुटखे का प्रचलन भी काफी बढ़ गया है। पान मसाले व गुटखे का उपयोग करने से जीभ, होंठ, गले व मसूड़ों के कैंसर के रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। मुम्बई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों द्वारा देशभर में तीन लाख लोगों के अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि तम्बाकू का उपयोग करने वालों के गले में कैंसर की संभावना काफी बढ़ जाती है।

विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो तम्बाकू की सर्वाधिक खपत सिगरेट बनाने में होती है। वैज्ञानिकों ने सिगरेट में पाए जाने वाले ऐसे 45 योगिकों की पहचान की है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। चिकित्सकों के अनुसार फेफड़े में होने वाले कैंसर के लिए 50 प्रतिशत धूम्रपान को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। धूम्रपान करने वालों के विषय में वक्ष रोग विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी श्वास नली में सूजन और श्वास लेने में होने वाली शिकायतें बहुत अधिक पाई जाती हैं। इसके साथ ही हृदय को खून पहुंचाने वाली नली में होने वाला अवरोध भी धूम्रपान के कारण ही होता है। इससे दिल के दौरे की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा अमाशय का कैंसर, खुश्की व घाव भरने में देरी के लिए धूम्रपान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तम्बाकू में मौजूद 'टार' नामक पदार्थ बहुत अधिक कैंसरकारी होता है। यदि इसे शरीर के किसी भाग की त्वचा पर कुछ दिन तक लगातार लगा रहने दिया जाए तो वहां कैंसर उत्पन्न हो जाता है।

धूम्रपान रक्तवाहिकाओं को भी संकुचित करता है जिससे शरीर को आक्सीजन आपूर्ति करने के लिए हृदय को तेज गति से काम करना पड़ता है। शोध कार्यों से यह सिद्ध हुआ है कि तम्बाकू के धुएं से दिल की गति रुकने का खतरा दोगुना हो जाता है और फेफड़ों के कैंसर के आसार 20 गुणा बढ़ जाते हैं। धूम्रपान से 'ब्रोन्काइटिस' नामक रोग भी फेफड़ों में हो जाता है जिससे श्वसनियों में सूजन आ जाती है तथा अतिरिक्त तरल पदार्थ निकलने लगता है जिसके कारण खांसी रहने लगती है व खांसी के साथ हरे पीले रंग का बलगम आने लगता है।

धूम्रपान से सांस की दुर्गन्ध, श्वास रोग, कफ, वातस्फीति, हृदयरोग, कैंसर आदि बीमारियां पैदा होती हैं। तम्बाकू से निकलने वाला धुंआ न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होता है बल्कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि छोड़े गए धुंए की मात्रा सांस लेते समय उसके भी भीतर जाती है। कुल मिलाकर तम्बाकू और उसके सभी आधुनिक उत्पाद कैंसर के साथ ही अन्य घातक रोगों के जनक के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं। अतः इसके उपयोग से पूर्व कई बार सोच–विचार कर लेना चाहिए। यदि आपके परिवार के सदस्य, दोस्त, सगे संबंधी आदि तम्बाकू का सेवन करते हैं तो उन्हें उनके स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य और आसपास के स्वस्थ पर्यावरण हेतु तम्बाकू का सेवन न करने की सलाह दें। तम्बाकू सेवन से होने वाले घातक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, दफ्तरों, बसों व अन्य सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान नहीं कर सकते यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें दण्डित किया जाएगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 – एक परिचय

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 10 मई का दिन ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि गौरवशाली भी है। 1857 में इसी दिन भारतीय क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जिसे अंग्रेजों ने गदर या विद्रोह का नाम दिया था, जबकि इस युद्ध का वास्तविक नाम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम होना चाहिए था क्योंकि अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ा गया यह स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था।

वर्ष 1857 की क्रांति के दो मुख्य चिन्ह थे – कमल का फूल एवं रोटी। कमल का फूल एक पलटन से लेकर दूसरी, दूसरी से लेकर तीसरी पलटन तक घूमता रहता था। जिस–जिस पलटन से होकर यह फूल जाता था, उसका अर्थ होता था कि पलटन के सभी सैनिक क्रांति में भाग लेने को तैयार हैं। यह फूल सैनिकों के लिए क्रांति का गंभीर अर्थसूचक चिन्ह था। दूसरा चिन्ह था – रोटी। वैसे तो यह रोटियां गेहूं और बाजरे के आटे से ही बनाई जाती थीं, किन्तु जिसके भी हाथ में ये पड़ जाती थीं, इनके स्पर्श मात्र से ही उस व्यक्ति के अंग में क्रांति की चेतना का संचार हो जाता था। प्रत्येक ग्राम के मुख्य अधिकारी के हाथों में चपातियां पहुंचती थीं। वह उसमें से कुछ को खा कर बची हुई चपाती को प्रसाद के रूप में बांट देता था। फिर अन्य चपातियां तैयार कर दूसरे गांवों में भेजी जाती थीं। रोटी में गंभीर अर्थ यह था कि विदेशी अत्याचारी अंग्रेज का जहां भी शासन होता है, यह वहां की जनता की रोटी छीन लेता है।

मस्जिदों और देवालयों में तथा भिक्षा के निमित्त द्वार–द्वार पर जाकर स्वातंत्र्य चेतना को जगाने के लिए मौलवी, पंडित, फकीर और सन्यासी प्रयत्नशील थे। नगरों में स्थानीय प्रचारक भी इस कार्य में जी–जान से लगे हुए थे। स्वाधीनता की भावनाओं को अन्तःकरण में जागृत करने के लिए कविता को माध्यम बनाया गया। थानों के सामने, सघन वृक्षों की छाया के नीचे, धर्मशालाओं में और ऐसे अन्य अनेक स्थानों पर आल्हा के बोल गूंज उठे। इन गीतों में आल्हा–ऊदल की वीरता के महान गीत गूंजते, जिससे भारतीय वीरों की अंग्रेजों से बदला लेने के लिए भुजाएं फड़कने लगती थीं। शीघ्र ही सिपाहियों का यह विद्रोह जन–आंदोलन में बदल गया। भारत की साधारण जनता को अपना रोष अभिव्यक्त करने का जैसे सुअवसर प्राप्त हो गया था। उन्होंने एकजुट होकर सरकारी इमारतें नष्ट कर दीं, खजाने लूटे, बैंक और अदालतें जला दीं, यहां तक कि जेल के दरवाजे भी खोल दिये।

हालांकि क्रांति की तारीख 31 मई तय की गई थी लेकिन चर्बी वाले कारतूसों का जबरन प्रयोग, इसाई धर्म अपनाने पर सैनिकों को पदोन्नति और मंगल पाण्डे के बलिदान ने सैन्य क्रांति को नियत तिथि से पहले यानी 10 मई को ही चिंगारी दिखा दी।

10 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की तरफ चल पड़े तथा 11 मई को प्रातः 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। मेरठ के सिपाहियों ने "सम्राट बहादुरशाह की जय, अंग्रेजी राज्य का क्षय" का जयघोष किया तथा दिल्ली एवं मेरठ के सैनिकों ने मिलकर अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया। दिल्ली में अंग्रेजी बैंकों पर भी कब्जा कर लिया गया। 20 मई को अलीगढ़ में भी स्वतंत्रता का झण्डा लहरा उठा। ये सिपाही खजाना लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। अलीगढ़ की भांति 22 मई को मैनपुरी भी स्वतंत्र करा लिया गया तथा वहां के सिपाही 23 मई को दिल्ली की तरफ चल पड़े। 23 मई तक इटावा भी स्वतंत्र हो गया। 28 मई तक नसीराबाद में भी भारतीय सैनिक भड़क उठे और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों से युद्ध किया तथा इन सब सैनिकों ने अपने यहां का खजाना तथा शस्त्रास्त्र लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बरेली में 31 मई को प्रातःकाल सबसे पहले कप्तान ब्राउनले का बंगला जलाया गया तथा बरेली को स्वतंत्र करा लिया गया। इसी प्रकार बरेली से 47 मील दूर स्थित शाहजहानपुर को भी 31 मई को स्वतंत्र करा लिया गया।

31 मई को ही सुबह मुरादाबाद में भी क्रांति हो गई तथा वहां से सारे अंग्रेज भाग गए। पहली जून तक बदायूं भी स्वतंत्र हो गया। वहां के ये सब सैनिक भी कंपनी के खजाने, तोपों अन्य सब हथियार लेकर राजधानी दिल्ली की ओर चल पड़े। 3 जून को आजमगढ़ में भी स्वतंत्रता का झण्डा फहरा उठा। उसी दिन जौनपुर का अंग्रेजी खजाना लूट लिया गया। अपने–अपने नगरों को स्वतंत्र कराकर जौनपुर–आजमगढ़ के सिपाही फैजाबाद की ओर चल दिए। वहां भी स्वतंत्रता का झण्डा लहरा दिया गया। 6 जून को इलाहाबाद में भी क्रांति हुई। जिस समय अंग्रेज अफसर भोजन कर रहे थे, उस समय सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया तथा 30 लाख रुपये का सरकारी खजाना लूट लिया। लेकिन किला अंग्रेजों के ही अधिकार में रहा।

अनेक प्रान्तों से क्रांतिकारियों की पलटनें दिल्ली आ रही थीं। वे अस्त्र–शस्त्र और खजाना भी अपने साथ ला–लाकर दिल्ली में जमा कर रही थीं। सम्राट बहादुरशाह के नाम भिन्न–भिन्न स्थानों से वफादारी के पत्र आ रहे थे। उसने पत्र लिखकर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और अनेक राजाओं को नेतृत्व का निमंत्रण दिया। पर कोई भी नरेश इस कार्य के लिए आगे नहीं आया। वरना 50,000 सशस्त्र क्रांतिकारी उस समय अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए काफी थे।

उधर बख्त खां की आज्ञा का उल्लंघन भारतीय सेना करने लगी थी, जिससे सेना में अव्यवस्था और अनुशासनहीनता पनपने लगी। 14 सितम्बर, 1857 को अंग्रेजों की अनुशासित सेना दिल्ली का किला तोड़ने में कामयाब हो ही गई। 19 सितम्बर को सेनापति बख्त खां

बहादुरशाह से मिला और उनसे प्रार्थना की कि वह अंग्रेजों से पराजय स्वीकार न करे तथा वहां से निकल भागे। लेकिन बहादुरशाह का समधी, मिरजा इलाही बख्श, जो अंग्रेजों का गुप्तचर था, ने बहादुरशाह को ऐसा नहीं करने दिया। जिस समय ज़फर को अंग्रजों ने गिरफ्तार किया, उस समय उसे इलाही बख्श की नीचता का पता चला। इस प्रकार अनेक संघर्षों के बाद अंग्रेज दिल्ली को फिर से प्राप्त करने में सफल हो गए। फिर भी भारत का काफी बड़ा हिस्सा उनके हाथों से बाहर था।

मार्च 1858 के आते–आते जब क्रांति के मुख्य केन्द्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि क्रांतिकारियों के हाथों से निकल गये तब क्रांतिकारियों के दो दल बन गए। मुख्य दल नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला और अवध की बेगम के नेतृत्व में छापामार युद्धों द्वारा अवध और रूहेलखण्ड में अंग्रेजों के पांव न जमने देने का यत्न करता रहा। दूसरा दल नाना साहब के भाई राव साहब के प्रतिनिधि तात्या टोपे, महारानी झांसी के नेतृत्व में यमुना से दक्षिण कालपी, ग्वालियर आदि में केन्द्र बनाकर बुन्देलखण्ड, राजस्थान और महाराष्ट्र में युद्ध जारी था।

झांसी की रानी के शहीद होने के बाद तात्या टोपे का लगातार पीछा कर रही थी। ग्वालियर के सरदार मानसिंह के छल–कपट में तात्या टोपे फंस गए। इस प्रकार सहस्रों युद्धों में शत्रु को नाको चने चबाने वाला वीर मराठा सेनानी, जो अब तक अनेक प्राणघातक संकटों और कष्टों में भी अपनी चतुरता और रणकौशल के कारण शत्रुओं के हाथ में नहीं आ पाया था, इस विश्वासघाती मानसिंह की वजह से अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। 8 अप्रैल 1859 को सैनिक न्यायालय में तात्या टोपे पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप लगाया गया। जांच–पड़ताल और पूछताछ का नाटक समाप्त करते हुए तात्या टोपे को फांसी को दण्ड सुनाया गया। 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध के इस हेमकुंड में तात्या के बलिदान के रूप में यह अंतिम आहुति थी।

इस प्रकार 1857 की क्रांति असफल हो गई। पर उसी साल के नवम्बर मास में इंग्लैंड की महारानी की घोषणा के भारत में 100 वर्षों से चला आ रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हो गया। उसके स्थान पर ब्रिटिश महारानी का राज्य आरंभ हुआ।

इस महान क्रांति के असफलता का महत्वपूर्ण कारण यह था कि यद्यपि क्रांति की पर्याप्त तैयारी की गई थी, किंतु उसके बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इस संबंध मं कोई सोची–समझी व्यवस्था नहीं की गई थी। क्रांति की विफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था, विश्वासघात। वर्ष 1857 की क्रांति की असफलता के लिए दोषी वे हैं जिन्होंने अपने आलस्य और प्रमाद तथा स्वार्थपरकता से क्रांतिकारियों की पीठ में छुरा घोपा।

यह क्रांति सारे देश में एक साथ न फैल सकी, जिससे अंग्रेज इसे दबाने में सफल हुए। साधन सीमित होने के कारण भी क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। उनके पास योजना और संगठन की कमी थी उधर अंग्रेजों को इंग्लैण्ड से भरपूर सहायता मिल रही थी। अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हो सके। ❑

आज़ादी की लड़ाई महिलाओं ने भी लड़ी

अनिता जैन

भारत को आजादी दिलाने में वीरांगना नारियों का भी अभूतपूर्व व अविस्मरणीय योगदान रहा है। आजादी की लड़ाई में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में वह पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। कहीं–कहीं तो महिलाओं ने स्वतंत्रता–संग्राम का कुशल संचालन भी किया। देश की आजादी के लिए उनमें भी एक तड़प थी और देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए वह भी कृत–संकल्प थीं। देश की खातिर अनेक ने अपने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया। आजादी की जंग के इतिहास में हम भला इन्हें कैसे विस्मृत कर पाएंगे?

यदि 1857 के स्वतंत्रता–संग्राम को आजादी की जिहाद की शुरुआत मानें तो मानस–पटल पर कुछ महत्वपूर्ण नाम उभर आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, मुगल खानदान की जीनत महल तथा अवध नवाब की बेगम हाजरा आदि ऐसे नाम हैं, जिन्होंने सम्राट बहादुरशाह जफर, नाना साहब पेशवा और तात्यां टोपे को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में न केवल मदद की, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर संग्राम का नेतृत्व भी किया। बेगम जीनत महल क्रांति की चिंगारी साबित हुई। वह बेगम जीनत महल ही तो थीं, जिन्होंने 1857 में लाल किले को क्रांति–संचालन का केंद्र बना दिया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जीनत महल की प्रेरणा और सुझाव पर ही सम्राट बहादुरशाह ने 11 मई 1857 की क्रांतिकारियों के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ले ली। बेगम जीनत इससे पहले मेरठ, झांसी, लखनऊ, बिठूर के नेताओं नाना साहब पेशवा, कुंवर बहादुरसिंह और तात्या टोपे के सम्पर्क में थीं। बहादुरशाह जफर तो आजादी के दीवाने कवि थे और वृद्धावस्था के कारण पूरे तौर पर बेगम पर आश्रित थे। बेगम जीनत महल हर मामले में दरबार में हाजिर होकर बादशाह को सही परामर्श देती थीं। दिल्ली की क्रांति का समूचा नेतृत्व पर्दे के पीछे से बेगम ने ही किया था। इसकी बहुत बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी।

कर्नल हडसन 20 सितम्बर 1857 तक दिल्ली की क्रांति को कुचलने में कामयाब हो गया। तात्कालीन हालातों से विवश होकर सम्राट को 21 सितम्बर को अंग्रेजों के सामने आत्म–समर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने मुगल खानदान की विवशताओं का नाजायज लाभ उठाते हुए उससे बड़ा ही अमानवीय मजाक किया। बादशाह और बेगम को उनके पुत्र और पौत्रों के कटे हुए सिर भेंट किये गए। समूची दिल्ली में आतंक छा गया। सत्तइस हजार नागरिक–सैनिक सरेआम कत्ल कर दिए गए। हरम की अनेक महिलाओं ने अपनी इज्जत की खातिर आत्मघात कर लिया। बेगम ने ऐसे घोर संकट में भी धैर्य और साहस नहीं गंवाया। उन्होंने अपने पति के साथ रंगून में निर्वासित जीवन बिताया। आजादी की खातिर उन्हें अपना वतन तक छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।

कर्नल हडसन तो 20 सितम्बर तक दिल्ली की क्रांति को कुचलने में कामयाब हो गया लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। लक्ष्मीबाई ने अपने शौर्य, साहस और सूझबूझ से अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिये। पहले

धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां चलाकर समूचे क्षेत्र में उपेक्षित अवस्था में पड़े स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रहा है। इन प्रयासों से कृष्ण लीला से जुड़े स्थलों का जीर्णोद्धार होने के साथ–साथ समूचे ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। ब्रज के गांवों में कुंडों, घाटों, वन प्रदेशों और धर्मशालाओं की दशा सुधारने से ग्रामीण पर्यटन को स्वतः ही बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि यह संस्था ग्रामीण पर्यटन के बारे में पर्यटन मंत्रालय की योजना शुरू होने से पहले ही गांवों के स्मारकों के उद्धार की दिशा में प्रयत्नशील है किंतु ये प्रयास निश्चय ही ग्रामीण पर्यटन को आगे बढ़ाने वाले हैं।

संचार प्रगति के इस युग में ग्रामीण पर्यटन को गति देने के लिए संचार सुविधाओं की मौजूदगी निहायत जरूरी है। वैसे तो भारत संचार निगम गांवों तक टेलीफोन व अन्य संचार संपर्क उपलब्ध कराने की योजना पर सफलतापूर्वक काम कर रहा है किंतु देश के 5 लाख 80 हजार गांवों में केवल सरकारी प्रयासों से संचार सुविधाएं जुटाने में कई दशक लग जाएंगे। यदि कारपोरेट जगत, निजी क्षेत्र और धार्मिक–सामाजिक संगठन भी इस दिशा में सहयोग दें तो यह लक्ष्य जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में केरल में एक धार्मिक, आध्यात्मिक संगठन अमृतानंदमयी मठ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' के सहयोग से ग्रामीण संसाधन केंद्र खोलने की योजना बनाई है जो गांवों के लोगों को आधुनिक संचार तंत्र के माध्यम से शहरों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए गांवों के मरीज शहर जाने की बजाय वहीं बैठे–बैठे शहर के डाक्टर से सलाह ले सकेंगे। किसान अपने गांव में ही कृषि विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह की उपयोगी आधुनिक सुविधाएं ग्रामीण पर्यटन को निश्चय ही गति प्रदान करेंगी।

सरकार ने हाल ही में देशभर में कुछ चुने हुए गांवों में ग्रामीण ज्ञान केंद्र खोलने की योजना बनाई है। ये केंद्र गांवों की जनता को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। कुछ गांवों के समूह के लिए एक ग्रामीण ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र उपर्युक्त बुनियादी सूचनाओं के साथ–साथ पर्यटन संबंधी जानकारी देने का जिम्मा भी उठा सकते हैं। इस प्रकार ग्रामीण ज्ञान केंद्र गांवों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने में सहायक हो सकेंगे।

गांवों में पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में निजी प्रयास शुरू हो गए हैं। हाल में हरियाणा के एक गांव में एक व्यवसायी ने बावड़ी होटल बनाने का अभिनव प्रयोग किया है। राजस्थान में जिस तरह किलों और सरोवरों को होटलों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है उसी तरह इस व्यवसायी ने एक पुरानी बावड़ी के एक हिस्से को साफ करके उसमें देहाती माहौल का होटल बनाया है। बावड़ी के दूसरे हिस्से को तरणताल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रयास ग्रामीण पर्यटन के उज्जवल भविष्य की ओर स्पष्ट संकेत है। इसमें संदेह नहीं है कि जैसे–जैसे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र और राज्यों के पर्यटन विभाग आगे बढ़ेंगे और यह अवधारणा लोकप्रिय होगी वैसे–वैसे ब्रज रक्षक दल, अमृतानंदमयी मठ और हरियाणा के व्यवसायी जैसे अनेक व्यक्ति तथा संस्थाएं पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए आगे आएंगी।

इसे सोने पे सुहागा ही कहा जाएगा कि इस अवधारणा से सैलानियों के लिए पर्यटन के नए द्वार खुलने के साथ–साथ गांवों के चहुंमुखी विकास को भी काफी बढ़वा मिलेगा। ❑

(लेखक आकाशवाणी में संयुक्त निदेशक हैं)

ग्रामीण पर्यटन स्थलों का विकास

वर्ष 2004–05 के दौरान पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इसके द्वारा दिसंबर माह तक विदेशी मुद्रा की कमाई, 16,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,828 करोड़ रुपए हो गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें पर्यटन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु नए तंत्र की स्थापना करना, समन्वित पर्यटन सर्किट और ग्रामीण पर्यटन स्थलों का विकास करना, असंगठित आतिथ्य क्षेत्र और नई विपणन रणनीति के संदर्भ में विशेष क्षमता निर्माण करना शामिल हैं।

पर्यटन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए नया तंत्र: पर्यटन मंत्रालय राज्यों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आशा है कि ये परियोजनाओं मंजूरी की तिथि से 30 माह के भीतर पूरी हो जाएंगी, लेकिन आठवीं योजना के दौरान मंजूर की गई कुछ परियोजनाएं राज्यों द्वारा अब तक भी पूरी नहीं की गई हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए इन पर नजर रखने के उद्देश्य से वर्ष 2004–05 के दौरान एक नए तंत्र की स्थापना की गई। पर्यटन सचिव के स्तर पर इसकी समीक्षा करने के बाद परियोजनाओं का स्थानीय मूल्यांकन करने के साथ ही इसकी तिमाही समीक्षा की जाती है।

अंतरमंत्रालयी समन्वय दल की स्थापना : पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुविधाओं और अन्य संबंधित मुद्दों के मूल्यांकन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी समन्वय दल की स्थापना की गई है। इस दल की वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गईं और बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए गए।

20 पर्यटन सर्किटों का विकास : वर्ष 2004–05 के दौरान 20 पर्यटन सर्किटों के विकास को मंजूरी दी गई है ये छत्तीसगढ़ बेलूर–हालेबिड / श्रवण–बेलगोला सर्किट, कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक सर्किट, कर्नाटक, मालाबार सर्किट और हाई रेंज पर्यटन सर्किट, केरल, कोंकण रिवेरा सर्किट–भाग–2, महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सर्किट, शिमला और कांगड़ा सर्किट विकास, हिमाचल प्रदेश, समन्वित बौद्ध विकास सर्किट, उत्तरांचल, पूर्वोत्तर पर्यटन विकास सर्किट, असम पर्यटन विकास सर्किट, मेघालय, सर्किट विकास, मिजोरम, नागालैंड के 6 स्थानों पर पर्यटन सर्किट और ताशीदिंग में बौद्ध सर्किट का विकास और जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटन सर्किट का समेकित विकास।

ग्रामीण पर्यटन स्थलों का विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आय का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कदम उठाये हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा स्थानीय संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा जिससे यथासाध्य जीविका के साधन और समन्वित ग्रामीण विकास के सिलसिले में भी मदद मिलेगी।

शिकारा मालिकों और टट्टू वालों को सहायता : वर्ष 2004–05 के दौरान शिकारा मालिकों को शिकारे का स्तर सुधारने और उनकी मरम्मत करने और टट्टू वालों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कम ब्याज रियायत के लिए 9 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

अतिथि देवो भव अभियान : पर्यटन के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और हमारी सम्पन्न विरासत और संस्कृति के संरक्षण, स्वच्छता और आतिथ्य के लिए वर्ष 2004–05 के दौरान प्रशिक्षण और समन्वय की प्रक्रिया के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ❑

अद्‌भुत! भारत

जिल्ले रहमान

भारत की सांस्कृतिक विविधता सैलानियों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। भारत का पर्यटन विभाग इस तथ्य को भली–भांति जानता है, और इस बात को लेकर उत्साहित भी दिखता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'इन्क्रेडिबल इंडिया' और 'अतिथि देवो भवः' जैसे दो बड़े अभियान चलाये जा रहे हैं। पर्यटन से जुड़े देशभर के 26 हजार कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ी विज्ञापन कंपनी को ठेका भी दिया गया है। देश के पर्यटन को नया आयाम देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें रेलवे, नागरिक उड्डयन, शहरी विकास मंत्रालय, योजना आयोग, फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, डीडीए तथा पर्यटक मंत्रालय को शामिल किया गया है जो देश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को आधुनिक बनाने पर कार्य करेंगे। ये इंडिया इन्क्रेडिबल को क्रेडिबल बनाने में जुटे हैं।

वर्ष 2005 में भारतीय पर्यटन के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इस वर्ष इस क्षेत्र में काफी विकास का अनुमान है। जब इस क्षेत्र का और विकास होगा तो जाहिर है कि इसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार आगामी पांच वर्षों में तकरीबन 1.50 करोड़ पर्यटकों को भारत के लिए आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015 तक यह लक्ष्य संख्या 2.50 करोड़ हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। वैसे भारत में इस समय हर साल तकरीबन 34 लाख विदेशी आए जबकि वर्ष 2003 में यह संख्या 2,74,215 थी। आकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च 2005 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में (पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान) 18.70 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन ये आंकड़े उतने सुकून देने वाले नहीं हैं क्योंकि भारत से मलेशिया जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करीब 200 प्रतिशत है।

भारत में तो कई राज्यों में पर्यटन मुख्य उद्योग है मसलन उत्तरांचल, हिमाचल, गोवा, सिक्किम, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू–कश्मीर। इन राज्यों में पर्यटन की स्थिति में लगातार सुधार भी हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी बजट पूर्व 500 करोड़ रुपये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को आवंटित भी किए हैं। बावजूद इसके भारत में आनेवाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी कम है। और भारत से विदेश जाने पर्यटकों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है। जहां तक खर्च की बात है तो एक विदेशी पर्यटक भारत में औसतन 700 से 1000 डालर तक खर्च करता है, जबकि एक भारतीय पर्यटक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 3 हजार डालर खर्च आता है। आखिर कमी कहां है जो हम विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे हैं।

यूं तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का दावा है कि वर्ष 2015 तक इस पर्यटन उद्योग में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। यानी आने वाले समय में रोजगार सृजन की दृष्टि से भारत का पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जानकारों का मानना है कि जिस तरह आई.टी., फाइनेंस आदि क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, ठीक इसी तरह पर्यटन में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। भारतीय जन चेतना में धार्मिक आस्था देखने को मिलती है। इसका असर पर्यटन पर भी पड़ता है। यहां तीर्थाटन को जीवन का हिस्सा माना गया है। इस वजह से धार्मिक पर्यटन भी यहां अच्छी स्थिति में है। चार धाम यात्रा, कुंभ स्नान, काशी–प्रयाग की यात्रा, गंगासागर यात्रा, हरिद्वार, मथुरा–वृंदावन यात्रा, गंगा स्नान, शिरडी की यात्रा आदि के जरिए लाखों श्रद्धालु आस्था व्यक्त करते हैं। इस उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर इस पर और उचित ढंग से ध्यान दिया जाए तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ पर्यटन उद्योग में यातायात की भी अहम भूमिका है। भारतीय एयरलाइंस (एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस) सेवाएं मुहैया करा रही है, मगर कहा जाता है कि विदेशी एयरलाइंस की बनिस्बत इसकी सेवाएं दोयम दर्जे की है। मलेशिया के विज्ञापन 'ट्रूली एशिया' वाले विज्ञापन व ब्राजील के चर्चित सांग के आगे फीका ही लगता है। जहां मलेशिया पर्यटन अपने आपको एक छोटे एशिया के रूप में फोकस करता है वहीं ब्राजील अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नये तरीके अपनाता है। दूसरी तरफ हम वही पुराने ढर्रे पर चलते हुए पर्यटन उद्योग में क्रांति लाने की कोशिश करते हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, निजामुद्दीन औलिया के अलावा भी भारत में हजारों ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो अमेरिका, यूरोप व आस्ट्रेलिया में नहीं हैं व उन्हें अभी तक भारत में पूरी तवज्जो नहीं मिल पा रही है।

जब पर्यटन मंत्रालय ने विज्ञापनों के जरिए लोगों से विज्ञापन अभियान के लिए पंच लाइन आमंत्रित की थी तब इस बात की आशा थी कि पर्यटन मंत्रालय ने कुछ नया और कुछ खास मकसद सामने रखा है व जो पंच लाइन चुनी जाएगी उससे अभियान का मकसद साफ होगां इस सबके अलावा आईटीडीसी को लेकर विवाद भी पर्यटन उद्योग को गर्त में ले जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि भारत में आने वाले सबसे ज्यादा गोरे हैं मगर 'इन्क्रेडिबल इंडिया' और 'अतिथि देवो भवः' जैसे विज्ञापनों का असर सिर्फ बंगलादेशियों में ही जगा पाये हैं। बंगलादेश से 4,54,611 पर्यटक आते हैं। जापान से 77,996 और फ्रांस से 97,654 पर्यटक ही आते हैं। चीन में विदेशी पर्यटक हर साल तकरीबन 84 मिलियन आते हैं और वृद्धि दर 20 प्रतिशत है। दावा तो यह किया जा रहा है कि भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है, जहां पर्यटन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और चीन अभी भी भारत से ज्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो संसार के पांच सबसे ज्यादा खर्चीले पर्यटक स्थलों में सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग और दुबई को चुनते हैं।

पर्यटक उद्योग में जो सबसे बड़ी खामी है वह सरकारी नीतियों की वजह से भी है। जैसे आयातित शराब पर पाबंदी और कैसिनो का न होना। भारतीय पर्यटन उद्योग को लगता है कि इससे हमारी संस्कृति को खतरा है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

पर्यटन उद्योग के नये आयाम

राकेश शर्मा 'निशीथ'

पर्यटन का उद्देश्य नए-नए स्थलों का अवलोकन और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जब हम अपने स्थायी निवास से किसी दूसरे स्थान पर मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा पर्यटन कहलाती है। जब यात्रा देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है, तो उसे घरेलू पर्यटन कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में कुछ समय के लिए भ्रमण के उद्देश्य से जाना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता और अंतराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में सहायक होता हैं।

वस्त्र उद्योग और हीरे तथा जवाहारात के बाद पर्यटन से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वर्ष 2003-04 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या साढ़े 27 लाख से अधिक थी। इनसे देश को 21,828 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

पर्यटन कई विशिष्ट व्यवसायों का समूह है। इसमें होटल व्यवसाय, एयरलाइंस, टूर-आपरेटर, मनोरंजन उद्योग, लोक कलाओं से जुड़ी विविध विधाओं जैसे कठपुतली, नट, जादूगरी, पर्यटन-आधारित साहित्य, वृत्त-चित्र निर्माण, हस्तशिल्प कर्मी, ट्रैवल एजेंसी ऑपरेटर आदि शामिल हैं। इस समय पर्यटन उद्योग एक करोड़ सत्तर लाख लोगों को प्रत्यक्ष और चार करोड़ दस लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार दे रहा है।

अधिसूचना के अनुसार होटल, ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, निर्यात हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन पुनः शुरू करने के लिए अनेक विशेष पैकेज अथवा परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें- लखनपुर, बसोली, बानी, भदरवाह, किश्तवाड, सिंथन, श्रीनगर क्षेत्र में 8 करोड़ रुपये की सहायता से नया पर्यटन सर्किट स्थापित करना और पूरे राज्य में 12 पर्यटन स्थलों में 31.5 करोड़ रुपये के व्यय से 12 पर्यटन ग्राम स्थापित करना शामिल हैं।

पूर्व-दर्शन के अंतर्गत दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जापान, बर्मा, कम्बोडिया, चीन, थाइलैंड जैसे देशों के पर्यटकों को लुभाने के लिए धार्मिक पर्यटन की नब्ज पकड़ी गई है। देश में बौद्ध पर्यटन को नया आयाम दिया जा रहा है। देशाटन तथा पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों में पर्यटन को एक विषय के रूप में स्थान दिया गया है। पर्यटकों को अच्छा सांस्कृतिक मनोरंजन और बाजार के विशेष अनुभव उपलब्ध कराने के लिए पहला रात्रि बाजार नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में सफलता-पूर्वक चला।

ग्रामीण पर्यटन

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा नयी है। शहरों में चौबीसों घंटे व्यस्त रहने वाले लोग काम के तनाव से मुक्त होने और नयी ऊर्जा हासिल करने के लिए शहरों से दूर गांवों में शुद्ध वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं। पर्यटन-विकास का सामाजिक आर्थिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाने के लिए 31 ग्रामीण स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों पर स्थानीय हस्तशिल्प, संस्कृति और विरासत को प्रमुख रूप से दिखाया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं और युवाओं को जोड़ा जाएगा।

चिकित्सा पर्यटन

आज से कुछ वर्ष पहले तक लोग **चिकित्सा पर्यटन** शब्द से अनजान थे लेकिन आज यह चर्चा में है और स्वतः विकसित हो रहा है। इलाज सस्ता होने के कारण विभिन्न देशों के लोग इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में दिल के ऑपरेशन पर 30 हजार डॉलर का खर्च आता है, जबकि यही ऑपरेशन भारत में केवल 6 हजार डॉलर में किया जाता है। वर्ष 2003 के दौरान भारत में लगभग डेढ़ लाख विदेशी पर्यटक अपना इलाज कराने आए थे। जर्मनी में केरल आयुर्वेद का गढ़ के रूप में जाना जाता है। अमरीकी पत्रिका टाइम्स ने तो यहां तक लिखा है कि केरल की यात्रा यानी **पैसा वसूल।**

सांस्कृतिक पर्यटन

पर्यटन में केरल नए-नए प्रयोग करने की दृष्टि से अन्य राज्यों से काफी आगे है। अब यहां सांस्कृतिक पर्यटन का सफल प्रयोग हो रहा है। केरल में थ्रिसूर स्थित कामंडलम में अभी भी प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से कला और सांस्कृति संबंधी शिक्षा दी जाती है। विदेशी पर्यटक कुछ समय वहां बिताकर एक ऐसा अद्‌भुत अनुभव प्राप्त करते हैं जिसके बारे में उन्होंने अभी तक पढ़ा या सुना ही था। केरल में कई स्थानों पर विदेशी पर्यटकों को वहां के स्थानीय व्यंजन बनाना भी सिखाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर तो उन्हें पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कला भी सिखाई जाती है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह सब अच्छा खासा रोमांच है।

धार्मिक पर्यटन

हमारे देश में धार्मिक पर्यटन का भी अच्छा विकास हो रहा है। बौद्ध सर्किट को बड़े पैमाने पर संवारा जा रहा है। छह राज्यों के प्रमुख बौद्ध स्थलों की सड़कों और निकटतम हवाई अड्डों का अन्य पर्यटन सुविधाओं के साथ उन्नयन किया जा रहा है। दो नए बौद्ध सर्किट (एक बिहार में और दूसरा उत्तर प्रदेश में) को जापान, चीन और बौद्ध देशों से आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है।

ऐतिहासिक पर्यटन

देश में ऐतिहासिक स्थलों की कमी नहीं है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रखरखाव के लिए यूनेस्को की सिफारिशों के आधार पर जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन से आर्थिक मदद लेने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा तथा पितलखेरा गुफाओं को संरक्षण और विकास के लिए जापान सरकार मदद देगी जबकि मध्यप्रदेश में सांची और सतधारा स्थित बौद्ध स्मारकों के संरक्षण के लिए जापान सरकार से पहले ही सहायता प्राप्त हो चुकी है।

पर्यावरणीय पर्यटन

ईको–टूरिजम के लिहाज से सिक्किम सबसे अच्छी जगह है। सिक्किम अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता के कारण बहुत तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। वहां जाने वाले देशी पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष दो लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या 12 हजार है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली तितलियों की किस्मों में से पचास प्रतिशत सिक्किम में पाई जाती है। वहां ऑर्किड की 454 किस्में मौजूद हैं। राज्य सरकार ने एक अलग प्रकार के पर्यटन की योजना बनाई है, जिसमें ऑर्किड पर्यटन और तितली पार्क भ्रमण शामिल है।

साहसिक पर्यटन

साहसिक पर्यटन विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है और पर्यटन व्यवसाय को एक नया आयाम दे सकता है। साहसिक पर्यटन में पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, स्केटिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरा ग्लाइडिंग, अभयारण्यों तथा जंगलों की सैर आदि शामिल हैं। इसके लिए जम्मू–कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्याप्त संभावनाएं हैं।

भारत में पर्यटन उद्योग में विदेशी पूंजी का निवेश इस समय लगभग नहीं के बराबर है। इसका एक कारण यहां सिंगल विन्डों (एकल खिड़की) व्यवस्था का न होना भी है। सिर्फ एक होटल बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति लेने में बहुत समय लग जाता है। देश में विश्व स्तर की पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें **एकल खिड़की** अनुमोदन प्रणाली अपना रही है। आंध्रप्रदेश, गोवा और दिल्ली में यह प्रणाली शुरु की जा चुकी है।

देश में पर्यटन से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण–शिक्षण के लिए **अतिथि देवो भवः** अभियान शुरु किया गया है। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं– विशाल विरासत, संस्कृति, स्वच्छता और सत्कार के संबंध में लोगों को जागरूक करना और उन्हें पर्यटन पर पड़ने वाले इनके प्रभावों के बारे में जानकारी देना। पर्यटन उद्योग को सरकारी प्रयासों के माध्यम से चाहे कितना भी बढ़ावा मिलता रहे, उससे इस उद्योग की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तब कि स्थानीय लोगों का सहयोग न मिले। इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को आपसी समझ और पारस्परिक मित्रता का माध्यम बनाना होगा। ❑

अद्वितीय पर्यटन स्थल सिक्किम

रश्मि

हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रकृति की धरोहर है। इसकी कई अनुपम विशेषताएं हैं। यह केवल इस भूखंड की जलवायु निर्धारित करता है, वरन् कई अद्वितीय औषधिजन्य वनस्पतियों का भंडार भी है। प्राकृतिक सौन्दर्य का अलौकिक खजाना होने के साथ–साथ यहा हजारों प्रजातियों के सुन्दर पक्षियों का बसेरा भी है। इसी की गोद में बसा है। खुबसूरत पहाड़ी प्रदेश सिक्किम।

तिब्बत, भूटान, नेपाल तथा पश्चिम बंगाल से लगा सिक्किम शांति, मनोहर वातावरण और जीवटता का एक अनुपम उदाहरण हैं। इस इलाके में 284 मीटर से 8,540 मीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। इसलिए इस इलाके में विविध वनस्पतियों तथा वन्य–जीवन की भरमार है।

सिक्किम की पश्चिमी सीमा पर सिंहलीला (नेपाल), उत्तरी और भूटान दोंख्या की पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में तीस्ता नदी की रमणीय घाटी है। यही घाटी इसके प्रवेश का मुख्य द्वार है। सिक्किम की चौड़ाई पूर्व–पश्चिम में लगभग 65 किलोमीटर और उत्तर–दक्षिण दिशा में लंबाई 120 किलोमीटर है। तीन ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण सिक्किम के दक्षिणी द्वार पर मानसूनी हवाएं आती हैं, तब इस छोटे से क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा इसी प्रदेश में है। यहां के लोग इसे देवतुल्य मानते हैं।

सिक्किम में मुख्यतः तीन जातियां–लेपचा, तिब्बती तथा नेपाली–निवास करती हैं। तीनों ही सिक्किम को एक भिन्न सांस्कृतिक पहचान देती हैं। यहां के मूल निवासी लेपचा हैं, लेकिन जनसंख्या की तीन चौथाई हिस्सा नेपालियों का है। इसके बाद बिहारी, तिब्बती और भूटानी समुदायों का बाहुल्य है। पूरा सिक्किम चार जिलों में विभाजित है। पूर्वी जिलें में में सर्वाधिक जनसंख्या है। राजधानी गंगटोक इसी जिले में स्थित है।

सिक्किम के लोग बहुत ही मृदुभाषी हैं। वे विनम्र और स्नेही हैं, वे खुले मन से आपका स्वागत करते हैं। यहां के प्रकृति–प्रेमी लोगों का सौम्य स्वभाव, सरलता, सह्रदयता, सहजता, आपसी सद्भाव और आतिथ्य–सत्कार आपका मन मोह लेगा। फूलों सौन्दर्य–सुषमा सिक्किम के जन–जीवन के खजाने हैं। यहां की कुल आबादी लगभग पांच लाख है।

हिमालय की गोद में बसा सिक्किम निस्संदेह सुखद विशेषता वाला प्रदेश है। तभी भूटिया लोग इसे डेनजांग कहते हैं, जिसका अर्थ है चावल का देश। सिक्किम त्सोंग भाषा (नेपाली) का शब्द है, जिसका अर्थ है, सुखी घर या नया महल। लेपचा भाषा में इसे नाईमाईल कहते हैं, अर्थात स्वर्ग। यहां की जलवायु समशीतोष्ण है। यहां बरगद, आम, पीपल, कटहल, शाल, तथा सागौन के वृक्ष बहुतयात में पाये जाते हैं। ऊंचे इलाकों में चीड़, ओक और मैग्नोलिया के वृक्ष मिलते है। मखमली

घास में रंगबिरंगे, विभिन्न किस्म के फूल, जैसे प्रिम्यूला, ब्लूजैन्स्यिन, सैक्सीफाज, ईडलबाइस आदि खिले मिलेंगे। फिर तिब्बती ठंढ़ा मरूस्थली पठार और कंचनजंगा की अनन्तकालीन बर्फ का तो कहना ही क्या। ऐसी जलवायु यहां के वनस्पतियों, पक्षियों और अन्य जीव–जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी है।

प्राकृतिक संपदा

हमारे देश में लगभग 45 हजार वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें 15 हजार पुष्प समुदाय की हैं और लगभग 25 हजार औषधियों में काम आती हैं। उनमें से लगभग 47000 सिक्किम में हैं। भारत में 12,500 प्रजातियों के पक्षी पाये जाते हैं।

यहां की मुख्य फसल धान है। इसके अलावा यहां की नकदी फसल इलायची (बड़ी) अदरक, हल्दी, मसाले तथा चाय हैं। देश में कुल इलायची का 80 प्रतिशत उत्पादन यही होता है। फलों में नारंगी हर ओर दिखाई देते हैं।

यदि पर्यटक सिक्किम–यात्रा की शुरूआत उत्तरी सिक्किम के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मंगेन से करें तो तीस्ता और तोलंग नदियों के साथ–साथ चलते हुए उन्हें एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। यहां से सिनिओवचू चोटी को भी देखा जा सकता है। यह विश्व की सबसे सुंदर चोटियों में गिनी जाती है।

समुद्र की सतह से 1870 मीटर की ऊंचाई पर बसा गांगतोक सिक्किम की राजधानी है। अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ–साथ यह सिक्किम का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी है। चारो तरफ धान के लहलहाते खेत तथा बहती नदियां इस अत्यंत मनोहारी बनाती हैं। यहां पर आवागमन व रहन–सहन की सभी सुविधा मौजूद हैं। गांगतोक से आधे घंटे के चढ़ाई के बाद हनुमान टेक है। वहां से कंचनजंगा पर्वत पर सूर्योदय से पूर्व ही यहां पहुंच जाते हैं। उगते सूर्य की आभा से प्रति क्षण बदलते वहां के प्राकृतिक दृश्य विलक्षण लगते हैं। सेमतांग की पहाड़ों पर चाय के बागान भी बहुत सुंदर लगते है। यहां से सूर्यास्त का दृश्य मनोहारी लगता है।

गंगटोक से कुछ ही दूरी पर इंस्टीच्युट आफ तिब्तलोजी सस्थान स्थित है। इसकी स्थापना तिब्बती भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें दुलर्भ तिब्बती किताबों तथा पांडुलिपियों का संग्रह है। वहां विश्व भर से इच्छुक लोग तिब्बती साहित्य तथा संस्कृति का अध्ययन करने आते हैं।

कंचनजंगा की ऊंचाई 28216 फुट मानी गई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में इसका स्थान तीसरा है। लोपचा भाषा में कंचनजंगा का सही उच्चारण खंगचेंदजोंगा है। इसका अर्थ है, हिम के अनन्त पांच खजाने, क्योंकि इसकी पांच चोटियां हैं। ये पांच खजाने आम आदमी की जरूरतों को पूरा करते है। यदि इन पांचा खजानों को आधुनिक रूप में परिभाषित करें तो वे हैं– प्राकृतिक सौन्दर्य, वनस्पति तथा आर्किड इलायची, शांति प्रिय लोग और धर्म ग्रन्थ।

गंगटोक शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर रूमटेक मठ है, जिसे धर्म–चक्र काम्पलेक्स भी कहते हैं। यह मठ तिब्बती बौद्ध संस्कृति की अमूल्य धरोहर है।

गंगटोक से 40 किलोमीटर दूर और 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तोसोंग झील है। इसे स्थानीय भाषा में झीलों का स्रोत कहा जाता हैं। यह पवित्र झील मई के मध्य तक बर्फ से ढ़की रहती है। यहां घूमने का सबसे सुहावना मौसम मई से अगस्त तक होता है। यहां की एक और खासियत यह है कि यह स्थान लाल पांडा तथा विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों का प्राकृतिक निवास है।

दर्शनीय फेनसोंग मठ की स्थापना 1721 में हुई थी। यह नियंगमापा बौद्धों का पवित्र मठ है।

गंगटोक के पास ही युमथांग रोडोडेन्ड्रन अभयारण्य स्थित है। इस अभयारण्य में बुरांश यानी रोडोडेन्ड्रन की 24 से भी ज्यादा किस्में पायी जाती हैं। अपनी औषधीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध सा–चू के गर्म पानी के झरने भी इसी इलाकें में है। सा–चू लाचुंग–चू नदी के बांए किनारे पर है।

सिक्किम का सबसे करीबी हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में बागडोगरा है। यह गंगटोक से 124 किलोमीटर दूर है। वहां से गंगटोक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगते है। दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए हैलिकाप्टर की सीमित सेवायें भी उपलब्ध हैं। दिल्ली, कोलकत्ता और गुवाहाटी से बागडोगरा से दार्जलिंग के रास्ते भी गंगटोक पहुंचा जा सकता है।

समयाभाव में सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा हैलिकाप्टर से भी लिया जा सकता है। इस हैलिकाप्टर सेवा को सिक्किम माउन्टेन फ्लाइट्स कहते हैं। हैलिकाप्टर यात्रा गंगटोक से शुरू हो कर तीस्ता नदी के साथ–साथ चुनथांग, लाचुंग, युमथांग होती हुई वापस वहीं खत्म हो जाती है। रहस्य और रोमांच भरे पर्यटन में रुचि रखने वालों को सिक्किम विशेष रूप से आकर्षित करता है। ❑

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध असीम पर्यटन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक जोर दे रही है।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को योजना आवंटन का 10 प्रतिशत देना तय हुआ है। वर्ष 2003–04 में योजना आवंटन के 325 करोड़ रुपये में से 34.84 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2004–05 में, योजना आवंटन के 500 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास के लिए पूरी तरह से खर्च किए गए।

इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं :

- गुवाहाटी में चल रहे होटल मैनेजमेंट और केटरिंग तकनीक संस्थान की तर्ज पर शिलांग में नया संस्थान शुरू करना।
- पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के आकर्षण स्थलों का बड़े स्तर पर नियमित प्रचार तथा प्रचार साहित्य तैयार करना।
- बर्लिन में होने वाले सबसे बड़े पर्यटन मेले – आईटीबी में पूर्वोत्तर राज्यों को मुफ्त मंडप दिलवाना।
- पर्यटन को बढ़ावा देने में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए वित्तीय सहायता देना।
- पर्यटन मंत्रालय के विदेशों में स्थित कार्यालयों के विपणन सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष प्रकाश डालना, आदि। ❑

उत्तर भारत में IAS/PCS के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक

आर. के. शुक्ला

(सफलता के पर्याय) *Cel. 09415280009*

द्वारा

समाजशास्त्र

Batch starts from 11th and 22nd August, 1st & 15th September, 2005

महत्वपूर्ण तथ्य-

- नये विषय के रूप में (विशेषकर विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए) समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए विशेष वैज्ञानिक शैली द्वारा अध्यापन।
- प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस अध्याय के IAS/PCS के 10 वर्षों के प्रश्नों का सूक्ष्म विश्लेषण।
- प्रश्नपत्र के बदलते स्वरूप के कारण Class Notes का विशेष स्वरूप, हर साल 90 प्रतिशत से अधिक प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सर के Notes से ही।
- दिल्ली एवं लखनऊ के संस्थानों से निराश छात्र भी अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए हमारे संस्थान में ही प्रवेश लेते हैं।
- *समाजशास्त्र विषय लेकर चयनित होने वाले छात्रों में सर्वाधिक संख्या सर के छात्रों की।*
- ***Classroom Notes Also Available***

Note : प्रतियोगी छात्रों की बेहद माँग के कारण जल्द ही आर. के. शुक्ला सर की Classes (मुखर्जी नगर) नई दिल्ली में भी प्रारम्भ.

Our associate-Vijaylaxmi Memorial Girls Hostel, George Town Alld. Ph. (0532) 2468116

ॐ शान्ती स्टडी सेन्टर

1, तुलारामबाग, (गीता निकेतन मन्दिर के सामने) जी. टी. रोड, इलाहाबाद

Cel. 09335129717, 09415216096, 09839601327, 09335140130, (0532) 3098030.

KH/7/5/01

आर. एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

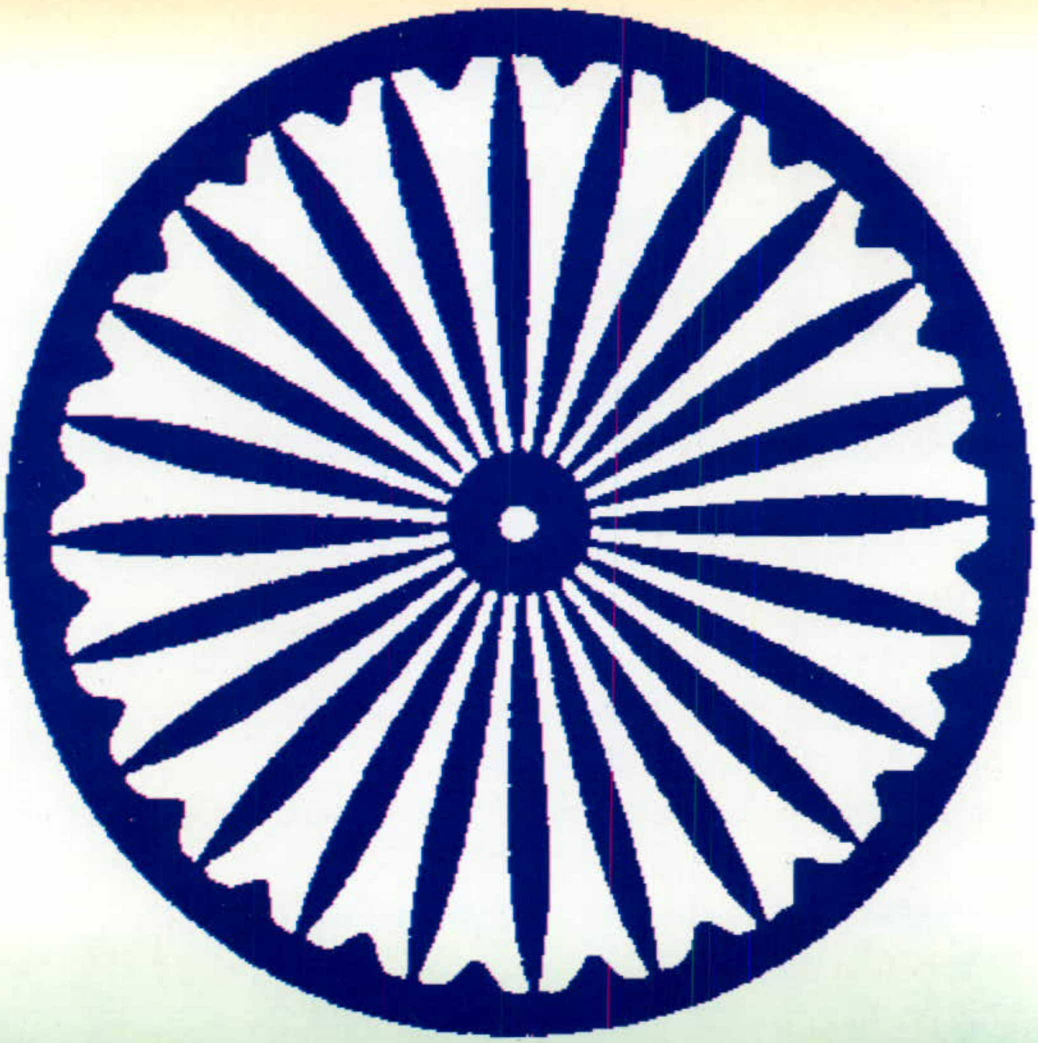

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–II, नई दिल्ली–20 : संपादक : स्नेह राय